# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th

## LOK SABHA DEBATES

**पाँचवाँ सत्र**

[ Fifth Session ]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[ खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20 ]

**लोक-सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**
**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

69(23)
19.1.73

# विषय सूची/CONTENTS

**अंक 17—बुधवार, 23 अगस्त, 1972/1 भाद्र, 1894 (शक)**

*No.* 17—*Wednesday, August* 23, 1972/*Bhadra* 1, 1894 (*Saka*)


| | विषय | SUBJECT | |
|---|---|---|---|
| | **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| *ता० प्र० संख्या *S. Q. No. | | | पृष्ठ PAGES |
| 322 | केन्द्रीय सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने सम्बन्धी निदेश पर तामिलनाडु सरकार को आपत्ति । | Objection of Tamil Nadu to Directive for Correspondence with Centre in Hindi. | 1–3 |
| 324 | मध्य प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण | Industrial Survey of Madhya Pradesh | 4–6 |
| 327 | समाचारपत्रों के नियन्त्रण और उनके स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में भारतीय प्रेस परिषद की सिफारिशें | Recommendations of Press Council of India on Diffusion of ownership and Control of Newspapers. | 6–9 |
| 328 | आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी करना | Issue of Licences for Setting up of Industries in Adivasi areas. | 9–13 |
| 332 | द्रुतगति से औद्योगिकरण करने हेतु संयुक्त क्षेत्र | Joint Sector for rapid Industrialisation | 13–15 |
| 334 | विदेशों से लौटने वाले अर्हताप्राप्त डाक्टरों, इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों की सहायता के लिए बंगलौर में "असिस्ट" नामक संगठन की स्थापना | Organisation "ASSIST" set up in Bangalore to help Qualified Doctors, Engineers, Scientists and Technician returning from abroads | 15–16 |
| 336 | पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया | Response to incentives to start Industries in Backward areas. | 16–17 |
| | **अल्प सूचना प्रश्न** | **SHORT NOTICE QUESTION** | |
| 3 | श्री ओंकार सिंह की बलबीर नगर, शाहदरा (दिल्ली) में कथित हत्या | Alleged Murder of Shri Onkar Singh at Balbir Nagar, Shahdara (Delhi) | 17–34 |
| | **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. No. | | | |
| 321 | चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में स्थापित परियोजनाएं | Projects set up in Orissa during Fourth Plan | 35 |
| 323 | रेडियम किरणों द्वारा औषध उत्पादों को कीटाणु रहित करने के लिये संयंत्र की स्थापना | Setting up of Plant for Sterilising Medical Products through Irradiation | 35 |
| 325 | आसाम में विदेशी नागरिकों का प्रवेश | Entry of Foreigners in Assam | 36 |


*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of the Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.



1—15 L.S.S (ND)/72

| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 326 | औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के लिये स्थान का सुझाव देने के लिए आयोग | Commission for Suggesting Location for Industrial Units . . | 36–37 |
| 329 | प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने पर समाचारपत्रों के प्रकाशकों को दण्ड | Punishment to News Paper Publisher for Non-submission of Annual Statements under Press and Registration of Books Act, 1867. | 37 |
| 330 | खादी ग्रामोद्योग आयोग को केन्द्रीय सहायता | Central Assistance to Khadi and Village Industries Commission. | 37 |
| [ 331 | आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' तथा 'टाक' कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकतम मानदेय प्राप्त करने वाले पहले तीस व्यक्तियों के नाम | Names of First Thirty Persons Receiving Maximum Honorarium under 'Spot Light' and 'Talk' Programmes of AIR . . . | 38 |
| 335 | स्वतंत्रता सेनानियों को होने वाली कठिनाइयां | Difficulties experienced by Freedom Fighters . . . | 38 |
| 337 | नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से गुजरात स्थानान्तरित करना | Shifting of Salt Commissioner's Office from Jaipur to Gujarat . | 38 |
| 338 | पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना | Setting up of Industries in Backward Areas . . . . | 38–39 |
| 339 | धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून | Legislation to Prohibit Religious Conversions . . . . | 39 |
| 340 | जून, 1972 में दिल्ली कोआपरेटिव बैंक, दरियागंज, दिल्ली के कर्मचारियों को लूट लिया जाना | Robbery Committed on Employees of Delhi Cooperative Bank, Daryaganj, Delhi in June, 1972 . | 39 |
| **अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.** | | | |
| 3180 | मध्यप्रदेश के बड़े और छोटे उद्योग | Large and Small Scale Industries in Madhya Pradesh . . | 40 |
| 3181 | गृह कल्याण केन्द्र में अध्यापकों के वेतन-क्रम | Grades of Pay for Teachers in Grih-Kalyan Kendra . . | 40–41 |
| 3182 | मध्यप्रदेश में किराये के भवनों में विद्यमान डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण | Construction of Buildings in Madhya Pradesh for Post Offices housed in rented buildings . | 41 |
| 3183 | महाकौशल (मध्यप्रदेश) में मध्यम दर्जे के और लघु उद्योग | Medium and Small Scale Industries in Mahakaushal (M.P.) . . | 41–42 |
| 3184 | बोकाजन सीमेंट कारखाना, आसाम | Cement Factory Bokajan, Assam. | 42–43 |
| 3186 | प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन | Change in the Administrative set-up . . . . . | 44 |
| 3188 | त्रिवेन्द्रम और कोचीन में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के लिये प्रस्ताव | Proposal for T.V. Stations at Trivandrum and Cochin . . | 44 |
| 3189 | आसाम में उद्योग | Industries in Assam . . . | 44–45 |
| 3190 | आसाम के उद्योगों में विदेशी सहयोग की मंजूरी | Approval of foreign collaboration in Assam Industries . . | 45 |
| 3191 | औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य | Price of Industrial Raw Material | 45–46 |

| अता० प्र० संख्या। U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3192 | आसाम में डाक घर, उपडाक घर खोलने तथा सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये आवेदन पत्र | Applications for opening Post Offices, Sub-Post Offices and Public Call Installations in Assam . | 46–47 |
| 3193 | कैदियों को सजा में छूट | Grant of Remission to Prisoners. | 47 |
| 3194 | पश्चिम बंगाल में ढलाई के कारखानों का बंद होना | Closure of Foundries in West Bengal . . . . . | 47–48 |
| 3195 | नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्थान | Location of New I.T.I. Units. . | 48 |
| 3196 | पालघाट में सुक्ष्म उपकरण कारखाना | Precision Instrument Project in Palghat . . . . . | 48 |
| 3197 | आन्ध्रप्रदेश का योजना परिव्यय | Plan Outlay for Andhra Pradesh. | 48–49 |
| 3198 | शिखर समझौते के पश्चात शेख अब्दुल्ला का प्रधान मंत्री को पत्र . | Sheikh Abdullah's Letter to P.M. after Summit Agreement. . | 49 |
| 3199 | केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान द्वारा प्रयोगशाला जांच | Laboratory Investigation by Central Fuel Research Institute . | 49–50 |
| 3200 | विभिन्न ब्राण्डों के टेलीविजन सैटों के मूल्यों में अन्तर . | Variation in Prices of T.V. Sets of Different makes . . . | 50 |
| 3201 | आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण | Price Control of Essential Commodities . . . . . | 50 |
| 3202 | जाली स्कूटर कारखाने द्वारा उत्तरी भारत के लोगों को ठगना | Cheating of North Indians by a Bogus Scooter Factory . . | 50 |
| 3203 | विभिन्न राज्यों तथा नगरों में शिक्षित महिलाएं तथा पुरुष | Educated Women and Men in various States and cities . . | 51 |
| 3204 | यमुना नदी, दिल्ली पर रेल व सड़क पुल को पार करने के बारे में प्राथमिकता | Priority in Crossing Rail-*cum*-Road Bridge over Jamuna River, Delhi. | 51 |
| 3205 | शिमला समझौते के बाद जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी तोड़फोड़ करने वाले | Pak Saboteurs in Jammu and Kashmir after Simla Agreement . | 51–52 |
| 3207 | महाराष्ट्र-मैसुर सीमा | Maharashtra-Mysore Boundary . | 52 |
| 3208 | प्रत्यापित सम्वाददाताओं का कार्य | Working of Accredited Correspondents . . . . . | 52 |
| 3209 | शिक्षित बेरोजगारी के लिये राज्य सरकारों की योजनाएं | State Government Schemes for Educated Unemployed . . | 52–53 |
| 3210 | गत दो महीनों में पाकिस्तानी गुप्तचरों की गिरफ्तारी | Arrest of Pak Spies during last two months . . . . | 53 |
| 3211 | भारत में विदेशी कम्पनियों में विदेशियों द्वारा धारण किए गए पदों पर भारतीयों की नियुक्ति | Indianisation of Posts held by Foreigners in Foreign Companies in India . . . . | 53 |
| 3212 | यूनाइटेड कमर्शल बैंक के भूतपूर्व कस्टोडियन के विरुद्ध जांच पड़ताल | Investigations against Former Custodian of United Commercial Bank . . . . . | 53–54 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3213 | भारत-पाक युद्ध के उपरान्त जम्मू और काश्मीर में घुसपैठियों की गिरफ्तारी | Arrest of Infiltrators in Jammu and Kashmir after Indo-Pak War. | 54 |
| 3214 | चण्डीगढ में सूत और सूती धागे पर विक्रय कर की दरें | Rates of Sales Tax on Cotton Yarn and Thread in Chandigarh . | 54 |
| 3215 | विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का गैर कानूनी कारोबार | Illegal Transactions in Foreign Exchange by Foreign Companies. | 55 |
| 3216 | वर्ष 1972–73 के लिये उड़ीसा का अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय | Annual Plan Outlay Approved for Orissa for 1972-73 . . . | 55 |
| 3217 | 'हार्ड प्लास्टिक' का उत्पादन करने के लिये राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम द्वारा तरीके की खोज | Process Exploited by N.R.D. C. for the Production of Hard Plastic. | 55 |
| 3218 | तौल और माप के लिये विधान बनाना | Legislation for Weights and Measures . . . . . | 56 |
| 3219 | खादी के क्रय में कमी | Decrease in Purchase of Khadi . | 56 |
| 3220 | कृषि उपकरणों के उत्पादन में कमी | Shortfall in Production of Agricultural Implements . . . | 56 |
| 3221 | अनुसन्धान के लिये सुविधाओं के अभाव के कारण प्रतिभा पलायन | Brain Drain due to Lack of Facilities for Research . . . | 56–57 |
| 3222 | केरल में स्कूलों में शिक्षा शुल्क का एकीकरण | Tuition Fee Unification in Schools in Kerala. . . . . | 57 |
| 3224 | बिहार के चम्पारन जिले में सीमेंट तथा नमक की कम सप्लाई | Short Supply of Cement and Salt in Champaran District of Bihar. | 57–58 |
| 3225 | केरल में विदेशी बागानों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी विधेयक | Bill on Nationalisation of Foreign owned Plantations in Kerala . | 58 |
| 3226 | रीवां डिवीजन में छोटे पैमाने के उद्योग | Small Scale Industries in Rewa Division . . . . . | 58 |
| 3227 | दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के 'इन्टक' नेता की कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित पिटाई | Alleged Beating of INTUC leader of D.E.S.U. by some persons . | 58–59 |
| 3228 | सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संबंधी असंतुलन | Imbalances in Population in Border Areas . . . . . | 59 |
| 3229 | इंजीनियरिंग एककों के क्रयादेश तथा उत्पादन | Orders and Output of Engineering Industrial Units . . . | 59–60 |
| 3230 | पूर्वोत्तर परिषद | North Eastern Council . . | 60 |
| 3231 | भारत के रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनियों का अध्ययन | Studies of companies Made by R.B.I. . . . . | 60 |
| 3232 | सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा को बढ़ा कर 30 वर्ष तक कर देना | Extension in Age Limit upto 30 years for Entry into Government Service . . . . . | 60–61 |
| 3234 | सरकार से धन वसूल करने के लिये नियोक्ताओं के हथकंडे | 'Tricks' of employers to realies money from Government . . | 61 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3235 | कलकत्ता के एक राष्ट्रीयकृत बैंक में लगभग 60 लाख रुपये की जाल-साजी | Fraud in a nationalised Bank in Calcutta involving about 60 lakhs of rupees . . . . | 61–62 |
| 3236 | पाली शहर (राजस्थान) में डाक-तार कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर | Residential quarters for Posts and Telegraphs employees in Pali city (Rajasthan) . . . . | 62 |
| 3237 | खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिये योजना | Scheme for promotion of Khadi and village industries . . | 63 |
| 3238 | क्रास बार स्विचिंग फैक्टरी का स्थापना स्थल | Location of Cross-Bar Switching Factory . . . . . | 63 |
| 3240 | गत तीन वर्षों में दिल्ली में लड़कियों के अपहरण की घटनायें | Abduction of Girls in Delhi during last Three Years . . . | 63–64 |
| 3241 | पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में प्रमुख अर्थ-शास्त्रियो में मतभेद | Difference of Opinion of leading Economists on the Approch to Fifth Plan . . . . | 64 |
| 3242 | भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड की कैंटीन का कार्यकरण | Working of Canteen of Bharat Opthalmic Glass Limited . . | 64 |
| 3243 | अधिक गति से चलने वाली साइकिलों का निर्माण | Manufacture of Bicycles of High Speed . . . . . | 64–65 |
| 3244 | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को बंगला देश में मिलाने के लिये पाकिस्तान समर्थक रजाकारों द्वारा पोस्टरों का निकाला जाना | Posters allegedly brought out by Pro-Pak Razakars for Merger of Murshidabad in West Bengal with Bangladesh . . . | 65 |
| 3245 | बिहार का विकास | Development of Bihar . . | 65 |
| 3247 | केरल में सीमेंट की कम सप्लाई | Short Supply of Cement in Kerala | 65–66 |
| 3248 | भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार | Seminar Organized by Indian Space Research Organization . | 66–67 |
| 3249 | गुजरात राज्य के लिए नमक उपकर निधि का उपयोग | Utilisation of Salt Cess Fund for Gujarat State . . . | 67–68 |
| 3250 | दक्षिण जोनल परिषद की बैठक | Southern Zonal Council Meeting | 68 |
| 3251 | डाकघरों में चोरी और लूटपाट की घटनायें | Incidents of Thefts and Robberies in Post Offices . . . | 68–69 |
| 3252 | पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनसाधारण के उपयोग की वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढाने पर जोर | Concentration during Fifth Plan on Increasing Production of Mass Consumption Items and Capital Goods . . . . . | 69 |
| 3253 | उत्तर प्रदेश के चमोली और अल्मोड़ा जिलों में जासुसी करने के आरोप में दो अमरीकियों की गिरफ्तारी | Arrest of two Americans for Spying Activities in Chamoli and Almora District of U.P. . . . | 69 |
| 3254 | दस्यु वृत्ति को समाप्त करने के लिए राज्यों की सहायता | Assistance to States to put an end to Dacoities . . . . | 69–70 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3255 | भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अवसर | Opportunity to Government Employees to appear in the IAS examination . . . . | 70 |
| 3256 | वित्तीय सहायता के लिये रायल सीमा के विधायकों द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन | Memorandum submitted by Legislators from Rayalseema to P. M. for financial Assistance . . | 70–71 |
| 3257 | बिहार में अल्पसंख्यकों की भाषायें | Languages of Minorities in Bihar | 71 |
| 3258 | मध्यप्रदेश में रीवा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए टेलीविजन केन्द्र | T V Stations for Adivasi Areas of Rewa in Madhya Pradesh . | 71 |
| 3259 | उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए संयुक्त विकास बोर्ड | Joint Development and Planning Board for the Developmet of Backward Areas of U.P. and M.P. . . . . | 72 |
| 3260 | धन की कमी के कारण किराया-खरीद योजना का बन्द किया जाना | Stoppage of Hire-Purchase Scheme due to Lack of Funds . . | 72 |
| 3261 | लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार वृद्धि करने के प्रयासों के बारे में योजना मंत्री का वक्तव्य | Planning Minister's Statements on making Efforts for ensuring Minimum Needs of the People and on Expansion of Employment | 72–73 |
| 3262 | औद्योगिक एककों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में समन्वय का अभाव | Lack of Co-ordination between Industrial Units and C S I R in regard to Scientific Research . | 73 |
| 3263 | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान तथा विकास के लिए रासायनिक उद्योग को सहयोग देने की पेशकश | Collaboration offered by C.S.I.R. to the Chemical Industry for Research and Development . | 73–74 |
| 3265 | विदेशी कम्पनियों द्वारा रेजर ब्लेडों का निर्माण | Manufacture of Razor Blades by Foreign Companies . . | 74 |
| 3266 | खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विरूद्ध शिकायतें | Complaints against Khadi and Villages Industries Commission | 74 |
| 3267 | उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास बोर्ड द्वारा वितरण करने हेतु राज्यों को धन का नियतन | Allocation of Funds to State for Distribution by Industrial Development Board for Development of Industries . . . . | 74 |
| 3268 | भारत सरकार में अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी अधिकारी | Scheduled Caste and Scheduled Tribe Class I Officers in Government of India . . . . | 75 |
| 3269 | ट्रकों की मांग | Requirements of trucks . . . | 75–76 |
| 3270 | कारों के निर्माण में सुधार करने के बारे में औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कार निर्माताओं की बैठक | Meeting of Car Manufacturers with Officers of Ministry of Industrial Development regarding Improvement in Manufacture of Cars . . . . | 76 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3271 | टिन के डिब्बे बनाने के लिए लाइसेंस जारी करना | Issue of Licence for Manufacture of Tin Containers . . . | 76 |
| 3272 | भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के आइसोटोप डिवीजन द्वारा रेडियाई भेषजों का निर्माण | Preparation of Radio-Pharmaceuticals by Isotope Division of Bhabha Atomic Research Centre. | 77 |
| 3273 | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर द्वारा निर्मित घड़ियों की लागत | Costs of Watches made by H.M.T., Srinagar . . . . . | 77 |
| 3274 | मैसूर में सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र | Letter of Intent for setting up of Cement Plant in Mysore . | 77–78 |
| 3275 | प्रयोग के तौर पर ब्रांच डाकघर को पंचायतों को सौंपना | Handing of Branch Post Offices to Panchayats on Experiemental Basis . . . . . | 78 |
| 3276 | हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशहर में कर्मचारियों को प्रतिकरात्मकता के पर्वतीय भत्ते | Compensatory Hill Allowance to Employees in Rampur Bushahar in Himachal Pradesh . . | 78 |
| 3277 | वर्ष 1972-73 के दौरान स्मृति टिकटों का जारी किया जाना | Issue of Commemoration Stamps during 1972-73 . . . | 79 |
| 3278 | डाक तथा तार विभाग द्वारा स्वतंत्रता की रजत जयन्ती का मनाया जाना | 25th Year of India's Independence Celebration by P and T Department . . . . | 79 |
| 3279 | उपग्रहों के माध्यम से संचार व्यवस्था के बारे में भारत में मानसून की समस्या | Problem of Monsoon conditions in India on Communication via Satellites . . . . . | 79–80 |
| 3280 | फ्लूडाइज्ड बेड किस्म के रिएक्टर का विकास | Development of Fluidized-Bed Type Reactor . . . . . | 80 |
| 3281 | हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड | Hindustan Paper Corporation Ltd. | 80–81 |
| 3282 | भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि० नैनी द्वारा गैस सिलिण्डरों का निर्माण | Manufacture of Gas Cylinders by Bharat Pumps and Compressors Limited, Naini . . . | 81 |
| 3283 | टैनरी एंड फूटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया | Tannery and Footwear Corporation of India . . . . . | 81–82 |
| 3284 | भारतीय समाचार पत्रों के विकास में प्रेस सूचना ब्यूरो का योगदान | Press Information Bureau's Role in the Development of Indian Press | 82–83 |
| 3285 | औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा सूती वस्त्र उद्योग को ऋण | Loans to Cotton Textile Industry by Industrial Development Corporation Ltd. . . . . | 83 |
| 3286 | देश में बेरोजगारी कम करने के लिए प्रति व्यक्ति पुंजी निवेश | Per Capita investment for reducing unemployment in the country . | 83 |
| 3287 | बड़े उद्योग गृहों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना | Industries in Backward Areas by Larger Industrial Houses . . | 83–84 |
| 3288 | उड़ीसा में यूरेनियम के निक्षेप | Uranium Reserves in Orissa . | 84 |
| 3289 | पांचवीं योजना के लक्ष्यों के बारे में डा० के० एन० राज का वक्तव्य | Statement made by Dr. K. N. Raj on 5th Plan Targets. . . | 84–15 |

| अ ता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3290 | आशय पत्रों का उपयोग | Utilisation of Letter of Intents . | 85 |
| 3291 | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिन्जौर के कार्यकरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच | C.B.I. Enquiry into Working of H.M.T., Pinjore. . . . | 86 |
| 3292 | सरकारी क्षेत्र में टायर बनाने का कारखाना | Tyre Factory in Public Sector . | 86 |
| 3293 | उद्योगों सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास के लिए धनराशि का नियतन | Allocation for Research and Development in Industries. . . | 86 |
| 3294 | मध्यप्रदेश के मन्दसौर शहर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि करना | Capacity Increase of Telephone Exchange of Mandsaur City, Madhya Pradesh . . . . | 87 |
| 3295 | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुभाग अधिकारियों की संख्या | Scheduled Caste and Scheduled Tribe Section Officers in C.S.I.R. | 87 |
| 3296 | राजस्थान के देहातों में पेय जल की सप्लाई | Supply of Drinking Water in Villages of Rajasthan . . . | 87–88 |
| 3297 | कारों की किस्म और उनका उत्पादन | Quality and Production of Cars. | 88 |
| 3298 | केरल से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती | Recruitment to C.R.P. and C.I.S.F. from Kerala . . . . | 88 |
| 3299 | संयुक्त सलाकार व्यवस्था द्वारा विरोध किए गए अस्थाई सेवा नियम का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन | Retrospective Amendment of Temporary Service Rule—Objected to by J.C.M. . . . . | 89 |
| 3300 | सरकार की उदासीनता को देखते हुए संयुक्त सलाकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा आगे कार्य करने के लिए असमर्थता व्यक्त करना | Inability expressed by Members of National Council of J.C.M. to continue further in view of Government's Indifference . . | 89–90 |
| 3301 | उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद | U.P.-Bihar Boundary Dispute . | 90–91 |
| 3302 | पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक | Eastern Zonal Council Meeting . | 91–92 |
| 3303 | जबलपुर गन फैक्टरी में डाका | Robbery at Jabalpur Gun Factory | 92 |
| 3305 | हिन्दुस्तान मशीन टुल्स, श्रीनगर में घड़ियों का उत्पादन | Production of Watch in H.M.T., Srinagar . . . . . | 92–93 |
| 3306 | मशीन टल्स कारपोरेशन आफ इंडिया में उत्पादन | Production in Machine Tools Corporation of India. . . . | 93 |
| 3307 | मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध कराना | Automatic Telephone Exchange Facility in Rural Areas of Raipur District M.P. . . . . | 93–94 |
| 3310 | बंगला देश से आये शरणार्थियों पर किये गये खर्च में अनियमितताएं | Irregularities in Expenditure on Bangladesh Refugees . . | 94 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3311 | गत तीन वर्षों में उत्तीर्ण हुए आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के उम्मीदवार | Successful I.A.S. and I.P.S. Candidate during the last Three Years. | 94 |
| 3312 | फिल्म सेंसर करने की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposal for Changes in Existing System in Film-Censors . . | 95 |
| 3313 | दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था | Subscriber Trunk Dialing System for Southern States . . . | 95 |
| 3314 | पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन के लिए अतिरिक्त जिलों का चयन | Selection of Additional District for Promotion of Industries in Backward Areas . . . . | 95–96 |
| 3315 | मधुबनी, बिहार के लिये नया डाक डिवीजन बनाना | Creation of a new Postal Division for Madhubani, Bihar . . | 96 |
| 3316 | दूरदर्शन कार्यक्रम के विस्तार सम्बन्धी योजना . . | Scheme for extension of Television Programmes . . . . | 96 |
| 3317 | एक अन्य राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव | Proposal to set up another States Re-organisation Commission . | 96 |
| 3318 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र की स्थापना | Setting up of a Technology Service Centre by National Committee on Science and Technology . . | 97 |
| 3319 | तमिलनाडु उद्योग मंत्री का औद्योगिक नीति के बारे में वक्तव्य | Statement by Tamil Nadu Industries Minister Re : Industrial Policy. | 97 |
| 3320 | देवनागरी टेलीग्राफी में योग्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन | Incentive for qualifying in Devanagri Telegraphy . . . | 97–98 |
| 3321 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पास होने के विरुद्ध मुस्लिम लीग तथा अन्य मस्लिम संगठन द्वारा मनाया गया विरोध-दिवस | Protest Day observed by Muslim League and other Muslim Organisations against passage of Aligarh Muslim University Bill . | 98 |
| 3322 | बड़ी परियोजनाओं में वित्तीय संस्थानों द्वारा भाग लेने हेतु संयुक्त क्षेत्र | Joint Sector for participation by Financial Institutions in Major Projects . . . . . | 98 |
| 3323 | जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण | Industrial Survey of Districts. | 98–99 |
| 3324 | छोटे पैमाने के क्षेत्र को सहायता | Assistance to Small Scale Sector . | 99 |
| 3325 | भारत में अपराध विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान करने हेतु विधि-चिकित्सा शास्त्र के विकास के बारे में ब्रिटिश वैधिक विशेषज्ञ की सिफारिशें | Recommendations of British Forensic Expert Re : Development of Forensic Medicine for Criminological Research in India . | 99–100 |
| 3326 | चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में पदोन्नति | Promotion of Class IV employees to the grade of Lower Division Clerks . . . . . | 100 |
| 3327 | त्रिपुरा में घोषित अशान्त क्षेत्र | Disturbed area earmarked in Tripura | 101 |
| 3328 | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बनी घड़ियों की कमी | Shortage of H.M.T. Watches . | 101 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3329 | सीमेंट की कमी | Shortage of Cement | 101–02 |
| 3330 | जापला सीमेंट फैक्टरी, बिहार | Japla Cement Factory, Bihar | 102 |
| 3331 | बंगला देश के नागरिकों की भारतीय भू-भाग में घुसपैठ | Infiltration of Bangladesh citizens into Indian territory | 102 |
| 3332 | कृत्रिम रूप से बढ़ाये गये राशि वाले टेलीफोन बिल | Inflated Telephone Bills | 103 |
| 3333 | कुछ समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा जम्मू और काश्मीर में तोड़-फोड़ की गतिविधियां | Sabotage activities by certain Anti-Social and Anti-national elements in Jammu and Kashmir | 103 |
| 3334 | लद्दाख का विकास | Development of Ladakh | 104 |
| 3335 | गुजरात सरकार द्वारा टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये एक परियोजना की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए अनुरोध | Request made by Government of Gujarat for a licence to set up a project for the manufacture of T.V. Sets | 104–05 |
| 3336 | बड़ौदा में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना | Setting UP a T.V. Station at Baroda. | 105 |
| 3337 | राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये आशय-पत्रों का उपयोग | Utilisation of letters of intent issued to State Industrial Development Corporation | 105 |
| 3338 | ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कालों के लिये दूरी संबंधी टेलीफोन टैरिफ नीति का पुनरीक्षण | Revision of Telephone Tariff Policy regarding distance for local calls in Rural areas | 105 |
| 3339 | हैदराबाद में एक फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना | Setting up of a censor Board for films at Hyderabad | 106 |
| 3340 | त्रिपुरा में पुनर्वास अधिकारी के विरूद्ध आरोप | Charges Against Rehabilitation Official in Tripura | 106 |
| 3341 | 'योजना' का तेलुगु या कन्नड़ में प्रकाशन | Publishing of "Yojana" in Telgu or Kannada | 106 |
| 3342 | दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की रेन्ज | Range of Delhi T.V. Station | 107 |
| 3343 | टेलीफोन काले रिकार्ड करन वाली मशीनों द्वारा गलत आंकड़े दिया जाना | Erratic readings by Telephone Call recording machines | 107 |
| 3344 | मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर आई० पी० एस० अधिकारियों का कार्यकाल | Tenure of I.P.S. Officers of deputation to Ministries | 107 |
| 3345 | संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा सलैक्शन ग्रेड अधिकारियों की चयन सूची का प्रधान मंत्री सचिवालय को दिया जाना | Select list of Central Secretariat Service Selection Grade Officers for appointment as Joint Secretaries submitted to P.M. Secretariat | 108 |
| 3346 | लखनऊ में स्कूटर कारखाना | Scooter Plant at Lucknow | 108 |
| 3347 | प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान | Central Industrial Establishment Partapgarh (U.P.) | 108–09 |
| 3348 | लाइसेंस शुदा रेडियो और टेलीविजन सेटों की संख्या तथा उनसे अर्जित राजस्व | Number of licenced Radio and T. V. sets and Revenue earned | 109 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3349 | बिना लाइसेंस रेडियो तथा ट्रांजिस्टर | Unlicensed Radios and Transistors. | 109 |
| 3350 | राज्य सरकारों द्वारा देय दूरभाष की की बकाया राशि | Arrears of Telephone dues from State Governments . . . | 109–10 |
| 3351 | केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा दूरभाष पर किया गया व्यय | Expenditure incurred on Telephone calls by Union Ministers | 110 |
| 3352 | उड़ीसा सर्किल में इंजीनियरीं डिवीजनों का पुनर्गठन | Reorganisation of Engineering Division in Orissa Circle . | 110 |
| 3353 | बालासौर, उड़ीसा स्थित बड़े डाकघर की इमारत का विस्तार | Extension of Head Post Office building at Bhadark, Balasore, Orissa. | 110 |
| 3354 | कटक (उड़ीसा) स्थित आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार | Expansion of AIR Station at Cuttack, Orissa . . . | 111 |
| 3355 | ट्रैक्टर उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता | Idle Capacity in Tractor Industry | 111 |
| 3356 | खादी तथा ग्रामोद्योग में उत्पादन | Production in Khadi and Village Industries. . . . . | 111 |
| 3357 | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की आटोमैटिक घड़ियां | H.M.T. automatic Watches . | 111–12 |
| 3358 | तकनीकी विकास निदेशालय का पुनर्गठन | Reorganization of the Directorate of Technical Development . | 112 |
| 3359 | इलैक्ट्रानिक आयोग द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के इलैक्ट्रानिक डिवीजन को टेलीविजन रिसीवर के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने का अनुरोध अस्वीकार करना | Request made by Electronic Division of Hindustan Aeronautics Limited for a Licence to Produce Television Receivers rejected by Electronics Commission . . | 112–13 |
| 3360 | विज्ञापनों संबंधी सरकारी नीति की जांच करने के लिए समिति | Committee to examine Government Policy on Advertisements . | 113 |
| 3361 | छोटे पैमाने के उद्योगों में कच्चे माल की कमी | Shortage of Raw Material in Small Scale Industries . . . . | 113–14 |
| 3362 | प्रोद्योगिकी तथा 'पेटेन्ट डेटा' बैंक स्थापित किया जाना | Setting up of a Technology and Patent Data Bank . . . | 114 |
| 3364 | बिहार के पिछडे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र | Application for setting up of Industries in Backward Areas of Bihar . . . . . | 114 |
| 3365 | 'आल इंडिया रेडियो ट्रेल्स बिहाइन्ड रेडियो पाकिस्तान' | A.I.R. Trails behind Radio Pakistan . . . . . | 115 |
| 3366 | 54 उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग | Utilisation of Idle Capacity in 54 Industries . . . . . | 115–16 |
| 3367 | उद्योगों का अलग अलग स्थान पर लगाया जाना | Dispersal of Industries . . | 116 |
| 3368 | आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं के मुकदमों के मामलों में ढील देना | Relaxation in Enforcement of Law in Cases of trials of the Surrendered Decoits . . . . | 116 |

| अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 3369 | टेलीफोन और टेलीग्राम उपकरणों में आत्मनिर्भरता और इनकी चोरी के कारण हुई हानियां | Sufficiency of Telephone and Telegraph Equipment and Losses suffered due to its Pilferage . | 116–17 |
| 3370 | पश्चिम जर्मनी और जापान से प्रयुक्त संयंत्रों का आयात | Import of Used Plants for West Germany and Japan . . | 117 |
| 3371 | सीमेंट पर नियंत्रण | Control on Cement . . . | 117 |
| 3372 | मोटर गाड़ियों की बैट्रियों, टायरों और ट्यूबों की कमी | Shortage of Automobiles Batteries, Tyres and Tubes . . . | 118 |
| 3373 | आय-असमानता में कमी | Reduction in Income Disparities | 118–19 |
| 3374 | लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली के उपनिदेशक के विरूद्ध शिकायत | Complaint against Asstt. Director, Small Industries Service Institute, New Delhi . . . . | 119 |
| 3375 | स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह के उपलक्ष में कैदियों की रिहाई | Release of Prisoners to Mark the Independence Silver Jubilee Celebrations . . . . | 119–20 |
| 3376 | नेशनल यूनियन आफ कलकत्ता टेलीफोन्स का ज्ञापन और उनका प्रतिनिधि मंडल | Memorandum and Deputation from National Union of Calcutta Telephones . . . . | 120 |
| 3377 | पंजाब में सरकारी क्षेत्र में कारखाने | Public Sector Factories in Punjab | 120 |
| 3378 | दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ | Public Telephone Booths in Delhi | 120–21 |
| 3379 | एकाधिकारी और बड़े व्यापार गृहों की अधिकतम सीमा निश्चित करना | Ceiling on Monopolies and Big Business Houses . . . | 121 |
| **सभा-पटल पर रखे गये पत्र** | | Papers Laid on the Table . . | 121–22 |
| **राज्य सभा से संदेश** | | Message from Rajya Sabha . | 122–23 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—** | | Committee on Private Members' Bills and Resolutions— | |
| 17वां प्रतिवेदन | | Seventeenth Report . . . | 123 |
| **कम्पनी (संशोधन) विधेयक—** | | Companies (Amendment)Bill— | |
| संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव | | Motion for reference to Joint Committee . . . . | 123–26 |
| **पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक—** | | Antiquities and Art Treasures Bill— | |
| विचार करने का प्रस्ताव— | | Motion to consider— | |
| प्रो० एस० नुरुल हसन | | Prof. S. Nurul Hasan . . | 126–27 |
| श्री मनोरंजन हाजरा | | Shri Manoranjan Hazra . . | 127 |
| श्री सुधाकर पांडे | | Shri Sudhakar Pandey . . | 127–28 |
| श्रीमती गायत्री देवी—जयपुर | | Shrimati Gayatri Devi of Jaipur | 128–29 |
| श्री रुद्र प्रताप सिंह | | Shri Rudra Pratap Singh . . | 130 |
| **पिछड़े क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक केन्द्रीय विकास योजनाओं के बारे में प्रस्ताव—** | | Motion Re Separate Central Schemes for Development of Backward Areas— | |
| श्री दशरथ देव | | Shri Dasaratha Deb . . | 130–31 |

| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| श्री बी० वी० नायक | Shri B. V. Naik . . . | 131–32 |
| श्री वीरेन एंगती | Shri Biren Engti . . . | 132 |
| श्री मुरासोली मारन | Shri Murasoli Maran . . | 132–34 |
| श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट | Shri Narendra Singh Bisht . | 134 |
| श्री पन्नालाल बारूपाल | Shri Panna Lal Barupal . . | 134–35 |
| श्री के० एम० मधुकर | Shri K. M. Madhukar . . | 135 |
| श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली | Shri Paripoornanand Painuli . | 135 |
| डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | Dr. Laxminarain Pandeya . | 136 |
| श्री कुशोक बाकुला | Shri Kushok Bakula . . | 136 |
| श्री जगदीश नारायण मंडल | Shri Jagdish Narain Mandal . | 136 |
| श्री नाथू राम मिर्धा | Shri Nathu Ram Mirdha . . | 136 |
| श्री दरबारा सिंह | Shri Darbara Singh . . . | 136–37 |
| श्री टी० डी० काम्बले | Shri T. D. Kamble . . . | 137 |
| श्री शम्भू नाथ | Shri Shambhu Nath . . | 137 |
| श्री के० मालन्ना | Shri K. Mallanna . . . | 137–38 |
| श्री राजदेव सिंह | Shri Rajdeo Singh . . . | 138 |
| श्री चिरंजीव झा | Shri Chiranjib Jha . . . | 138 |
| श्री के० रामकृष्ण रेड्डी | Shri K. Ramakrishan Reddy . | 138 |
| प्रो० नारायण चन्द पाराशर | Prof. Narain Chand Parashar . | 139 |
| श्री अम्बेश | Shri Ambesh . . . | 139 |
| श्री वसन्त साठे | Shri Vasant Sathe . . . | 139 |
| श्री डी० पी० धर | Shri D. P. Dhar . . . | 139–41 |
| श्री नाथू राम अहिरवार | Shri Nathu Ram Ahirwar . . | 141 |

# लोक-सभा
## LOK SABHA

**बुधवार 23 अगस्त, 1972/1 भाद्र, 1894 (शक)**
Wednesday, August 23, 1972/Bhadra 1, 1894 (Saka)

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKAR *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### केन्द्रीय सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने सम्बन्धी निदेश पर तमिलनाडु सरकार को आपत्ति

*322. **श्री वी० मायावन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने की बारे में संयुक्त सचिवों को दिए गये केन्द्रीय सरकार के निदेशों पर तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति की है और उसे वापस लेने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी नहीं; श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री वी० मायावन :** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दी के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय निदेश है, जिसका ज़िक्र उन्होंने गत सप्ताह विधान परिषद में किया था, वह केन्द्रीय मंत्रियों तथा सचिवालय को सम्बोधन करने की पद्धति के लिये है न कि पत्र व्यवहार के लिये और उसे राष्ट्रपति ने 3 मई, 1971 को जारी किया था और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा राज्य सरकारों को भेज दिया गया था । इस अधिसूचना से भारत सरकार के 1961 के कार्य वितरण सम्बन्धी नियमों की प्रथम अनुसूची का, अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची हिंदी शब्दों का प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में संशोधन हो गया है ।

अत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि राष्ट्रपति द्वारा 3 मई को जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को भेजी गई है जिसमें मंत्रालयों तथा मंत्रियों की नामावली हिन्दी में दी गई है और यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है तथा इसमें स्थिति क्या है ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : ऐसी कोई बात नहीं है कि राज्य सरकारों को कोई ऐसा निदेश दिया गया है कि वे केन्द्रीय मंत्रियों को हिन्दी में संबोधन करें । ऐसी किसी बात का प्रश्न ही नहीं उठता । पता नहीं किस प्रकार ऐसी धारणा बनाई गयी है । जहां तक विभिन्न मंत्रालयों की नामावली का प्रश्न है, सदन को पता है कि यह समस्या उठायी गई थी परन्तु संतोषप्रद ढंग से इसका समाधान कर लिया गया था तथा सदन में व्यक्त किये गये विचारों की दृष्टि से व्यवस्था में संशोधन किये गये थे । मेरे विचार से उस अधिसूचना के सम्बन्ध में भी कोई आपत्ति नहीं है ।

**श्री वी० मायावन** : क्या ये संशोधन गैर-हिंदी भाषी राज्यों को नेहरू जी द्वारा दिये गये आश्वासनों से सामंजस्य रखते हैं ? क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इन नामावलियों को प्रयोग करने के लिये कठोर निदेश दिये हैं और इनका प्रयोग न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी दी है ।

**श्री राम निवास मिर्धा** : ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किये गये हैं जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी दी गई हो । जैसा कि मैंने पहले बताया है, सदन में ही समस्या का समाधान निकाला गया था । अनुशासनात्मक कार्यवाही करने जैसी कोई बात नहीं है । सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा इन आदेशों के पालन की आशा की जाती है । ऐसी कोई समस्या नहीं है कि किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये । ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसी कार्यवाही करने का यह कोई अवसर नहीं है ।

**श्री वी० मायावन** : क्या इनका गैर हिन्दी भाषी राज्यों को नेहरूजी द्वारा दिये गये आश्वासनों से सामंजस्य है ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : भाषायी नीति के सम्बन्ध में जो कुछ किया जा रहा है वह एक संकल्प द्वारा व्यक्त की गयी सदनों की इच्छाओं तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू के आश्वासनों से सामंजस्य रखती है ।

**श्री सेझियान** : राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन के सम्बन्ध में, सदन में गत वर्ष जो आश्वासन दिया गया था मंत्री महोदय ने उसे स्मरण कराकर अच्छा किया है । उसमें बताया गया था कि अंग्रेजी के नामों को हिन्दी में परिवर्तित करके कोष्ठ में रोमन लिपि में लिखा जायेगा । इसके पश्चात सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि अंग्रेजी के नाम भी रहेंगे और कोष्ठ में हिन्दी में नाम लिखे जायेंगे । अब इसके विपरीत, संसद सदस्यों तथा जनता से जो पत्र व्यवहार होता है उससे पता चलता है हिन्दी नाम या तो देवनागरी लिपि में लिखे जाते है या रोमन में । उदाहरण के लिये मुझे एक पत्र मिला है, जो मुझे ही लिखा गया है, उसमें प्रत्येक बात हिन्दी ही में लिखी गई है । यह पता नहीं पत्र किसने भेजा है । एक दूसरा पत्र भी यहां मेरे पास है जो तमिलनाडु में तंजोर जिले के एक व्यक्ति को लिखा गया था उसमें हिन्दी नामों का प्रयोग किया गया है —भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व) . . . . मुझे इसका भी पता नहीं चला कि पत्र कहां से भेजा गया है । उसका अंग्रेजी पाठ नहीं दिया गया है ।

यहां जो आश्वासन दिया गया था, कि नाम अंग्रेजी में लिखे जायेंगे तथा उनके साथ-साथ हिन्दी नाम देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे, उसका अनुसरण क्यों नहीं किया जाता है ? उस आश्वासन का क्या हुआ ? तमिलनाडु में एक मंत्री ने यह बताया है कि उनसे जो पत्रव्यवहार किया जाता है उसमें विभागों आदि के नाम हिन्दी में लिखे होते हैं. मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि अभी-अभी जिस राष्ट्रपति के आदेश के संशोधन का जिक्र किया गया है उसे भाव तथा भाषा में कहां तक कार्य रूप दिया गया है ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : जैसा कि मैंने बताया सरकार की इच्छा है, और हमने इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी कर दिये हैं, कि सदन में जो आश्वासन दिया गया है उसका पूरी तरह पालन किया जाये । माननीय सदस्य ने कुछ उद्धरण दिये हैं ? यदि वह वे पत्र मुझे दें, तो मैं विस्तार से जांच करूँगा ।

कि उनमें क्या कमी है और क्या वे दिये गये आश्वासनों के विपरीत है साथ ही हम मामले को ठीक करने के लिया कार्यवाही करेंगे ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या हिन्दी के प्रयोग पर आन्ध्र प्रदेश ने भी कोई आपत्ति उठायी है और यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार देश की सभी राज्य सरकारों को हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रति सहमत करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न तमिलनाडु के विषय में है आंध्र प्रदेश के विषय में नहीं । यदि मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके] अनुपूरक प्रश्न की सम्बद्धता के विषय में निर्णय कर रहा हूं ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : तमिलनाडु में 85 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी चाहते है... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं ।

**Shri Ram Singh Bhai** : The Government in Tamil Nadu has always been opposing the Central Government policy regarding Hindi. May I know whether Government have seriously considered any further action in this regard?

**Mr. Speaker**: It appears that you have not gone through the question thoroughly. You may ask a question regarding the use of Hindi.

**Shri Jharkhande Rai** : May I know whether the Government of India have ever issued instructions to the State Governments including Tamil Nadu that each state, if it so desires can address the Central Government in its mother tongue?

**Shri Ram Niwas Mirdha** : The Central Government have not issued any orders to State Governments regarding language issue. The language policy is only meant for the business of the Central Government. It has been left to the State Governments to adopt their desired language policy for their business.

**Shri Jharkhande Rai** : I wanted to know whether the State Governments can use their regional languages in correspondence with the Centre? Is there any order to to this effect?

**Shri Ram Niwas Mirdha** : The business of the Central Government is transacted in both the languages—English as well as Hindi. If the communications are received in Hindi efforts are made to reply in the same language. But there are two official languages. Hindi and English. Therefore, there is no question of making correspondence in languages other than Hindi or English.

**श्री ज्योतिर्मय बसू** : इस बात के प्रति सभी ने सहमति प्रकट की थी कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा गैर हिन्दी भाषी राज्यों के बीच पत्र व्यवहार में, जब तक राज्य सरकार हिन्दी में पत्रव्यवहार करना नहीं चाहती, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा । प्राप्त होने वाली उच्च स्तरीय शिकायतों को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय मामले की जांच कराने पर विचार करेंगे तथा इस सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट करेंगे जिससे सारे मामले की विस्तृत जांच की जा सके और इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके ।

**श्री राम निवास मिर्धा** : यह बात बिल्कुल साफ है कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है । हम सदन द्वारा पारित संकल्प के किसी उपबन्ध तथा यहां दिय गये आश्वासनों के विपरीत कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया बताया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि केन्द्रीय मंत्रियों को सभी पत्र हिन्दी में लिख जायें । यह बात गलत है । हमने ऐसे कोई निदेश नहीं दिये है ।

## मध्य प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण

*324. **श्री गंगा चरण दिक्षित :**
**श्री अरविन्द नेताम :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश का कोई औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** :(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) जी, हां । हाल ही में भारत के औद्योगिक विकास बैंक, भारत के औद्योगिक वित्त निगम और आई०सी०आई०सी० और रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा स्थापित किए गए संयुक्त संस्थागत अध्ययन दल (ज्वाईंट इन्स्टीट्यूशनल स्टडी टीम) ने राज्य का सर्वेक्षण किया था और इसकी औद्योगिक संभाव्यता के संबंध में एक रिपोर्ट तयार की थी ।

(ख) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य में स्थित होने के कारण पड़ोसी क्षेत्रों में माल की खपत का लाभ मिलता है और सामरिक दृष्टि से सुरक्षा, खनिज संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार विशेषरूप से लौह अयस्क विस्तृत क्षेत्र में विपुल वन संसाधन, काफी अच्छी खाद्य स्थिति और इसके साथ ही कृषि उत्पादन बढाने के लिए अत्यधिक गुंजाइश, जनसंख्या का कम घनत्व, फालतू विद्युत और इन सबसे बढ़कर भिलाई इस्पात और हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड (भोपाल) जैसा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में गए भारी विनियोजन आदि ऐसी प्रमुख बात है जिनसे राज्य में उद्योगीकरण के लिए वातावरण उत्पन्न हो गया है । दूसरी ओर अपेक्षाकृत पिछडी अर्थव्यवस्था और उस पर प्रति व्यक्ति निम्न आय और आय बढ़ाना, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक परम्परा का अभाव, क्षेत्र की विशालता को देखते हुए अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था, और उसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का विद्रोहन और उत्पाद का विपणन कठिन होना अपेक्षाकृत है। महंगी विद्युत, स्थानीय लोगों द्वारा जोखिम उठाने को कमी और प्रशिक्षित और दक्ष श्रमिकों की कमी मुख्य रूकावटें रही हैं जिनसे राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । आने वाले वर्षों में औद्योगीकरण की गति, जिसके लिए राज्य के पास निस्सन्देह असीमित संभाव्यता है अधिकांश में इस पर निर्भर करती है कि इन रुकावटों को कितनी जल्दी हटाया जा सकता है और अनकूल चीजों से लाभ उठाया जा सकता है । इन पर सर्वेक्षण में उन औद्योगिक परियोजनाओं का भी पता लगाया गया है जिनके निकट भविष्य स्थापित होने की आशा है ।

इस रिपोर्ट की अभी राज्यसरकार द्वारा जांच की जा रही है और इस पर आगे की कार्यवाही करने की नीति को अंतिम रूप देने के लिए निदेश समिति द्वारा जल्दी ही चर्चा की जायेगी ।

**Shri G. C. Dixit :** It has been mentioned in the state ment that due to its Central Geographical position there is much scope of industrial development in Madhya Pradesh. May I know the time by which steps would be taken in this regard and, if not, the reasons therefor ?

**Shri Siddheshwar Prasad:** Besides other things, it has been clearly stated in the statement placed on the table of the House that the handicaps like inadequate transport, lack of industrial tradition, relatively costly power structures and efforts of the state Government to create a climate for industrialisation are some of the factors which need special

attention for the industrial development of Madhya Pradesh. These handicaps are being removed one by one and after they are removed, we will takeup a programme of rapid development.

**श्री. राम सहाय पांडे :** औद्योगिक विकास तथा अन्य आर्थिक पहलुओं को दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश समझा जाता है ।ऐसे बस्तर जैसे कुछ जिले ऐसे हैं जहां बांस जैसा कच्चा माल उपलब्ध है । जून के प्रथम सप्ताह में माननीय प्रधान मंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया और वहां उन्होंने आदिवासियों को दयनीय स्थिति देखी । क्या क्षमता का पता लगाने तथा कागज का एक कारखाना स्थापित करने के लिय किसी फर्म को आशयपत्र जारी किया गया है ? यदि आशयपत्र किसी गैर सरकारी फर्म को दिया गया है तो सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** जहां तक बस्तर जिले का प्रश्न है, यह एक पिछड़ा हुआ जिला है और वहां कागज उद्योग के लिये उपयुक्त कच्चा माल उपलब्ध है । उद्योगों के बांगूर ग्रुप को संयुक्त क्षेत्र में आशय पत्र दिया गया है । हमें आशा है कि पिछड़े हुये जिले बस्तर में यह उद्योग स्थापित हो जायेगा ।

**श्री राम सहाय पांडे :** इस कागज मिलनें नवीनतम मशीनें लगायी जायेंगी और इस प्रकार स्वचालित मशीनों के इस कारखाने में रोजगार के लिये कोई अवसर नहीं होगा । क्या आशय पत्र जारी करने से पहले सरकार ने रोजगार क्षमता का पता लगाया था ? मध्य प्रदेश के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है ।

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** रोजगार क्षमता आदि का प्रश्न बिल्कुल ही एक भिन्न प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य इस विषय में कोई विशिष्ट जानकारी चाहते हैं, तो वह अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

**Shri Hukumchand Kachwai :** May I know whether the attention of the Government has been drawn to the statement made by the Chief Minister of Madhya Pradesh that at least two new industries will be set up in each district of the State? Have Government of India received any letter from Madhya Pradesh in this regard? In view of water and other adequate facilities being available and in view of inadequate transport there, may I know the number of roads proposed to be constructed during the Fourth Five Year Plan and whether any target has been fixed? What is the reaction of the Central Government to the statement made by the Chief Minister of Madhya Pradesh and how many industries are proposed to be set up with central assistance.

**Shri Siddheswar Prasad :** I have not seen such statement by the Chief Minister. The statement placed on the Table is based on the report submitted by the Joint Survey Team set up by IDBI, IFCI, ICICI and Reserve Bank. There in the report, a mention has been made of certain barriers affecting the rapid industrial growth of Madhya Pradesh. Therefore, a time is being decided by the said team to discuss these things with Madhya Pradesh Government on the basis of this report.

**Shri Hukumchand Kachwai :** May I know the number of roads proposed to be developed during Fourth Five Year Plan in Madhya Pradesh and whether any target has been fixed in this regard?

**Shri Siddheswar Prasad:** As regards the development of roads only the Ministry of Transport can tell you specifically.

**श्री डो० बसुमतारी :** कच्चा माल उपलब्ध होने के कारण आदिवासी क्षेत्र में जहां कहीं भी कोई उद्योग स्थापित किया जाता है, आदिवासियों को उनके घर बार से निकाल दिया जाता है । जब ऐसी बात है तो क्या मंत्री महोदय ने योजना आयोग से इस विषय में बातचीत की है कि जहां ऐसी परियोजना स्थापित की जाये वहां से निकाले गये व्यक्तियों को भूमि के बदले भूमि देकर पुनर्वासित किया जाये ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** ऐसे जिलों में जहां कहीं उद्योगों की स्थापना की जाती है वहां के निवासियों के पुनर्वास के लिय एक कार्यक्रम बना हुआ है । यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कोई विशेष परियोजना है और उस विषय में वह कोई बात उठाना चाहते है तो वह एक अलग श्न पूछ सकते हैं ।

**श्री डी० बसुमतारी** : बैलाडिला की क्या स्थिति है ? वहां से बहुत से लोगों को निकाला गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मध्य प्रदेश के विषय में है । आपको यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मंत्री महोदय को सभी प्रकार की सूचनायें देनी होंगी, प्रश्न पूछते समय ऐसी बात मस्तिष्क में नहीं रखनी चाहिये ।

**Shrimati Sahodrabai Rai** : May I know whether any cement factory is going to be established in Sagar or in Damoh in Madhya Pradesh, if so, when?

**Shri Siddheswar Prasad** : I have got no information in this regard.

## समाचार पत्रों के नियन्त्रण और उनके स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में भारतीय प्रस परिषद् की सिफारिशें

*327. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के नियंत्रण और उनके स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में भारतीय प्रैस परिषद ने कुछ सिफारिशे की हैं ;

(ख) क्या उन सिफारिशों को विचार के लिए और आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को भेज दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रैस परिषद की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)**: (क) तथा (ख) : पता लगा है कि प्रैस परिषद इस मामले पर विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : गत वर्ष बजट सत्र के दौरान सरकार ने वर्ष 1954 में प्रैस परिषद द्वारा की गई सिफारिश को कार्यरूप देने के लिये कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का अपना इरादा ज़ाहिर किया था । सभा में दिये गये आश्वासन को पूरा न कर सकने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल)** : माननीय सदस्य ने प्रैस परिषद को प्रैस आयोग के साथ मिला दिया है । यह प्रश्न प्रैस परिषद के बारे में है **(व्यवधान)**

**श्री योतिर्मय बसु** : मेरा अभिप्राय प्रैस आयोग से था ।

**श्री आई० के० गुजराल** : मुझे यह नहीं पता कि उनका अभिप्राय क्या है । कठिनाई यह है कि उनका प्रश्न प्रैस परिषद के बारे में है और उसका उत्तर दे दिया गया है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष के अन्त में ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिये मंत्रियों की एक समिति बनाई गई थी ? प्रधान मंत्री ने इस वर्ष मई में विलम्ब के बारे में खेद व्यक्त करते हुए संसद को आश्वासन दिया था कि समिति अपना काम समाप्त करने वाली है । मंत्रियों की समिति में 8 महीने की चर्चा के बाद एक व्यापक विधेयक तैयार किया गया है जो वास्तव में . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : उपरोक्त विधेयक को स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं ? जनता पर यह प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये कि सरकार पर समाचार-पत्र उद्योगपतियों का दबाव पड़ रहा है ।

**श्री आई० के० गुजराल** : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने जब अनुपूरक सामग्री तैयार की थी, तो वह मुख्य प्रश्न को भूल गये थे। मुख्य प्रश्न प्रैस परिषद में चर्चा से सम्बन्धित है।

मैं फिर कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है और सरकार के इरादों और वचनों की सभा को जानकारी है **(व्यवधान)**

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : गत वर्ष मई में प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने भी कहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह विधेयक इस सत्र में पास हो जाना चाहिये था। अतः अब जो कुछ कहा जायेगा, हम उसे संदेह की दृष्टि से देखेंगे। वह विधेयक इस सत्र में न लाये जाने के क्या कारण हैं? हम इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

**श्री आई० के० गुजराल** : सरकार ने इस सम्बन्ध में कहीं कोई वचन नहीं दिया है कि इस सत्र में विधेयक लाया जायेगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है और सरकार अपने वचन पर दृढ़ है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : उन्होंने सभा को एक बार फिर गुमराह किया है। इसका उल्लेख समाचार भाग 2 में था जिसमें इस सत्र में चर्चा किये जाने वाले विधेयकों की सूची दी गई थी। फिर मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सरकार ने कभी कहा ही नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु इस सत्र में लाने का वचन नहीं दिया गया।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इसको समाचार भाग–2 में शामिल किया गया था। मैंने इस मामले को सभा में उठाया था और आपको याद होगा कि इन्होंने क्षमा याचना की थी, आज यह दूसरी बात कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि बड़े व्यापार गृह इन पर दबाव डाल रहे हैं और अब यह टालमटोल कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न काल है। आप प्रश्न करने के बाद बैठ जाइये।

**श्री आई० के० गुजराल** : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने बेबुनियाद आरोप लगाये हैं। मैं इस बात को दृढ़ता से कह सकता हूँ कि न कोई बड़ा व्यापार गृह सरकार पर दबाव डाल सकता है और न ही माननीय सदस्य सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। सरकार अपनी नीतियों पर दृढ़ है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्री ज्योतिर्मय बसु ने ठीक ही कहा है कि उपरोक्त विधेयक को इस सत्र की बुलटिन में सम्मिलित किया गया था। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि उन्होंने वचन नहीं दिया था परन्तु इस सत्र के लिए सभा के कार्य की सूची में सम्मिलित किये जाने के कारण हमने सोचा कि उसे इस सत्र में लाया जायगा। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब मंत्रियों की समिति ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है और उस समिति में श्री गोखले और श्री कुमारमंगलम् जैसे सुप्रसिद्ध वकील मंत्री थे, तो अब उस विधयक को पुरःस्थापित करने में क्या बाधा है। फिर इसका प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है, जो सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार कर सकती है?

**श्री आई० के० गुजराल** : माननीय सदस्य विचित्र बात कर रहे हैं कि सरकार अपनी नीति निर्धारित किये बिना विधयक को पुरःस्थापित कर दे। सरकार प्रवर समितियों में अपनी नीति निर्धारित नहीं करती है। जब सरकार कोई विधेयक पेश करती है। तो वह उसपर दृढ़ रहती है। प्रवर समिति में कोई छोटा मोटा समायोजन किया जा सकता है, मंत्रियों की समिति नियुक्त की गई थी। उसने विचारविमर्श किया है। परन्तु मंत्रियों की समिति ने विधयक के अन्तिम प्रारूप के बारे में जो हमें दिया गया है, विचारविमर्श नहीं किया है।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र :** मंत्री महोदय ने कहा था कि प्रस परिषद इस मामले पर विचार कर रही है। क्या प्रैस परिषद अपने आप इस मामले पर विचार कर रही है या सरकार ने उनको नि`श दिया है? यदि सरकर ने निदेश दिये हैं तो प्रैस परिषद को किन बातों पर विचार करने के लिय कहा गया है ?

**श्री आई० के० गुजराल :** प्रैस परिषद अधिनियम में एक विशिष्ट खण्ड है कि प्रैस परिषद समाचार-पत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रोकरण आदि के प्रश्न पर विचार करेगी। अतः सरकार द्वारा निदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब प्रैस परिषद कानून मे उल्लिखित एक विशिष्ट खण्ड के बारे में विचार कर रही है।

**श्री मुरासोली मारन :** क्या यह सच है कि सरकार समाचार पत्र नियंत्रण आदेश के बारे में निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है ?

**श्री आई० के० गुजराल :** जब सरकार किसी विधेयक के रुप के बारे में अन्तिम निर्णय करती हैं तब सभी पहलुओं पर विचार करना स्वाभाविक है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना और भी स्वाभाविक है। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

**श्री समर गुह :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि यद्यपि हमारी जनता का प्रगतिशील वर्ग एकाधिकार विरोधी विधयक के पक्ष में हैं, लोगों के मन में संदेह है कि सरकार समाचार पत्रों के स्वामित्व और नियंत्रण के विकेन्द्रीकरण का प्रयत्न करने में परोक्ष रूपसे स्वयं समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रही है ? अतः क्या विधेयक का प्रारूप तैयार करने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आम जनता और बुद्धिजीवी वर्ग तथा अन्य लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जायेगा ?

**श्री आई० के० गुजराल :** विधेयक का मसौदा तयार करते समय जनता के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा और जब वह सभा में प्रस्तुत किया जायेगा तब जनता की राय का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य हमें बता सकते हैं कि जनता की प्रतिक्रिया क्या है। जहा तक विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिये। समाचार पत्रों की स्वाधीनता कायम रखने के लिये यह सरकार वचनबद्ध है।

**श्री हरि किशोर सिंह :** क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार अपनी नीति निर्धारित करने में कितना समय लगायेगी ?

**श्री आई० के० गुजराल :** जहा तक नीति निर्धारण का सम्बन्ध है, वह माननीय सदस्य को विदित है। नीति निर्धारित हो चुकी है। अब विधेयक का प्रारूप तैयार करने और उसको सभा में पुरःस्थापित करने का प्रश्न है। उसमें कुछ समय लगेगा। परन्तु मैं यह वचन नहीं दे सकता कि उसमें कितने महीने और दिन लगेंगे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि मंत्रियों की समिति ने सरकार को नीति तय नहीं की है और विधेयक पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व या प्रवर समिति को भेजने से पूर्व निति निर्धारित की जानी है। अब वह कहते हैं कि निति निर्धारित की जा चुकी है..... **(व्यवधान)**

**श्री आई० के० गुजराल :** मैंने जो कुछ कहा था, मैं उसपर अब भी कायम हूं कि मंत्रियों की समिति ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को भेजे गये अन्तिम प्रारूप पर विचार नहीं किया है। मैंने नीति की बात नहीं की थी।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा अन्य समाचार एजंसियों को निगम में बदलने सम्बन्ध कार्य में इसलिये विलम्ब हुआ था कि वे समाचार पत्रों के स्वामित्व और नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी विधेयक लाने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं यह पूछना चाहता हूं

कि जब प्रैस परिषद ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी, फिर प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया को सरकारी निगम के रूप में बदलने में विलम्ब के क्या कारण है ?

**श्री आई० के० गुजराल** : प्रैस परिषदने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : प्रेस आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहिये और उसे निगम बना देना चाहिये। श्रीमती नन्दिनी सत्पथी जब सूचना और प्रसारण मंत्री थी; तब उन्होंने सभा को बताया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

**श्री आई० के० गुजराल** : प्रैस आयोग ने सुझाव दिया था और प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के संदर्भ में कुछ कदम उठाये गये थे। हमने भी महसूस किया था कि कुछ और कायवाही की जानी चाहिये और उपरोक्त विधेयक में समाचार एजेंसियों के बारे में भी व्यवस्था की जायगी।

**Issue of Licences for Setting up of Industries in Adivasi Areas**

*328. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any fresh decision has recently been taken to issue licences for the industrial development of backward areas and if so, the main features thereof;

(b) the names of the backward Districts in the country inhabited by Adivasis, where industries have been set up in public and private sectors;

(c) whether any industry has been set up in Adivasi areas of Rajasthan; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad)** : (a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) It is the accepted policy of the Government to give preferential treatment to applications from backward areas, subject to considerations of techno-economic feasibility and within the overall framework of industrial licensing policy.

(b) to (d) The available information relating to industries established in backward districts having Adivasi population is as follows :—

| Name of District | Name of Industry |
|---|---|
| Udaipur . . . . . | (i) Cement factory and<br>*(ii) Zinc Smelter |
| Chittorgarh . . . . . | Cement factory; another cement unit likely to be set up |
| Sirohi . . . . . | *One cement unit likely to be set up |
| Dungarpur . . . . . | Letters of intent for glass bottles and container plant have been granted |

**Shri M. C. Daga** : My question was whether industries will not be set up in the Adivasi areas where economic and technical resources are not available, because where natural resources available in Adivasi Areas Industries could be set up. The hon'ble Minister has stated in his reply that Adivasi areas cannot be developed in the absence of technical and economical resources. I would like to know as to who will provide economic and technical resources—Government or Adivasi people ?

*Public Sector.

**Shri Siddheshwar Prasad** : I have stated in my reply that Government's policy is to give preference to set up industries in backward areas. I have not said that industries will not be set up.

In so far as Rajasthan is concerned, there are four Adivasi districts, *viz*, Udaipur, Chittorgarh, Sirohi and Doongarpur. Industries have been set up in all these districts. There is cement and Zinc Smelter industry in Udaipur, a cement factory in Chittorgarh and some more cement units are likely to be set up. A cement factory is likely to be set up in Sirohi and a glass bottles and containers manufacturing plant is proposed to be set up in Doongarpur.

**Shri M. C. Daga** : An oil refinery was proposed to be set up in Sawai Madhopur where Adivasi and Scheduled caste people live, but the same in now being shifted to some other place.....

**Mr. Speaker** : Please ask the question

**Shri M. C. Daga** : I wanted to know whether Government would set up industries in the Adivasi areas where economic and technical resources are not available?

**Shri Siddheshwar Prasad** : I have told about the work done in Adivasi areas where resources are available. In areas which resources are not available, steps will be taken to provide resources to these areas.

**Shri Lalji Bhai** : The hon'ble Minister has stated that preference will be given to Adivasi areas. I wanted to know as to when preference will be given?

**Shri Siddheshwar Prasad** : Preference is being given. I have given the names of four districts where industries have been set up and are proposed to be set up.

**श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है और योजना आयोग के कार्यकारी दल ने बहुत पहल यह सिफारिश की थी कि उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, यह बात कैसे हुई है कि वर्ष 1969–70 और 1970–71 में कुल स्थापित 752 उद्योगों में से इसी अवधि के दौरान पिछड़े तथा आदिम जाति क्षेत्रों में केवल 91 उद्योगों की स्थापना की गई है ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : पिछड़े क्षेत्रों में लगाये जाने वाले उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1969 में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगो की स्थापना के लिए 17 लाइसेंस दिये गये थे तथा वर्ष 1970 में यह सख्या बढ़कर 59 हो गई और वर्ष 1971 में यह और बढ़कर 76 तक पहूच गई।

**Shri B. S. Bhawra** : I want to apprise the hon. Minister with the fact that if Punjab is industrially advanced to day, it is also a backward State. Out of the licences issued for setting up industries, the Scooter industry has been shifted to U.P. I want to know whether Punjab has become advanced from backward?

**श्री राम सहाय पांडे** : यह आप पर आक्षेप है, आप अध्यक्ष हैं तथा आप पंजाब से आये ह; पंजाब पिछड़ा क्षेत्र नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : उद्योगों की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी पिछड़े हुए हैं, इसकी इसी बात से हानि उठानी पड़ रही है, मुझे दुःख है कि मैं वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं।

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : मुझे कहना चाहिए कि पजाब विश्व में अत्याधिक उन्नत तथा प्रगतिशील राज्यों में से एक है, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय समूचे भारत में अधिक है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपके द्वारा उद्योग स्थापित करने के कारण नहीं हुआ है। इसका कारण हमारा उद्यम है. हम मेहनती लोग हैं।

**श्री राम सहाय पांडे** : पंजाबी बहुत अधिक मेहनती होते हैं।

**डा० महिपतराय मेहता** : गुजरात में कच्छ के पिछड़े जिले में अफ्रिका से आए शरणार्थियों की बड़ी मात्रा में पूंजी निष्क्रय पड़ी है, सरकार उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए इस पूंजी का उपयोग किस प्रकार करना चाहती है ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : यह एक भिन्न प्रश्न है।

**श्री डी० एन० तिवारी** : मंत्री महोदय ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के आकड़े दिये हैं। उत्तरी बिहार सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। क्या मैं जान सकता हूं कि गत 10 वर्षों में वहां कितने उद्योगों स्थापित हुए हैं ? उत्तरी बिहार के सात जिलों में बरौनी तेल शोधक कारखाने को छोड कर कोई उद्योग नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां उद्योगों को स्थापना के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं और यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : मेरे पास ब्यौरा नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में योजना बनाने के उपरान्त उत्तरी बिहार के पिछड़ जिलों में कुछ नए उद्योगों की स्थापना के लिए लायसेंस दिय गये हैं।

**श्री डी० एन० तिवारी** : मैं वहां नए उद्योग खुलने की कोई बात नहीं देख रहा हूं।

## कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक खड़े हुए माननीय सदस्य यह सोच रहे हैं कि वह अकेले ही खड़े हैं वह नहीं जानते हैं कि अन्य कई सदस्य भी खड़े हैं। इतने अधिक सदस्यों को अवसर देना संभव नहीं है। मैं पिछड़े क्षेत्र के माननीय सदस्य को अवसर दूंगा। श्री महन्ती।

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिए श्री सुब्रह्मण्यम की एकमुश्त योजना को देखते हुए पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने की नीति में कोई परिवर्तन आया है ? यदि हां, तो नीति सम्बन्धी परिवर्तन की मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्री सिद्धेश्सर प्रसाद** : हम पिछड़े जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर और अधिक जोर दे रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करके परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है....

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** : मेरे प्रश्न का उत्तर टाला जा रहा है। मैंने एक विशेष प्रश्न पुछा था। क्या श्री सुब्रह्मण्यम की स्विकृत 'एकमुश्त योजना' जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछली योजना के विपरीत है, को देखते हुए पिछड़े जिलों और पिछड़े क्षत्रों औद्योगिकरण करने की नीति में परिवर्तन लाया जा रहा है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : औद्योगिकरण कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मेरे विचार में पिछड़े क्षेत्रों में कतिपय उद्यगों की स्थापना से उनका विकास नहीं हो जाएगा तथा बड़ी आबादी के संदर्भ में उन्हे आगे नहीं बढ़ा देगा। अतएव यदि बड़ी आबादी को ध्यान मे रखा जाये तो एकमुश्त कार्यक्रम को अपनाना पड़ेगा और इसको बनाया जा रहा है।

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या यह उनका पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन है अथवा वे निष्पक्ष विचारों से प्रभावित हुए हैं ?

**Shri B. P. Maurya** : The development of Scheduled tribes areas and backward areas for the last twenty five years has been negligible. Taking their development into consideration, will the Government take into account the areas of backward regions and the population of Scheduled tribes? And taking both the points in view will the Government allocate funds separately for this purpose?

**Shri Siddheshewar Prasad** : At present, the Government have to no policy to allocate funds separately for these areas. But the Government have set up factories in these regions. Madhya Pradesh has Bhilai Steel Plant, Orissa has Rourkela Steel Plant and Chotta Nagpur, Bihar has.....

**श्री बी०पी० शौर्य** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों और अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अलग से राशि आबंटित करने की नीति बनाएगी ? व इसका ? उत्तर 'हां या नहीं' में दे ।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : जहां तक सरकार द्वारा वित्तीय राशि आबंटित करने का प्रश्न है, यह सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को ध्यान में रखकर किया जायेगा । परन्तु सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के अन्तर्गत भारी उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनकी संख्या सीमित है। अतएव आमतौर पर इसकी अभिप्राय यथासंभव पिछड़े क्षेत्रों में गैर सरकारी उपक्रमियों को लाने से है और अलग से राशि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है, परन्तु मैं स्विकार करता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों का और अधिक औद्योगिकरण करने के हमारे प्रयास के बावजूद भी वहां बुनियादी आधार पर और सुविधाओं के अभाव में, सभी प्रलोभनों के होते हुए भी औद्योगीकरण अपेक्षित रुप से नहीं हो पा रहा है परन्तु हम पिछड़े जिलों के कतिपय प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी आधार लाने तथा वहा कुछ उद्योग स्थापित करने का प्रयास करेंगे ।

**Shri Phool Chand Verma** : The main question relates to the issuing of licences for setting up industries in tribal areas. Madhya Pradesh has large number of tribals. The statement reveals that there are regions like Bastar, Sargooja, Khargaon, Jhabua where not a single new industry has been set up. An oil refinery and a switch Gear Factory were to be set up in Madhya Pradesh. But one of them has been shifted to Rai Bareilly and the othere to Allahabad. These were to be set up in Madhya Pradesh. It is a tribal area. One Third of the population there is of Adivasis and Harijans. The number of Adivasis and Harijans in highest in that province. Why not a new industry is being set up there and why the proposed industries have been shifted?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : माननीय सदस्य आदिवासियों की ओर से वकालत कर रहे हैं। इन उद्योगों से निश्चय ही आदिवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते क्योंकि इनमें विशेषकर तेल शोधक कारखानों और अन्य अत्याधुनिक उद्योगों मे अत्यधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आदिवासियों के नाम पर वे निश्चय ही उद्योगों को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं परन्तु निश्चय ही यह स्वयं आदिवासियों के लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। अतएव इसके लिये आदिवासियों को समुचित प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा तथा वहां ऐसे उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये जिससे उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। जो वहां अत्याधुनिक उदयोगों की स्थापना से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

**श्री वीरभद्र सिंह** : हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिसके बारे में मंत्री महोदय जानते हैं कि वे औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और क्या सरकार इन क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने पर विशेष ध्यान देगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक विशेष प्रश्न है, यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं तो मुझे को आपत्ति नहीं है ।

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : मुझे इसके लिए समय चाहिए ।

**डॉ० हरि प्रसाद शर्मा** : यह उत्तर स्पष्ट बताता है कि पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देना सरकार की नीति है बशर्ते कि वहां तकनीकी-आर्थिक स्थितियां सुलभ हों। सवाई माधोपुर से तेल शोधक कारखाने को आगरा स्थानान्तरण करने का एक विशेष मामला है। सवाई माधोपुर

एक पिछड़ा जिला है तथा वहां अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। वहां तकनीकी आर्थिक स्थितियों की सुलभता की कोई समस्या नहीं है। इसके बावजूद इसे सवाई माधोपुर से आगरा स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** यह प्रश्न पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया ऐसे दो पिछड़े जिले हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन दो जिलों में नए कारखाने खोलेगी?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** मुख्य प्रश्न राजस्थान से संबंधित है।

**Shri Hukum Chand Kachwai :** Please see 'b' part.

**Mr. Speaker :** I have seen it.

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** माननीय सदस्य हमसे यह आशा नहीं रखते कि हम समूचे भारत के सभी जिलों के बारे में आँकड़े रखें। यदि माननीय सदस्य इन दो जिलों में रुचि रखते हों तो वे मुझे लिख कर दें और मैं उन्हें सूचना दूंगा अथवा वे अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

## द्रुतगति से औद्योगीकरण करने हेतु संयुक्त क्षेत्र

*332. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्रुतगति से औद्योगीकरण करने हेतु संयुक्त क्षेत्र के सिद्धान्त की क्रियान्विति के लिये कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो पूंजीनिवेश के क्षेत्र में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कोई स्पष्ट निर्णय कब किया जायेगा?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

राष्ट्रीय आवश्यकता और जनहित के अनुरूप औद्योगिक विकास में तेजी लाने के विचार से फरवरी, 1970 में सरकार द्वारा घोषित औदयोगिक लाइसेन्स नीति में संयुक्त क्षेत्र की प्राक्कल्पना है जिसमें सरकारी वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त सहायता लेने वाली बड़ी परियोजनाओं में बहुतांश साझेदारी का सुनिश्चय विशेष कर नीति स्तर पर करना निहित है। इन संस्थाओं को भविष्य में अपने ऋणों और ऋण पत्रों को इक्विटी में बदलने की छूट होगी जहाँ तक पहले दिए गये ऋणों और ऋणपत्रों का सम्बन्ध है अदायगी न होने के मामलों में वित्तीय संस्थाओं को अपनी इच्छानुसार ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा। परिवर्तन सम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बैंकिंग विभाग द्वारा जारी किए गये है तथा उनकी प्रतियाँ सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं।

इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गये हैं कि जिन मामलों में राज्य औद्योगिक विकास निगम अपने लिये लाइसेन्स प्राप्त परियोजनाओं में अन्य पार्टियों को सम्मिलित करना चाहते हैं वहाँ उन निगमों को इक्विटी का कम से कम 26% विनियोजन करना अपेक्षित होगा तथा किसी भी अन्य पार्टी को 25% से अधिक इक्विटी अंश नहीं दी जायेगी।

**श्री एस० आर० दामाणी :** यह योजना द्रुत गति से औद्योगीकरण हेतु बनाई गई है। परन्तु विवरण में ऐसा कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। क्या मे इस योजना के बारे में उपक्रमियों की प्रतिक्रियाएं जान सकता हूं? क्या व इससे पूर्णतया संतुष्ट हैं अथवा उनकी कोई शर्त है और यदि उनकी कोई शर्त्त है तो वे उसे किस आधार पर हल करेंगे? दूसरा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के अंतर्गत विदेशी उपक्रमियों को भी भाग लेने की अनुमति दी जायेगी और यदि हाँ, तो क्या इस योजना के अंतर्गत विदेशी उपक्रमियों के साथ कोई समझौता हुआ है?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** संयुक्त क्षेत्र का सिद्धान्त कतिपय उद्योगों में बहुत सफल सिद्ध हुआ है और हम इस सिद्धांत को आगे ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा, सरकार ऐसे उद्योगों में नियंत्रण संबंधी नीति अपनाना चाहती है जहाँ बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन ऋण दिया गया है अथवा उसका निवेश किया गया है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए संयुक्त क्षेत्र का सिद्धान्त आरम्भ किया गया है और मुझे आशा है कि यह सफल रहेगा। चूंकि यह नया सिद्धान्त अभी हाल ही में आरम्भ किया गया है। इसलिए इसका मूल्यांकन और वास्तविक स्थिति के परिणाम कुछ समय उपरान्त मालूम होंगे।

**श्री एस० आर० दामाणी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के अंतर्गत विदेशी उपक्रमियों को भाग लेने की अनुमति मिलेगी?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** विदेशी सहयोग के लिये भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं जिनमें विदेशी सहयोग की अनुमति है।

**श्री एस० आर० दामाणी :** संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम के लिए कौन सी मदें निर्धारित की गई हैं और क्या सभी राज्यों को यह शर्त्तें और सुविधाएँ समान रूप से दी जाएँगी और क्या वे विभिन्न राज्यों में अलग अलग होंगी?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अंतर्गत हमने सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए कतिपय मदें निर्धारित की हैं। संयुक्त क्षेत्र का सिद्धांत उन मदों के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनको गैर सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र :** जहाँ तक संयुक्त क्षेत्र का प्रश्न है, एक विचार यह है कि यह सिद्धान्त औद्योगिक नीति संकल्प को आमूलचूल बदलने के लिए नहीं था। यथा गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र को छेड़ा नहीं जायेगा। क्या स्थिति यह है?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :** जी हाँ, स्थिति यह है। परन्तु जब सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से बड़ी मात्रा में धन गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाया जाता है तो यह विचार आता है कि गैर सरकारी क्षेत्र को ऋण देने के स्थान पर इसे संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम बनाया जाये। इस समय यह नीति निर्धारित की गई है। और वित्त के मामले में भाग लेने, प्रबन्ध आदि के मामले में संयुक्त क्षेत्र को चलाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक तरीको के बारे में और आगे ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

**श्री पी० गंगादेव :** अब तक संयुक्त क्षेत्र में कितने एकक स्थापित किये गये हैं और कितने अभी करने है?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न नीति निर्धारण के बारे में है, वे अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** पत्र में इस आशय का एक नया विषय है कि श्री जे० आर० डी० टाटा ने यह सुझाव दिया है कि टिस्को को संयुक्त क्षेत्र में चलाया जाना चाहिए। क्या यह सच है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम :** यह प्रश्न इस्पात मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** यह प्रश्न संयुक्त क्षेत्र के बारे में था, और मेरा प्रश्न इससे संबंधित है।

**अध्यक्ष महोदय :** वे एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि यह संबंधित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मंत्री महोदय द्वारा अभी कहे गए कथन को दृष्टि में रखते हुए कि औद्योगिक नीति संकल्प की विषय सूची को, जो बड़ी नेकनीयती के साथ बनाई गई थी, छेड़ा नहीं जायेगा, क्या वे यह बतायेंगे कि टेल्को को इस्पात का अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति किस प्रकार दी जा रही है क्योंकि यह विषय औद्योगिक नीति संकल्प के मद संख्या एक में है जो उन उद्योगों के बारे में है, जो शत प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में होने चाहिएं और केवल संयुक्त क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने की अनुमति होगी ?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम :** टेल्को इस्पात का उत्पादन नहीं करता है अपितु ट्रकों का निर्माण करता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मुझे दुःख है, मेरा मतलब टिस्को से था ..... क्या मैं आपका संरक्षण माँग सकता हूँ ?

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सारी सभा को उससे संरक्षण देना है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** आप नाराज क्यों होते हैं। हम सभा का कार्य चलाने के लिए प्रसन्न मुद्रा में हैं। मेरा तात्पर्य टिस्को से था, मैं जानता हूं कि यह जटिल प्रश्न है, परन्तु उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न सुसंगत नहीं है।

**श्री ए० पी० शर्मा :** संयुक्त क्षेत्र के कार्यकरण के बारे में नीति निर्धारित करते समय क्या प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की योजना पर भी निर्णय किया गया गया है ?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम :** यह एक भिन्न प्रश्न है। परन्तु प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की नीति स्वीकार की गई है। यह इससे संबंधित नहीं है।

**विदेशों से लौटने वाले अर्हताप्राप्त डाक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों की सहायता के लिए बंगलौर में "असिस्ट" नामक संगठन की स्थापना**

*334. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विज्ञान और औद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत वापस लौटने के इच्छुक अर्हताप्राप्त डाक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों को देश में उचित कार्य दिलाने में सहायता हेतु बंगलौर में 'असिस्ट' नामक एक संगठन स्थापित किया गया है जो बिना कोई लाभ अर्जित किए कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिभा पलायन को रोकने तथा देश में वापस लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये इस संगठन को संरक्षण प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बात क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)**: (क) जी हां।

(ख) 'असिस्ट' ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से सामान्य सहयोग के लिये अनुरोध किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने उक्त संगठन से यह स्पष्ट करने के लिये कहा है कि वह वैज्ञानिकों को अपनी सेवाओं के उपलब्ध करने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से क्या आशा रखता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री राजदेव सिंह** : क्या 'असिस्ट' की बजाय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् इस संगठन को प्रभावकारी बनाने के लिये कार्यक्रम तैयार करेगी?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : यह एक गैर-सरकारी संगठन है तथा उसने हमारी सहायता मांगी है। हमने उससे पूछा है कि उसे क्या सहायता चाहिए। हम 'असिस्ट' से यह नहीं कह सकते कि वह अपना पुनर्गठन किसी विशेष ढंग से करे। हम जानना चाहते हैं कि उनका 'असिस्ट' से क्या अभिप्राय है। अतः हमने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

## पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रियां

*336. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग चलाने के लिये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने की योजना के प्रति बहुत कम उत्साह दिखाया जा रहा है।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरंभ करने के लिये कोई वैकल्पिक योजना तैयार कर रही है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) स (ग) : चूंकि प्रोत्साहन देने की योजना कार्यान्वियन के प्रारम्भिक चरण में है, अतः अभी उसके परिणामों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया जा सकता। अधिकांश राज्य सरकार एसी प्रारम्भिक व्यवस्था का आयोजन कर रही हैं जिनका होना औद्योगिक वृद्धि के लिये पूर्वापेक्षित है व जिनके साथ प्रोत्साहनयोजना को लागू करने से पिछड़े जिलों म स्थापित किये जाने वाले उद् ोगों के लिये प्रेरणा मिलगी ।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : समाचार पत्रों में उक्त योजना के प्रति कम उत्साह दिखाये जाने के बारे में प्रकाशित समाचारों को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूँ कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तथा कितने लाइसेंस दिये गये हैं तथा बड़े उद्योग गृहों से कितने आवदन पत्र मिले हैं?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : उत्साह कम नहीं है। पहली अगस्त 1972 तक हमें कुल 1318 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि बड़े उद्योग गृहों से कितने आवेदन पत्र आये हैं।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : वास्तविकता यह है कि बड़े उद्योग गृह अधिक मुनाफा आजत करना चाहते हैं और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से अधिक मुनाफा नहीं मिल सकता, अतः उनकी इस योजना में कोई रूचि नहीं है। इसी कारण मैंने भाग (ग) में यह

पूछा था कि क्या सरकार कोई वैकल्पिक योजना तैयार कर रही है ? क्या सरकार इस योजना की असफलता को देखते हुये कोई वैकल्पिक योजना तैयार करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि बड़ औद्योगिक गृह इस क्षेत्र में आए। जैसा कि मैंने अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा था, यह नए उद्योगियों तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को विशेषकर केवल प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं है, वरन् 'इंफ्रास्ट्रक्चर' सम्बन्धी अन्य सुविधाएं भी देने का प्रश्न है। हमें आरम्भ किया जा रहा है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, पर्याप्त संख्या में आवेदनपत्र प्राप्त हुए तथा उनपर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हमें यह देखना है कि 1972–73 के दौरान हम इस योजना को कहाँ तक सफल बना सकते हैं। राज सहायता, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में वर्तमान अनुमान के अनुसार 1972–73 में लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हम इस पर ध्यान रखेंगे तथा यदि यह योजना सफल नहीं होती तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम उस बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए हम अन्य कार्यक्रम तैयार करेंगे।

**श्री वसन्त साठे** : इन क्षेत्रों के विकास के लिये कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई तथा मण्डियों की अत्यंत आवश्यकता है। क्या सरकार इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई योजना बना रही है जिससे लघ तथा मध्यम स्तर के उद्योगों के माध्यम से इन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रगति हो सके ?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : उद्योगों की स्थापना के पश्चात कच्चे माल की सप्लाई तथा मण्डियों सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही की जाएगी।

**श्री वसन्त साठे** : वर्तमान उद्योगों के लिय भी कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जा रही है। क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : यह भिन्न प्रश्न है। इस समय सभी चीजों की कमी है। हमें इस बात का पता है तथा औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

---

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### श्री ओंकार सिंह की बलबीर नगर, शाहदरा दिल्ली में कथित हत्या

**अ० सू० प्र० 3. श्री एच० के० एल० भगत †:**
**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली होम गार्ड के एक अधिकारी, श्री ओंकार सिंह की बलबीर नगर, शाहदरा (दिल्ली) में कथित हत्या से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**कुछ माननीय सदस्य**: विवरण को पढ़ दीजिए।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : हमें अन्य सभी विवरण प्राप्त हो गए हैं, केवल यही विवरण नहीं मिला। हमने इसे देखा तक नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : विवरण पढ़ दिया जाए **(व्यवधान)**

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मंत्री महोदय का कहना है कि उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है । अतः उसे परीचालित किया जाना चाहिये था ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसी लिये मैंने उनसे विवरण को पढ़ देने के लिए कहा है । मुझे तो यह प्रति अतः पहले मिल गई है ।

**श्री विक्रम महाजन** : कृपया नोटिस आफिस से ऐसे पत्रों को समय पर सप्लाई करने के लिये कहा जाना चाहिय । **(व्यवधान)**

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त** : 21 अगस्त को मैंने सदन में उन खेदजनक घटनाओं के बारे में कहा था जो 19 और 20 तारीख को शाहदरा में घटी थीं । कुछ घटनाएं 21 अगस्त को भी हुई थी । 21 की शाम से स्थिति शान्त रही है ।

श्री ओंकार सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में दर्ज दो मामलों की दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा स्वयं पुलिस अधीक्षक के जरिये कानून के अनुसार जांच-पड़ताल की जा रही है । सहायक उप-निरीक्षक बक्शीश सिंह, हैड कांस्टबल सुजान सिंह तथा कांस्टेबल धर्म पाल को एक मामले के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है । इस मामले में 6 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तार किया गया है ।

हिंसक भीड से निपटने के लिए पुलिस को अश्रुगैस का प्रयोग तथा लाठी चार्ज करना पड़ा । एक अवसर पर जब एक हिंसक भीड़ ने शाहदरा रेलवे पुलिस चौकी को घर लिया तो कार्यभारी अधिकारी को अपनी रिवाल्वर से गोली चलानी पड़ी । एक व्यक्ति को गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जनता के 87 व्यक्ति घायल हुए । 280 पुलिस कमचारी तथा मजिस्ट्रेट भी घायल हुए । विशिष्ट हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में 21 मामले दर्ज किये गये हैं तथा कानून के अनुसार जांच-पड़ताल की जा रही है । दिल्ली के प्रभावशाली नागरिकों ने शान्ति बनाये रखने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये बिना किसी हिचकिचाहट के पहल की है ।

सरकार ने उपद्रवों के क्रम, उन्हें रोकने तथा उनसे निपटने के लिए किये गये प्रशासनिक उपायों की यथष्ठता, पुलिस द्वारा बल प्रयोग का औचित्य, बल प्रयोग की मात्रा तथा पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों की जांच करने के लिए एक न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया है ।

**श्री एच० के० एल० भगत** : महोदय, अत्यन्त खेद और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । गत तीन-चार दिनों में भारत की राजधानी के नाम पर उस दुघटना को लेकर कलंक लगाया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने शाहदरा में होम गार्ड के एक अधिकारी की कथित हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा, आगजली और रेल की पटरी उखाड़ने की घटनाएं घटीं . . .

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया प्रश्न पूछिये ।

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैं प्रश्न ही पूछता हूं---सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति हुई, अनेक बे-गुनाह बच्चे और स्त्रियों और पुलिस के लोगों को चोटें आई तथा यमुना पार की आम जनता को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा । न्याय के लिये कुछ बातों का स्पष्ट किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

कथित हत्या 18 अगस्त, 1972 को हुई तथा कथित अभियुक्तों को 19 तारीख को गिरफ्तार किया गया । 18 तथा 19 तारीख के दौरान पुलिस स्टेशन पर सैकड़ों व्यक्तियों ने मिलकर सम्बद्ध पुलिस अधिकारी को बताया कि उक्त मामले में हत्या की गई है । मैं जानता चाहता हूं कि सचाई का पता लगाने के लिये किस अधिकारी ने क्या कदम उठाए तथा किस प्रकार के कदम उठाए गए । उसमें कितनी शीघ्रता की गई ? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थलों पर जाकर देखा है ?

क्या उसने किसी व्यक्ति से पूछताछ की ? क्या उसने कोई साक्ष प्राप्त किया? और यदि नहि तो क्यों नहीं किया? पुलिस अधिकारियों ने उक्त मामले को प्रथम दृष्टितया डाकुओं से कथित मुठभेड़ का मामला किस साक्ष पर माना ? प्राधिकारियों को प्रथम दृष्टितया क्या साक्ष प्राप्त हुआ जिससे न्यायिक जांच कराना आवश्यक समझा गया जिसकी घोषणा की गई है ? क्या उस साक्ष से दोनों क्षमतों की जांच करके शीघ्र ही कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ? क्या उस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था ? इन घटनाओं की न्यायिक जांच किये जाने के आदेश दिय गये ह । मैं न्यायिक जांच किये जाने का समर्थन करता हूं । मामले की जांच हो रही है । कथित हत्या का यह मामला न्यायिक जांच के अधिकार क्षेत्र के अन्तगत नहीं है । जनता में विद्यमान इस भावना को देखते हूए कि यदि शीघ्र ही कोई कायवाही की गई होती, तो दंग होने की विपत्ति नहो आती । मैं यह जानना चाहता हूं कि शीघ्र ही कोई कार्यवाही क्यों नहो की गई ?

मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि .....

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे है उससे ज्ञात होता है कि वह प्रो० समर गुह के पदचिन्हों पर चलने लगे हैं । मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त:** मैंने विवरण में इस बात का उल्लेख कर दिया है कि अन्य मामलों के साथ न्यायिक जांच में उन घटनाओं को रोकने तथा उनका निपटान करने के लिये प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता पर भी विचार किया जाएगा । माननीय सदस्य ने यहाँ जो प्रश्न पूछा है, उसका आशय यह है कि यदि समय पर कुछ कायवाही की जाती तो उक्त घटना की रोके जाने की सम्भावनाएं थीं । यह मूल समस्या है तथा न्यायिक जांच के अंतर्गत इस मामले की जांच की जाएगी क्या हम घटना को रोकने के लिय पर्याप्त प्रशासनिक उपाय किये गए थे या नहीं । अत: मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस मामले को न्यायिक जांच पर छोड़ दें क्योंकि मैं ऐसे मामले पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं बता सकता जिसकी न्यायिक जांच हो रही है ।

**श्री एच० के० एल० भगत :** दूसरे, गृहमंत्री ने हमे आश्वासन दिया था तथा 21 तारीख को सभा में मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की थी । उन्हे यह शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि 21 तारीख को बलवीर नगर एक्सटेंशन, लोनी रोड़ और भगवानपुर खैरा में पुलिस ने अनेक निर्दोष व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं को घरो में घुसकर पीटा है तथा जनता को भारी चोंट आई हैं । इस सम्बन्ध में क्या कायवाही की गई है ? क्या इस बारे में कोई जांच की गई तथा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** इस स्थिति में यदि मुझे श्री भगत के बारे में व्यक्तिगत उल्लेख करने की अनुमति दी जाए तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इस घटना में श्री भगत ने स्थिति को सम्भालने में बड़ी सहायता की है (**व्यवधान**) मैं यह इस लिये कह रहा हू कि बहुत से व्यक्तियों ने उस क्षत्र का दौरा घटना के बाद किया किन्तु वह घटना के दौरान वहां बहुत समय तक विद्यमान रहे । मैं यह बात इसलिये जानता हूं कि मने उनसे सम्पर्क बनाए रखा था । उन्होंने तथा अन्य व्यक्तियों ने भी मुझे यह बताया था कि बलवीरनगर में 21 तारीख को कुछ घटनाएं घटी हैं। इस इलाके में भी गए थे । श्रीमती मुकुल बानर्जी, श्रीमती शीला कौल आदि कुछ अन्य संसद सदस्योंने भी उस दिन उस इलाके का दौरा किया था ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** विपक्षी दलों के किसी सदस्य ने नहीं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैंने कहा है कि जिस दिन घटना घटी । जहाँ तक मुझे ज्ञात है कुछ जन संघी नेताओं को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के सदस्य उस इलाके में बाद में गए। सम्भत है मुझे सही जानकारी नहीं । मुझे विश्वास है कि अगर कोई नाम होंगे, तो व मुझ दे देंगे ।

जैसा कि मैं बता रहा था कि ये घटनायें मेरे ध्यान में लाई गई थीं। मगर ये भी न्यायिक जाँच के अधिकारक्षेत्र में आती हैं। 21 अगस्त को जो घटनायें हुई है, वे भी न्यायिक जाँच के क्षेत्र में आती हैं, इसलिए गलती का पता करने के लिए हमें जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी।

**श्री एच० के० एल० भगत :** श्रीमान्‌जी, यह मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है। कृपया मुझे एक अथवा दो प्रश्न और करने दीजिए। मैं बहुत संक्षेप में पूछूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** हम नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। उन्हें केवल दो प्रश्न पूछने की अनुमति है। अगर मैं आज उनके मामले में अनुमति देता हूं, तो भविष्य में भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा।

**श्री एच० के० एल० भगत :** सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। लोग यह महसुस कर रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें की गई है वे वहीं तैनात हैं, तो निष्पक्ष जाँच किस प्रकार हो सकेगी? दूसरी बात यह है कि अनेक निरपराध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या सरकार उनके मामलों पर विचार कर रही है? उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मेरे माननीय मित्र ने और मेरे अन्य मित्रों ने, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, इस मामले पर मेरे साथ चर्चा की थी। हमने इस मामले का अध्ययन किया है। मैं इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी अधिकारी के दोषी अथवा निर्दोष होने के बारे में हम पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहते। हमारे लिए ऐसा करना बहुत गलत होगा। परन्तु चूंकि यह कहा गया है अगर कुछ अधिकारी वहां नहीं होंगे, तो इससे जांच में सहायता मिलेगी, इसलिये हमने कुछ अधिकारियों को वहां से हटा दिया है जिनमें थानेदार, एस० डी० एम० और एस०डी०पी०ओ० शामिल हैं। मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इससे अपराध का पूर्वानुमान नहीं लगा लिया गया है और न उन पर दोष लगाने से ही इसका कोई सम्बन्ध है। यह तो केवल माननीय सदस्यों की उस इच्छा के अनुरूप किया गया है, जिन्होंने यह कहा कि इससे जाँच में सहायता मिलेगी।

जहाँ तक व्यक्तियों के रिहा होने का सम्बन्ध है, कुछ को रिहा किया गया है। हमने इन मामलों की जांच करने के लिए उप राज्यपाल से कहा है और यह भी देखने के लिए कहा है कि जिन मामलों में लोगों को जेल में रखना आवश्यक नहीं है, तो उन्हें रिहा कर दिया जाय। हम यह करने में सबसे आगे होंगे कि उन्हें रिहा किया जाय। कुछ व्यक्तियों को पहले ही रिहा किया जा चुका है।

**अध्यक्ष महोदय :** डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

**Shri Laxminarain Pandeya :** Mr. Speaker, Sir. After the murder of Shri Onkar Singh and the declaration of Judicial enquiry, the Police entered the houses in Balbir Nagar and dragged the women out of their houses while they were bathing and beaten up,—the manner in which the children were beaten up is a shameful affair for you....

**An Honourable Member :** Where was Jansangh at that time?.... (*Interruptions*)..

**Shri Hukum Chand Kachwai :** You yourself indulge in such activities and attribute them to us ......

**Dr. Laxminarain Pandeya:** I had not mentioned Congress or Jansangh, I was simply stating the facts. Who is responsible for the deaths occurred after the declaration of the Judicial enquiry in this incident? Under which Police officer's orders, two companies of C.R.P. were sent there, which indulged in beating up of innocent people, whether any action has been taken against that officer?

Whether orders have been issued to release the persons who have been deliberately held up by the Police and against whom false cases have been filed and whether they would be released? As the Police files false suits, false suits have been filed against these persons also, they are harassing the people and they would continue to harass them in future as well.

No effective action was taken even 24 hours after the death of Shri Onkar Singh. The Police cooked up an imaginery incident that there was an encounter with the decoits, got it published in the papers. I would like to know as to what action has been taken against the persons responsible for this incident and against the police officers who took part in this murder? I would also like to know as to what action has been taken against the officer of Railway Force who is responsible for the death of one person?

Such incidents in the capital need to be condemned, for Government has failed to check them. The bloodshed continued for four days and Government could not check them. I would like to know as to what action is being taken to enquire into the incidents which occurred after the declaration of Judicial enquiry ?

**Shri K. C. Pant** : Mr. Speaker, Sir, it appears that the honourable member apprehends that later accidents would not be included in the Judicial Enquiry. It is not so. These incidents are covered by the judicial enquiry and they would also be enquired into. Therefore, whatever the member has said, is covered by the enquiry.

So far as beating up of the women is concerned, if it has happened, it is very much condemnable. There can not be two opinions about it. We want that the facts should come out, that is why we have ordered the Judicial Enquiry. We would have to wait for the outcome of the enquiry then only we would be able to know the whole matter.

You had asked as to under whose instructions the police was posted there on 21st instant. I do not know which officers were there. The officers of D.I.G. rank and D.C. etc. have paid visits there. Mostly senior officers were there and so far as I know the road was blocked, drums were put up, fire was set to them, some of the telephone poles were destroyed resulting in stoppage of traffic on the road. The police was sent there to clear the obstructions on the road so that traffic would be resumed smoothly. Some of the incidents occurred later on. I do not know who has done all that, but so far as I know these persons were sent there for the above mentioned purposes.

So far as Railway Police official is concerned, Magestrial Enquiry was ordered immediately, but when it was known that death has occurred due to Police firing and since Judicial Enquiry has already been ordered, this enquiry would be limited to find out the cause of death, rest of thing would be covered by the Judicial Enquiry.

**Dr. Laxminarain Pandeya** : So far as witnesses are concerned, pressure is being put on them. What is your reaction thereto?

**Shri K. C. Pant** : I have said—I do not think that such a pressure would be put up. Even then such things have happened, therefore I had told in the very beginning that three officers have been removed from that place.

**Smt. Mukul Banerjee** : Mr. Speaker, Sir, Before asking a question I would like to tell that till 2 P.M. on 21st instant.....

**Mr. Speaker** : You ask the question.

**Shrimati Mukul Banerji** : I ask the question—It is a fact that atrocities have been committed on the ladies and we feel shame for that. We want that the enquiry should be properly conducted, but we have seen that when we asked the injured ladies as to how they were injured. We were told that they came in between the struggle of their husbands with the police and thus they were injured....(*interruptions*)....I would like to know from the honourable Minister whether a political party staged demonstration at the place of tension and struggle and shifted its Satyagraha from Chandani Chowk to Shahdara.. (*interruptions*)....the local councillor of that area incited the student, of Shyamlal College and anti-social elements and increased the tension. I would like to know as to what action would be taken to check such activities of that party—you have to think over this.....

**Shri Inder J. Malhotra** : You tell the name of the party....

**Shrimati Mukul Banerji** : Jansangh Party....*(Interruptions)*....

Whether it is a fact that the provocation was there six times and on one occasion the whole mob entered the police station. Whether the hon'ble Minister is aware that the were bent upon setting fire to the police station, but the police did not open fire and kept people restraint?

**Shri K. C. Pant** : Mr. Speaker, Sir, I can state the facts. I do not want to make any comments about the motive. It is a fact that Jansangh had been organising an anti-price rise movement. It was to take place in Chandani Chowk on 21st instant, the Administration had received the information regarding this sufficiently in advance on 8th of August, but it was infomed on 21st morning all of a sudden by the Jansangh party that they want to organise their Satyagraha at Shahdara instead of Chandani Chowk... *(Interruptions)*.... At this the local authorities there talked to the Jansangh leaders and tried to pursuade them not to organise a Sathyagraha at Shahdara keeping in view these situations there. The D.C. had also talked to them, but they thought it fit to organise their Satyagraha on the day of the highest tension. 179 people were arrested. It is a fact, rest of the things I leave to the House.... *(Interruptions)*....

**Shri Jagannath Rao Joshi** : Was there any disturbance in Anaj Mandi at Shahdara? Whether no incident occurred there in spite of the arrest of 179 people in such a tense situation? The Satyagraha was organised very peacefully and no incident had occurred there.. *(interruptions)*....

यह प्रश्न पुलिस के अत्याचार के बारे में है । यह यहाँ कैसे संगत है ? **(व्यवधान)**

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : दिल्ली में पुलिस के अत्याचार की यह एक अभूतपूर्व घटना है । घटना होने के दो दिन बाद, 21 तारीख को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक घर-घर में छापा मारा गया, और वह भी तब जब कि मन्त्री महोदय दोपहर को यहाँ वक्तव्य दे चुके थे ।

इण्डियन एक्सप्रैस में एक सुन्दर सम्पादकीय लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने पिछले चुनावों में राजनैतिक प्रयोजनों के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुलिस का उपयोग किया; अब आप उन पर नियन्त्रण नहीं रख सकते; वे अब आजादी से काम करेंगे आदि आदि । यह एक ऐसा उदाहरण है, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए ।

21 तारीख को पुलिस ने लोगों को प्राथमिक सहायता, भर्ती होने और इलाज करने के लिए स्थानीय अस्पताल में जाने से रोका । वे इस सीमा तक गिर गये; यह एक इसका उदाहरण है । यह वक्तव्य हमको वितरित नहीं किया गया ....

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक संक्षिप्त वक्तव्य है, उन्होंने इसे पढ़ दिया है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : श्रीमान् जी, हमें इसकी जाँच करनी है कि क्या मनगढन्त घटना बयान की गई है । मेरे प्रश्न ये हैं, अगर मन्त्री महोदय इस बात को नोट करेंगे कि 19 और 20 तारीख को दोनों दिनों कितने लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया, दयानन्द अस्पताल में कितने लोगों को दाखिल किया गया, बिस्तर न होने की वजह से कितने लोगों को इरविन अस्पताल और अन्य शाहदरा के बाहर वाले स्थानों को भेजा गया, कितने स्त्री और पुरुषों के इलाज की आवश्यकता पड़ी और उनकी उम्र क्या थी और किस प्रकार की चोटें उन्हें आई थी, 21 तारीख को बलबीर नगर की गली नं० 4, 5 और 6 में--जहाँ हम गये थे और जहाँ हमने पूरी जाँच पड़ताल की थी--कितने व्यक्ति प्रथमोपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किये गये, कितने व्यक्ति शाहदरा के बाहर दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजे गये; शुरू से लेकर अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; पुलिस अत्याचार, अनधिकृत प्रवेश, गहनों, घड़ियों, कुण्डलों आदि छीने जाने के बारे में जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; क्या घटना से सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों के निवास स्थान की तलाशी ली गई थी और यदि हां, तो क्या क्या सामान पाया गया; क्या पुलिस अधिकारी श्री बख्शीश सिंह के बारेमें

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना थी, जिससे उस अधिकारी पर तस्करी और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक किया जा सके; क्या उस दिन से आज तक कोई मन्त्री शाहदारा क्षेत्र में गया है और यदि हां, तो उसने वहाँ क्या देखा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

श्रीमान् जी, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप नियम 184 के अन्तर्गत पूरे प्रश्न की अनुमति देंगे ताकि हम पूरे मामले को समझ सकें?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मेरे माननीय मित्रने सामान्यतया पुलिस कार्यवाही का उल्लेख किया है; उन्होंने 'इण्डियन एक्सप्रेस' के सम्पादकीय का भी उल्लेख किया है। मुझे नहीं पता था कि वह इण्डियन एक्सप्रेस के एक जागरूक पाठक हैं। यह एक स्थानीय घटना है। और उसके बारे में न्यायिक जाँच का आदेश दे दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इस घटना के बारे में जो तथ्य हमारे सामने हैं, उनसे पुलिस के बारे में सामान्यीकृत विचार प्रकट किये जा सकते हैं और जो भी सच्चाई है या तथ्य हैं, वे न्यायिक जाँच में स्पष्ट हो जायेंगे। इसलिए मैं उनसे यह अनुरोध करूँगा कि न्यायिक जांच के निष्कर्ष आने तक वह अपना निर्णय सुरक्षित रखें।

पुलिस द्वारा अस्पताल में लोगों को जाने से रोकने के बारे में अब तक मुझे किसी ने भी सूचना नहीं दी है। जैसा कि मैंने बताया मेरे कई माननीय मित्र वहाँ पर थे। वस्तुतः एक सदस्य ने मुझे बताया कि उसकी उपस्थिति में एक घटना ऐसी हुई जिसमें एक महिला को लाया गया और तत्काल ही पुलिस ने . . . (**व्यवधान**) मैं इस बारे में तत्काल 'हाँ' या 'ना' में उत्तर नहीं दे सकता। अगर आप वहाँ, गये और स्वयं अपनी आँखों से वहाँ घटना देखी हो, तो मैं स्वभावतः जो कुछ आप कहेंगे, उसे सही मानूंगा, परन्तु अगर यह अफवाह है, तो आप मुझसे जाँच करवाना चाहेंगे . . .

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** जिन लोगों को पुलिस ने घायल किया, उन्होंने मुझे बताया।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैं तो आपको वह बता रहा हूँ, जो इस सदन के एक सदस्य ने मुझे बताया। उसने मुझे बताया कि पुलिस तत्काल उसे अस्पताल ले जाने और वहाँ दाखिल कराने के लिए तैयार थी। मुझे ऐसी भी एक दो अन्य घटनाओं का पता है, जिनमें अस्पताल में भर्ती की गई है। 19 को अथवा 21 तारीख को शाहदरा अस्पताल अथवा उसके बाहर अन्य अस्पतालों में कितने लोगों को दाखिल किया गया, उनकी संख्या के बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बारे में किसी समस्या को मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, अगर किसी आदमी को जान बूझकर रोका गया . . . (**व्यवधान**)

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** वह कोई संगत जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह तो प्रारम्भिक जानकारी है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** उन्होंने गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछा था। निश्चित अपराधों के लिए 126 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, और प्रतिरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत 58 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ व्यक्तियों को पुलिस रिकार्ड में 'बदमाश' दर्ज किया हुआ है और जहाँ तक अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, कुछ को पहले ही रिहा कर दिया गया है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मुझे नहीं पता कि कितनी शिकायतें मिलीं और किसे मिलीं। परन्तु दर्ज किये गये मामलों की संख्या 20 है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** लोग आये और उन्होंने बताया कि 'उनके कुण्डल उतार लिए गये, उनकी घड़ी छीन ली गई' . . .

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मुझे नहीं पता कि किसी व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जो सदस्यों ने जानकारी मुझे दी है, वह मैंने आपको बता दी है। इसमें, अनेक प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप एक सदस्य को कितने प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहे हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : आपने उस दिन कहा था कि आप उदार होंगे। क्या यह सही नहीं है कि 11 बोरी चीनी, 100 कलाई घड़ियाँ और एक बोरी काजू इन्सपेक्टर बख्शीश सिंह के घर बरामद हुए थे? यह आदमी तस्करी की गतिविधियों से सम्बद्ध रहा है। आपने यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। श्रीमान् जी, उन्हें बैठ जाने का कोई अधिकार नहीं है? ...(**व्यवधान**) मैं इन्सपैक्टर बख्शीश सिंह के बारे में जानना चाहता हूं। वह जानकारी नहीं दे रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मुझे नहीं पता कि उसके घर की तलाशी ली गई थी अथवा नहीं, परन्तु एक दिन भीड़ ने उसके घर को आधा जला दिया था। मुझे नहीं पता कि उसकी तलाशी ली गई थी, परन्तु मुझे इतना पता है कि उसके मकान को जलाने की कोशिश की गई थी और लगभग आधा मकान जला भी दिया गया था।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : वह जानकारी नहीं दे रहे हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं मन्त्री महोदय से प्रमाणपत्र पाने का कतई इच्छुक नहीं हूँ। परन्तु, फिर भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि 21 तारीख को दोपहर से पहले मैं घटना स्थल अर्थात् लोनी रोड और बलबीर नगर में था। आपको याद होगा कि लगभग $4\frac{1}{2}$ बजे जब मैं वापस आया, तो मैं सीधा आपके कक्ष में गया था और जो कुछ मैंने वहाँ देखा उसकी जानकारी आपको दी थी।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सही है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मुझे इसके लिये कोई प्रशंसा नहीं चाहिये। उस दिन लोनी रोड पर क्या कुछ हुआ, उसे अपने दल के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मुझे यह तो नहीं मालूम कि गत दो दिनों में वस्तुतः क्या कुछ घटित हुआ था परन्तु यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 21 तारीख के दो-पहर बाद लोनी रोड के दोनों तरफ तथा बलबीर नगर में पुलिस का "सफाई अभियान" (अपराधी तत्वों को हटाने, गिरफ्तार करने आदि की कार्यवाही) चल रहा था। हम वर्षों तक कलकत्ता में ऐसी कार्यवाही देखने के अभ्यस्त रहे हैं। हम जानते हैं कि इस का क्या अर्थ होता है। सड़क के दोनों ओर स्थित दुकानों तथा घरों में पुलिस घुस गई थी, लोगों को बाहर घसीटकर बुरी तरह बेरहमी से पीटा जा रहा था और पुलिस गाड़ी आने तक उन्हें सड़क पर ही फेंक दिया जा रहा था। अनेक लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उन लोगों में रिक्शे वाले, दूधिया, ग्वाले तथा बच्चे सभी थे। वहां कुछ कारखानों के श्रमिकों को बाहर घसीट कर पीटा गया तथा वहां सड़क पर फेंक दिया गया।

मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक दुर्घटना का मामला भी था। एक आदमी था जिस के पैर पर कई सप्ताह से प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसका नाम जवाहरलाल मित्तल है। वह एक दुकानदार है तथा वह 1439ए/46, बलबीर नगर का निवासी है। मैं उससे मिला। टांग पर प्लास्टर चढ़ा होने के कारण वह चल नहीं सकता था। परन्तु वह आदमी भी घसीट कर पीटा गया तथा गिरफ्तार किया गया फिर एक श्रीमती एन्थनी तथा एक श्रीमती प्रवीण बाला--इन दो महिलाओं को पीटा गया।

मंत्री महोदय के मूंह वक्तव्य से जो मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार अदालती जांच का एक काम पुलिस की ज्यादतियों की जांच करना भी है। अब मैं यह जानना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार के व्यक्ति भी, जिन्हें शनिवार के अपराह्न को मैंने देखा, मैं उनसे मिला और जो पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए, गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिये गये हैं तो फिर वे अदालती जांच के समक्ष किस प्रकार उन अत्याचारों के विरुद्ध अपनी गवाही देंगे? पुलिस के अत्याचार के शिकार अधिकांश लोगों को निरोधात्मक नजरबन्दी कानून के अधीन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है तो जब तक वे मुक्त नहीं होंगे अपनी गवाही कैसे देंगे? 21 तारीख को भी लोगों को डराया जा रहा था कि वे गवाही न दें। मैं जानना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच के लिये, जिन अबोध तथा निर्दोष लोगों को अन्धाधुन्ध गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जो वस्तुतः ही ठीक गवाही दे सकने वाले लोग हैं। क्या उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी गवाही देने की छूट दी जायेगी? अन्यथा यह जांच भी केवल एक मज़ाक ही रहेगा।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : माननीय सदस्य ने मुझे यह नहीं बताया कि वह भी 21 तारीख को वहाँ उपस्थित थे . . . (**व्यवधान**)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं क्यों बताऊं ? यह तो आपके मंत्रालय का कार्य है कि वे समाचार पत्र पढ़ें तथा आपको सूचना दें ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : अन्यथा जिस प्रकार मेरे दल के साथियों ने मुझे बताया, उसी प्रकार यदि वह भी मुझे यह बता देते तो मैं उन के नाम का भी जिक्र करता । इसमें प्रशंसा करने का तो कोई क्षेत्र नहीं है । मैं बड़ी प्रसन्नता से उनका नाम लेता ।

उनका मुख्य प्रश्न विधि के निरोधात्मक उपायों के अधीन लोगों को गिरफ्तार करने के संबंध में है तथा वह जानना चाहते हैं क्या वे निर्दोष हैं या नहीं तथा क्या उन्हें रिहा किया जायेगा अथवा नहीं । जहां तक मेरी जानकारी है निरोधात्मक कानूनों के अधीन जो 58 व्यक्ति पकड़े गये थे वे बुरे चालचलन के लोग हैं । अन्य लोगों को विशिष्ट अपराधों तथा आरोपों के अधीन पकड़ा गया है तथा जैसा कि मैंने अपने पहले उत्तर में बताया, उपराज्यपाल इस मामले की जांच कर रहे हैं । कुछ रिहा भी किये जा चुके हैं । किसी भी निर्दोष व्यक्ति को केवल वहां उपस्थित होने के कारण हिरासत रखने की हमारी उपराज्यपाल अथवा प्रशासन की कोई इच्छा नहीं है । मैं यह बात पहले भी कह चुका हूँ । जांच की कार्यवाही बड़ी तेजी से चल रही है ।

**श्रीमती शीला कौल** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या एक दाई शीला देवी तथा शांति देवी अब भी अस्पताल में हैं जब कि विपक्षी सदस्यों का कहना है कि एक भी व्यक्ति अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया है और कि यह अफ़वाह है कि शांति देवी मर चुकी है । जबकि मैं जब वहां गई तो वह जीवित थी ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : यह किसने कहा ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैंने कहा था कि कुछ व्यक्ति अस्पताल में हैं । मैंने भी यह अफ़वाह सुनी थी और मैंने इसका पता किया तथा मुझे प्रसन्नता है कि वह महिला जीवित है । वस्तुतः कई बार ऐसा होता है कि स्थिति सामान्य तथा शांति पूर्ण होने लगती है । परन्तु कोई न कोई अफ़वाह फैला दी जाती है जिससे कि फिर कोई न कोई घटना घटित हो जाती है । मैं उस क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि वे अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहे, जो कि अशांति फैलाये रखने के इच्छुक होते हैं ।

**श्री सेज़ियान** : 18 तारीख को ओंकार सिंह को गोली मारने के समय से 21–22 अगस्त तक समाचार पत्रों में पहले ये समाचार छपे थे कि पुलिस अधिकारी एक डाकू का पीछा कर रहे थे और जब वह रुककर निकलने लगा तो मृतक ओंकार सिंह को गोली मार दी गई । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या पुलिस अधिकारी दस्यु-विरोधी इस अभियान के माध्यम से अपना कोई पुराना हिसाब-किताब चुकाना चाहते थे और यदि हां, तो सरकार अपराधियों को पकड़-धकड़ के तथा दस्यु-विरोधी ऐसे अभियानों के नाम पर पुलिस अधिकारियों द्वारा शान्ति का दुरुपयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : जहां तक मुझे मालूम है—पहली सूचना रिपोर्ट में कहा गया था कि इन लोगों ने पुलिस दल के तीन व्यक्तियों पर गोली चलाई थी और इसीलिये पुलिस ने बदले में कार्यवाही की । सारे मामले की जांच की जा रही है और मैं इस स्थिति में विस्तार से बात नहीं करना चाहूंगा । स्पष्ट है कि जिसने कोई अपराध किया होगा उसे अवश्य ही दण्ड दिया जायेगा ।

**श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : शाहदरा में जो कुछ हुआ वह बड़ा ही पश्चात्तापकारक है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पुलिस अपनी सूझबूझ, प्रबंध तथा नेतृत्व में सर्वथा असफल रही । तथापि मैं जानना चाहूंगा कि क्या 19, 20 तथा 21 तारीख को वहां कर्फ्यू लगाया गया था ? यदि हां, तो कितने घंटे के लिये ? यदि कर्फ्यू नहीं लगाया गया था, तो ऐसी गंभीर स्थिति में भी कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया

गया ? स्थिति इत ी बुरी थी तथा ऐसी गंभीर घटना हुई थी, तो फिर पहले ही कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया गया था ? क्या उन्हें पता है कि मृतक ओंकार सिंह उत्तर प्रदेश के एक भतपूर्व राजनैतिक नेता का दूर का संबंधी है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है । जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है को 19, 20 या 21 तारीख को किसी दिन भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया था । 19 तारीख को धारा 144 तो लागू की गई थी और इसका निर्णय स्थानीय अधिकारियों को घटना स्थल पर ही करना होता है । इस संबंध में अपना निजी निर्णय देना तो मेरे लिये संभव नहीं है । परन्तु क्यों कि उन्होने पूछा ही है, तो मैं तो यह समझता हूँ कि क्योंकि वहां धारा 144 का भी पालन नहीं किया जा रहा था, इस लिये कर्फ्यू लगाना भी उचित नहीं समझा गया होगा । वहां भारी संख्या में लोग जमा थे, भीड़ इकट्ठी थी, उपद्रव मचा हुआ था, भारी पथराव तो हो रहा था, जीपें तथा अन्य कई गाड़ियां जलाई गयी थीं, जी०टी०रोड़ पर यातायात रुक गया था, रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया था, पटरियां उखाड दी गई थी, यही सब कुछ उस समय हो रहा था । कर्फ्यू लगाने का अर्थ अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना होता, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती और गोली चलानी पड़ती ।

श्रीमन्, मुझे ग़लत न समझा जाये । मैं पुलिस की वकालत नहीं कर रहा हूँ । वहां उपायुक्त तथा डी०आई०जी० उपस्थित थे और अन्त तक उनका प्रमुख ध्येय यह था कि यथा संभव सब्र से काम लिया जाये ।

**Shri Jagannath Rao Joshi :** Yesterday in the Rajya Sabha, he had said that he did not have the actual facts about the incident in Baldev Nagar on 21st. Today is the second day. There was house-to-house beating between 2-30 to 3 O'clock in the Baldev Nagar Streets. I collected the information on the spot. I am very much pained to find the hon. lady member supporting the police beatings. It was good that she had told the address of Sheela Devi. It was 1428/8/20. I went to her house. She was lying in the hospital. Second one is a nurse Shanti Devi. I went to her house also at 1429/M/24. Her condition was also stated to be very precarious. She is in Irwin Hospital. This was also told to me that a head constable, Shri Ram Prakash Verma of old Delhi Station was also beaten up. His left hand was fractured. I have met him also. I want to know as to what was the provocation, except that orders were issued for a Judicial inquiry due to which all this happened ? There Shanti Devi was to give evidence. So, she was so much beaten up that she has been admitted in the hospital. Many such things have come to light. I had personally visited her. Ear-rings and chain were snatched away, and when people went to lodge the report, the police did not register it. So many people were victimised and terrorised. Do the policemen not know that usually gents are not available at home during 2-30 to 3 P.M.? Ordinarily men go at work during the day. So, how far it is proper that the police commit atrocities on the women of these ordinary men for whom you claim to have all sympathies. They broke open the doors and windows and dragged out the ladies. They had to come out covering themselves with curtains. I have met them. Even the pregnant ladies were beaten up. Why politics is being brought in such a matter?

I want to know the secret behind the murder of Thakur Onkar Singh? The facts are before you. I am very sorry to find that politics is dragged into every matter. When so much cruelty and atrocities are done by the police so openly in the capital itself, I don't understand what would have been going on in other parts of the country. We want that it should be stopped. Every man's life is precious in democracy. None should be subjected to such atrocities. I want Shri Pant to answer straightaway why efforts were not made to have the facts within one day about. The large scale atrocities of the police between 2-30 to 3 P.M. on 21st when the witnesses were victimised and terrorised. It is not sufficient to say that some people tried to block up the traffic by putting drums on the road. I want to know why such a large number of policemen were sent there? What was the provocation? Also I want to know....

**Mr. Speaker:** Please sum up your question.

**Shri Jagannath Rao Joshi :** We had demanded a discussion on this issue. You said you would permit a short notice question. I am asking only a question. Why do you object to it?

**Mr. Speaker :** You are delivering a speech. Please ask a question.

**Shri Jagannath Rao Joshi :** I want to know the things (1) what was the provocation which attracted all such things and (2) whether the officer who kept on giving false and fictitious information, is under transfer or not... (*Interruptions*)

**Shri K. C. Pant :** He has asked the same question which has already been replied to. However I am happy to find Shri Joshi so excitedly speaking for the purpose of maintaining peace and order. It is really a matter of pleasure. Had their activities too been of the same kind? (*Interruptions*)

**Shri Jagannath Rao Joshi :** Is it an answer to my question? Dr. Mukherjee was murdered and till now no inquiry has been made. We had to keep quiet. What is the purpose of putting political allegations ?

**Shri Shyam Nandan Mishra :** Sir, I rise on a point of order. What the hon. Minister has said, it appears to be an aspersion on the hon. Member. You protect him and expunge what has been said by the hon. Minister. It is very bad. Casting aspersions on hon. Members is not at all tolerable.

**Shri K. C. Pant :** I am sorry that the hon. Member felt it. I had said that to him (Shri Joshi) and not to him (Shri Mishra).

**Shri Shyam Nandan Mishra :** It is very wrong. Please just listen ...**... I am talking to Mr. Speaker. You please stop him.

**Shri K. C. Pant :** First you withdraw that word.

**Shri Shyam Nandan Mishra :** **. . . I am addressing Mr. Speaker, not him. I had raised a point of order.

**Mr. Speaker :** First of all you withdraw that word.

**Shri Shyam Nandan Mishra :** No Sir. I had raised a point of order.

**Mr. Speaker :** Before I take some other action, please withdraw that word.

**Shri Shyam Nandan Mishra:** How that ? That is not a bad word at all. Let me know what does that mean? You say it is unparliamentary, and I will withdraw it. You please go into what the hon. Minister has said. I do not consider it unparliamentary.

**Mr. Speaker:** Just for the sake of the bad thing, you are indulging in still more bad a thing.

**Shri Shyam Nandan Mishra :** In case you give a wrong decision, that would become unparliamentary for ever. It cannot happen. You may expunge it if you so desire. I have a point of order.

**Mr. Speaker:** You had objected to some of his words. I asked him to tell exactly what had happened. In the meantime you utter more harsh word than that. How far is it good?

**Shri Shyam Nandan Mishra :** You did not listen to all that was said. I have a point of order. Things cannot go like that.

**Shri Jagannath Rao Joshi :** My question has not been replied to by the hon. Minister. On the other hand, if he makes such allegations, what else can he be called if not.**

---

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

Expunged as ordered by the Chair.

**Shri Shyam Nandan Mishra :** The word** would be repeated here thousand times. I can not speak a single word which is unparliamentary. You realise your responsibilities.

अपने दायित्व से आप विमुख क्यों हो रहे हैं ? मैं व्यवस्था के प्रश्न पर उठा हूं । जब भी किसी मंत्री को बात आती है, हमारी टिप्पणियों को तो अनुमति नहीं दी जाती, और जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े होते हैं तो अध्यक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं की जाती ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह कृपया मेरी बात सुनें । मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि वह स्थिति स्पष्ट करें । परन्तु इसी बीच माननीय सदस्य उठ खड़े हुए . . .

**श्री श्यामनन्दन मिश्रा :** वह क्या स्पष्टीकरण दे रहे थे ? व्यवस्था के प्रश्न पर आपको टिप्पणी करनी थी । परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा आप उस पर विचार करें...

**Mr. Speaker:** He wanted him to say that outside the House which he had said here. Isn't it?

**Shri K. C. Pant:** I had said... He would not allow me to speak. You are calling me but he won't allow me to speak.

As I got up to speak he himself got up. You have advised him and it is upon him to obey you or not.

As regards the question from Shri Joshi. . .

**Shri Jagnnath Rao Joshi :** I have asked two questions.

**Shri K. C. Pant :** I have all respects for Shri Joshi. You may not have so for him.

**An. Hon. Member :** How do you say so?

**Shri K. C. Pant:** You say so, and I shall admit it.

Whatever I said was with reference to this matter. I did not say anyting personal. I was referring to Jan Sangh and their shifting the agitation to Shahdara. Even so, if Shri Joshi feels hurt personally, I am always prepared to withdraw my remarks.

**Shri Jagannath Rao Joshi :** My question has not been answered.

**Mr. Speaker:** The context in which that word was used is unparliamentary and unless it is withdrawn as has been done by Shri Pant, I am going to expunge it.

**श्री समर गुह :** हम गैर-हिन्दी भाषी लोग भी जानना चाहते हैं कि उस शब्द का क्या अर्थ है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे रिकार्ड में लाए जाने की अनुमति नहीं दे सकता । इसके अच्छे अर्थ नहीं है ।

**श्री सेझियान :** श्री श्यामनन्दन मिश्र ने एक शब्द का प्रयोग किया, जिसे आपने असंसदीय बताया । इसका अंग्रेजी में क्या अर्थ है ?

**Mr. Speaker :** Urdu knowing persons know what it means. I will never allow it.

यदि माननीय सदस्यों ने कोई और प्रश्न नहीं पूछना है तो हम अगला कार्य लेते हैं ।

I never expected it from a gentleman like Shri Mishra, who is one of the Party leaders here.

**Shri Shyam Nandan Mishra :** We are pained to see your attitude. You never say anything to Minister. You ... (*Interruptions*).

---

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

Expunged as ordered by the Chair.

**Mr. Speaker:** You cannot make Speaker the scapegoat for faults of your own. I will never allow that.

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाईये । मंत्री महोदय प्रश्न के उस भाग का उत्तर दे दें, जिसका उत्तर देना शेष है ।

**Shri Jagannath Rao Joshi :** Please get my question answered *(Interruptions)*

**Mr. Speaker** : This is a very serious matter. If it was admitted as a Calling Attention motion, only five supplementaries would have been allowed. But I have put no limit to the number of questions. Now Members are wasting time on other matters. *(Interruptions)*

**Shri Jagannath Rao Joshi:** Sir, I had asked as to who is responsible for a false and fabricated account of events of first 24 hours and what was the provocation for police beatings on August 21 *(Interruptions)*.

**Mr. Speaker:** When several Membrs speak simultaneously, it can neither be recorded, nor it is intelligible. *(Interruptions)*.

**Shri K. C. Pant:** As far as I have understood from what the hon. Member had asked, and as I had stated the S.H.O., the S.D.P.O. and S.D.M. have been transfered, though this does not imply that they are guilty. This has been done to facilitate enquiry as has been said by the hon. Member and others.

**Shri R. S. Pandey:** It is natural for every Member of this House to be shocked at the unpleasant incidents of Shahdara. I feel that certain elements unite and take advantage of such situation. These elements appear flustered, frustrated, disappointed and angry and are bent upon disturbing the peace in Delhi.

Whether it is not a fact that an organised mob surrounded the Police post, raised slogans and were holding Saffron Flags? Whether this does not prove that it was a political plot for breach of peace?

I also want to know the decision taken by Government in regard to rendering assistance to the injured and next of kin of those killed?

Whether Government have an apparatus to issue contradiction of false press reports to avoid adverse effect on the public. The order of Judicial enquiry should be welcomed but such rumours should be contradicted promptly.

**Shri K. C. Pant:** Such advantages have been taken by anti-Social elements at many places as is clear from incidents of arson, detention of trains and destruction of public property.

Regarding publishing contraditions, it is not possible after orders of Judicial enquiry have been issued. We have to be careful about anything said or done in such matters.

**श्री सुरेन्द्र महन्ती:** मैं सत्तारूढ़ दल द्वारा पुलिस की बर्बरताओं से जनता का ध्यान हटाने का प्रयत्न करने पर खेद व्यक्त करते हुए दो प्रश्न पूछता हूं :

(क) क्या पुलिस वाले बिना किसी जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश लिए बिना लोगों पर पिल पड़े थे ?

(ख) क्या सरकार ने पुलिस को भीड़-नियंत्रण हिदायतें दी हुई हैं और यदि हां, तो क्या इनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मुझे सदस्य महोदय की बात से निराशा हुई है क्यों कि न्यायिक जांच संबंधी वक्तव्य हमने स्वत: सभा में दिया था ।

उनके पहले प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक मुझे पता है काफी समय तक स्वयं डी०आई०जी०, अनेक एस०पी० और डी०एस०पी० वहां उपस्थित रहे ।

हिदायतों के बारे में पता नहीं सदस्य का मन्तव्य क्या है । ऐसे अवसरों पर पुलिस को कम से कम शक्ति का प्रयोग करने की हिदायत है परन्तु कुछ अपवादों को छोड़कर पुलिस वही कार्यवाही करती जो शान्ति बनाए रखने के लिए उसे करने के लिए कहा जाता है । अधिक अच्छा होता यदि विपक्षी सदस्य उन पुलिस कर्मचारियों के प्रति भी सहानुभुति दिखाते, जिन्हें जनता का जुल्म सहना पड़ा है।

**Smt. Mukul Banerji:** On a point of personal explanation. I may reiterate that it is shameful that the police beat and perpetrate atrocities on women. . . (*Interruptions*)

**श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी :** ऐसी अवस्था में देखा गया है कि पुलिस पक्ष की पैरवी सरकार द्वारा की जाती है परन्तु जनता के पक्ष की पैरवी के लिए कोई नहीं होता, तो क्या सरकार इस की व्यवस्था करेगी?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैं इस समय हठात् कुछ नहीं कह सकता, परन्तु मेरे विचार से कुछ लोग इस ओर अपना ध्यान दे रहे हैं ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र :** इस सभा में समय समय पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ अनेक प्रकार की शिकायतें की गई हैं और पुलिस आयोग ने पुलिस प्रशासन में आमूल सुधार करने की सिफारिश की थी । सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस समय कितनी महिलाएं और बच्चे जेलों में हैं, और उनमें से कितने घायल हैं ?

तीन पुलिस अधिकारियों को वहां से हटाने के बारे में बताया गया है परन्तु क्या कई अन्य अधिकारियों को भी जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, वहां से हटाया जाएगा ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उन्हें इसलिए नहीं बदला गया कि उनके विरुद्ध कोई आरोप थे परन्तु परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा किया गया है । इसमें कोई दबाव या पूर्वाग्रह नहीं है और न ही यह अभिसमय कहा जा सकता है ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र :** यदि निरपराध व्यक्तियों को बदला गया है, तो हमें कुछ नहीं कहना है . . . **(अन्तर्बाधा)**

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** तबादले से कोई दाण्डिक कार्यवाही कैसे संभव है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हम पहले उन्हें अपराधी या निर्दोष कैसे कह सकते हैं ।

**Shri Krishna Chandra Pandey :** On a point of order Sir, he is constantly interrupting the hon. Minister.

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** पुलिस आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही की चर्चा सभा में पहले भी हो चुकी है । खोसला आयोग 1966 में बना था और उसने अपना प्रतिवेदन शायद 1968 में पेश किया । सिफारिश के अनुसार पुलिस की संख्या बढ़ाई गई । भर्ती और पदोन्नति के नियमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है । भर्ती का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और अब एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक रखा गया है । पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया है और संस्थागत तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण वहां दिया जा रहा है ।

दीर्घावधि उपाय के तौर पर सरकार ने पुलिस संबंधी एक समिति बनाई है, जिसके सभापति प्रो० एम० एस० गोरे हैं और जो पुलिस प्रशिक्षण, इसमें वर्तमान खामियों और सुधार के लिए उपायों के बारे में सुझाव देगी । यह समिति देश की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, हमारी पद्धति को ध्यान में रखते हुए और इन पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति, समाज तथा आचार सिद्धान्तों के प्रभाव को दृष्टिगत रखकर पुलिस के प्रशिक्षण के प्रश्न की जांच करेगी और इससे सरकार और उसके अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सहायता मिलेगी ।

इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस की गाड़ियों और उपकरणों की मात्रा में भी वृद्धि कर दी गयी है । पुलिस कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जा चुका है और अपराध शाखा को भी सुदृढ़ किया जा चुका

है । मैं कुछ ही उपायों का ज़िक्र कर रहा हूँ । आयोग के परामर्श के अनुसार दिल्ली पुलिस के लोगों के कल्याण हेतु अनेक कदम उठाये गये है । दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के कुल वेतन, विशेष वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की गयी है । उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भी शामिल कर लिया गया है । पुलिस स्टेशनों में कैन्टीन तथा मनोरंजन कक्षों की व्यवस्था भी की गयी है और खेल के मैदान तथा परिवार कल्याण केन्द्रों की व्यवस्था भी की जाती है । मैं लम्बी सुची दे सकता हूँ । **(व्यवधान)** मुझ से एक विशेष प्रश्न पूछा गया और मैं उत्तर दे रहा हूँ ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र :** मैं उस समय जख्मी हुई महिलाओं और बच्चों जो जेल में हैं, की संख्या जानना चाहता था ।

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त :** इसके लिये मुझे अग्रिम सूचना की आवश्यकता है ।

**Shri K. N. Tiwary:** Is it a fact that the police ran away from the spot when attacked by the mob ? Secondly, how many persons in the police force suffered injuries, how many are admitted in the hospital and how many publicmen suffered injuries ?

**Shri K. C. Pant:** I have stated earlier that 87 publicmen and 280 policemen including Deputy Commissiner, D.I.G. and S.P.s sufferred injuries.

**श्री समर गुह :** शाहदरा की निन्दनीय घटना तथा पुलिस की कार्यवाही से दिल्ली के लोग स्तब्ध तथा लज्जित हुए हैं । यह बात खेदजनक है कि इस मामले में सत्तारूढ दल का रवैया नम्र है और सारे मामले में तकनीकी बातें लायी जा रही हैं । सारा मामला विपरीत है । शाहदरा के हजारों लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं । वे कुछ दिन पहले की घटनाओं से दुखी हैं ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों और पब्लिक के लोगों को किस प्रकार की चोटें आयी हैं । उनमें से कितने अब तक अस्पताल में हैं । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह देखने के लिये किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी कि अभियुक्तों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जेल में न रखा जाये, ताकि जैसे कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, कि लोगों के साक्ष लिये जा सकते हैं और जांच की जा सकती है । तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय मंत्री ने शाहदरा का दौरा करने में क्यों देर की और विशेषकर जब यह घटना दिल्ली प्रशासन की नाक के नीचे घटी है ।

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त :** 287 व्यक्तियों के वास्तविक जख्मों की जानकारी रखने की मुझ से आशा नहीं रखनी चाहिये । इनकी संख्या बहुत है । यदि यह सूचना बहुत जरुरी है, तो इसके लिये मुझे अग्रिम सूचना चाहिये ।

**श्री समर गुह :** मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि पुलिस ने किस प्रकार के अत्याचार किये । मैं हर व्यक्ति का ब्यौरा नहीं चाहता ।

**श्री कृष्णचन्द्र पंत :** जांच में यह सब बातें आजायेंगी । दुसरे प्रश्न का उत्तर इन्होंने स्वयं दे दिये है । श्री भगत और श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्नों के उत्तर में मैंने बताया था कि निर्दोष व्यक्तियों को रिहा किया जायेगा ।

**श्री समर गुह :** रिहाई के मामले की देखरेख के लिये क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी ताकि जांच के सामने उपस्थित होने से कोई वंचित न रहे ?

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त :** मैं नहीं जानता कि "वरिष्ठ अधिकारी" से इनका क्या तात्पर्य है । जैसा कि मैंने कहा, उपराज्यपाल इस मामले को देख रहे हैं । मैं तीसरा प्रश्न भूल गया. . . .

**अध्यक्ष महोदय :** तीसरा प्रश्न कोई नहीं था ।

**श्री समर गुह** : केन्द्रीय मंत्री ने उधर का दौरा करने मे क्यों देर की ।

**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त** : इन्होंने इतने संक्षिप्त रूप से कहा, कि मैं भूल गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे स्वयं आश्चर्य है ।

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त** : क्या लाभदायक होगा अथवा नहीं, इस पर इस सन्दर्भ में विचार किया जायगा। निश्चय ही हम स्थिति के सम्पर्क में थे । हमने वह सब किया जो भी जरूरी था । यदि हम समझते कि दौरा सहायक सिद्ध होगा, तो हम अवश्य ही उस स्थान का दौरा करते ।

**अध्यक्ष महोदय** : पर्याप्त समय लिया जा चुका है । मैंने सभी दलों के सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है । मैंने इस प्रश्न के लिये $1\frac{1}{2}$ घंटे का समय दिया है, जो कि एक रिकार्ड है । मेरे विचार में मैंने गलती की है । मुझे ध्यानाकर्षण सुचना को स्वीकार करना चाहिये था **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य **खड़े हुए** ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । मैं आप सब को कैसे अनुमति दे सकता हूँ । हम पहले ही इसके लिये $1\frac{1}{2}$ घंटा ले चुके हैं... **(व्यवधान)** मुझे इस ओर से उस ओर भी ध्यान देना है। उस ओर आधे से भी अधिक हैं.... **(व्यवधान)** । मैं समय के अनुसार चलता हूँ । हर बात के लिये रखे गये समय के अनुसार ही मैं चलता हूँ.... **(व्यवधान)**

**Shri S. M. Banerjee:** There will be no harm if I am also allowed to ask a question.

**Shri Ishaque Sambhali :** All those who visited the spot should be allowed to ask the question.

**Mr. Speaker:** Yes.

**Shri S. M. Banerjee :** I was surprised to hear the reply. You will recollect that when you were in the Punjab Assembly, there was firing in the sweepers colony. We raised the question here to which Panditji said that he felt very much ashamed over what had happened. Things are quite different now where efforts are being made to protect the policemen. Mothers, sisters, wives and innocent children of Central Government employees while they were on duty were beaten after dragging them out from the houses...

**Mr. Speaker:** You ask the question.

**Shri S. M. Banerjee:** Are you going to impose all the restrictions on me. Kindly listen a bit.

**Mr. Speaker:** Now the issue is almost at the end.

**Shri S. M. Banerjee:** I was saying that neither Pantji nor Mirdhaji visited the place where atrocities were committed. There are only policemen to spread the panic among the people. I would like you to visit the place and see the things.

The judicial inquiry is no doubt being conducted but lathi-charges are also going on and C. R. P. has also been stationed there outside the city. They visit the city with the sole motive of charging lathi and make purchases. I request you to visit the place

personally to find out and satisfy yourself about the atrocities committed by the police. You should try to meet people whether in hospitals or houses to find out as to who are the real criminals. What acton will be taken about the police atrocities after the judicial inquiry. You want that Judicial inquiry and atrocities should go side by side. You should go there to keep up the morale of the people.

**Shri K. C. Pant:** We have sympathies for all those who suffered injuries, whether they are policemen or publicmen. It is not that we have no sympathies for the injured persons.

You have taken up the old issue of firing on harijan colony. I also witnessed the proceedings of this House that day. As far as I remember, inquiry was ordered on raising the issue by you people...

**Shri S. M. Banerjee:** As far as I recollect, we came to the House with black badges and intention of staging walk out but we had to honour their humanitarian approach and sat down.

**Shri K. C. Pant:** We have already ordered inquiry in this case. Judicial inquiry is not a way to protect the police....

**Shri Dinen Bhattacharyya:** Certainly.

**Shri K. C. Pant:** If judicial inquiry is a way to protect the police, then why do you demand it so frequently. Which inquiry other than judicial can satisfy you.

**Shri Dinen Bhattacharyya:** You fix the time limit.

**Shri K. C. Pant:** I have already stated that I paid no visit to that place but reference was made to some Central Government employees and sympathies were expressed for them. C. R. P. people are also Central Government employees. Mr. Banerjee sometime also talked of sympathies towards them. It is a matter of pleasure that he talks of their pay revision. After all they have also some duty to perform. They shold be punished for their mistakes but it is not proper to condemn them like this.

**Shri S. M. Banerjee:** I am not condemning them. They should be kept at some distance from the populated areas.

**श्री माधुर्य्य हलदार :** इस सदन के कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि उन्होंने वहां के लोगों से सुना है कि पुलिस ने उनके रेडियो, घड़ियां आदि आदि छिनी है। क्या उस स्थान पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के घरों की तलाशी ली गयी है और क्या उन तलाशी के दौरान ये चीजें मिली हैं और यदि नहीं, तो क्या ऐसी तलाशी लेने के लिये शीघ्र आदेश जारी किये जायेंगे ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** जहां तक मुझे मालूम है, किसी भी पुलिस वाले के विरुद्ध इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आखिर इस प्रकार की तलाशी अथवा जांच किस आधार पर की जा सकती है ? मैं इस प्रश्न के उद्देश्य को नहीं समझा सका। आप हर पुलिस वाले के घर की तलाशी नहीं ले सकते। यह बहुत कठिन है।

**श्री सी० टी० दंडपाणी :** इस के शिकार निर्दोष लोग ही हुए हैं। पुलिस फायरिंग में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सरकार को ही इसके लिये जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देगी ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** चाहे दिल्ली हो या तमिलनाडु, निर्दोष लोग ही पुलिस फायरिंग में मारे जाते है। यह बात सच है। लेकिन इस मामले में, सौभाग्यवश, कोई भी पुलिस फायरिंग नही हुई।

**श्री सी० टी० दंडपाणी :** मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि तमिलनाडु में पुलिस फायरिंग हुई थी। लेकिन हमने 15 मृत व्यक्तियों को परिवारों के मुआवजा दिया है। क्या सरकार इसी सिद्धान्त का पालन करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** काल्पनिक प्रश्न न पूछे।

**श्री कृष्णचन्द्र हलदर** : मैं उस स्थान पर गया था । मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ । पहला यह कि क्या श्रीमती शीलादेवी को सी०आर०पी० ने उस समय पीटा जब वह अपने पतिको बचा रही थी । सुना गया है कि सी०आर०पी० के लोग दरवाज़े और खिड़किया तोड़ कर उसके कमरे में दाखिल हुए और उसके हार और इयरिंग छीन कर ले गये । श्रीमती शीला देवी का सिर बहुत जख्मी हुआ और उसे दयानंद अस्पताल में दाखिल करना पड़ा । और क्या यह भी सच है कि सी०आर०पी० द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के परिणामस्वरूप उसकी बोलने की शक्ति भी समाप्त हो गयी है ?

दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ यह है कि काजू की एक बोरी, चीनी की छः बोरियां, छः पंखे, पांच ट्रांजीस्टर और दो रेडियो सेट श्री बख्शीर सिंह ए०एस०आई० के घर से बरामद हुए थे और क्या यह सब तस्करी की वस्तुएं थीं ?

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त** : पहले प्रश्न के बारे में मैं अपने आपको कठिनाई में पाता हूँ । यदि मैं अपनी सूचना के अनुसार उत्तर दूं तो वह वास्तविक होगा लेकिन वह मेरे माननीय मित्र की इच्छा के अनुसार नहीं होगा । न्यायिक जांच की बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपका परामर्श चाहता हूँ कि क्या मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं ? ये मुझ से सी०आर०पी० के बारे में पूछ रहे हैं ....

**अध्यक्ष महोदय** : आप वास्तविक सूचना दे सकते हैं ।

**श्री कृष्णचन्द्र पंत** : मैंने कल पूछताछ की । मेरी सूचना के अनुसार सी०आर०पी० के लोगों ने उस महिला को नहीं पीटा । सी०आर०पी० के लोग उसके घर में नहीं गये । मेरे पास यह सूचना है । जहां तक उस घर से वस्तुएं बरामद होने का प्रश्न है पहले भी इसकी चर्चा हुई है । मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अल्पसूचना प्रश्न का समय अब समाप्त हो गया है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या आप अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दे रहे हैं? मैंने आपको प्रधान मंत्री द्वारा लिखा गया पत्र दिखाया है । उन्हें इस पर चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं हूँ ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : वह बात नहीं कह रहा ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह अल्प सूचना प्रश्न एक प्रकार से अपूर्व है । सामान्यतः मैं अल्पसूचना प्रश्न के लिये 10 मिनट से अधिक के समय की अनुमति नहीं देता । हमने 1½ घंटे से अधिक समय ले लिया है । ज्यादा अच्छा होता, यदि मैं अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता । हमने जो समय लिया है उससे भी अधिक है । इतने समय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती थी । मुझे कहना चाहिये कि मैं मंत्री महोदय के संयम की सराहना करता हूँ ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : अभी बहुत कुछ कहने को है ....

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा । हर समय आप उठते हैं और बोलना शुरू करते हैं ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : *

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सुना है कि शहीद ज्योति के पास जिन लोगों की ड्यूटी होती है वे 24 घंटे में से केवल 2 घंटे ही अटेंशन की स्थिति में रहते हैं । लेकिन हम यहां न केवल अटेंशन की स्थिति में ही रहते हैं बल्कि टेंशन (तनाव) की स्थिति में भी रहते हैं । आपको हमारे प्रति कोई हमदर्दी नहीं है न अध्यक्ष के प्रति और न ही किसी अन्य के प्रति ।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

*Not recorded.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में स्थापित परियोजनाएं

*321. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में आरम्भ की गई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है और उनके पूरे होने की सम्भावना भी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो पूरी नहीं हुई हे और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी नई परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास के सम्बन्ध में उड़ीसा के साथ न्याय नहीं किया गया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया )** : (क) और (ख) : चौथी योजना की परियोजनाओं, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है और जिनके योजनावधि में पूरा होने की सम्भावना नहीं है, के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। उनसे यह सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से जब यह सूचना प्राप्त हो जायेगी तब उसे सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा । जहां तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, योजना आयोग द्वारा उचित प्राधिकारियों के परामर्श से पांचवीं योजना के दृष्टिकोण, कुल संसाधन, जिनके योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए सुलभ होने की सम्भावना है, तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर अभी निर्णय लिया जाना है। यह बताना अभी कठिन है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

(ग) उड़ीसा राज्य की चौथी योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते हुए उड़ीसा की विशेष समस्याओं और अपेक्षाकृत आर्थिक पिछडेपन पर पूरा-पूरा विचार किया गया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया गया।

### रेडियम किरणों द्वारा औषध उत्पादों को कीटाणु रहित करने के लिए संयंत्र की स्थापना

*323. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री रेडियम किरणों द्वारा औषध उत्पादों को कीटाणु रहित करने के लिये संयंत्र के बारे में 2 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त संयंत्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से की गई थी ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : जी, हां। डाक्टरी कामकाज में आने वाले उत्पादों का निजर्मीकरण किरण की सहायता से करने के उद्देश्य से एक निदर्शन संयंत्र, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ट्राम्बे में स्थापित किया जा रहा है।



4--15 L.S.S. (N.D.)/72

**आसाम में विदेशी नागरिकों का प्रवेश**

*325. **श्री निहार लास्कर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आदेश जारी किये हैं, जिनमें यह कहा गया है कि आसाम में किसी विदेशी नागरिक की उपस्थिति अथवा उसके आगमन की सूचना पुलिस को देनी होगी ;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये आदेश की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी हां, श्रीमन। यह आदेश केवल असम राज्य पर ही लागू नहीं होता बल्कि सारे देश पर लागू होता है।

(ख) आदेश प्रत्येक गृह स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने घर अथवा अपने नियन्त्रणाधिकार अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थान में किसी विदेशी के आगमन अथवा उपस्थिति की सूचना यदि उसें यह जानकारी हो जाए अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि वह एक विदेशी है निकटतम थाने को देगा।

(ग) असम सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

**औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के लिये स्थान का सुझाव देने के लिये आयोग**

*326. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या औद्योगिक विकासमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नए औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए टाटा बन्धुओं, बिड़ला बन्धुओं और साहू जैन को लाईसेंस देती है तथा औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए स्थान का निर्धारण लाईसेंस प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में नए औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के स्थान का सुझाव देने के लिए एक आयोग स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाईसेंसीकृत औद्योगिक एककों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार की नीति सभी लाईसेंस निर्धारियों के लिए समान है। औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त करने हेतु दिये गये अपने आवेदन पत्रों से आवेदनों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों के प्रस्तावित स्थान का उल्लेख कर देना अपेक्षित होता है। जब तक कि सरकार स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, आशयपत्र अथवा लाइसेन्स जारी करते समय, आवेदन पत्र में दिये गये औद्योगिक उपक्रम के स्थान की ही अनुमति दे दी जाती है। एक विशिष्ट स्थान बताते हुए लाईसेंस जारी होने के उपरान्त कोई भी परिवर्तन केवल सरकार के अनुमोदन करने पर ही किया जा सकता है । स्थान परिवर्तन के इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय राज्य सरकार की राय भी दृष्टि में रखी जाती है ।

वृहन्तर औद्योगिक गृहों को जिसमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किये गये औद्योगिक गृह भी है लाईसेंस प्रदान करने की बात समुची औद्योगिक लाईसेंसिंग नीति के अंतर्गत ही शासित होती है। इन औद्योगिक गृहों से सर्वप्रथम आशा की जाती है कि वे कोर क्षेत्र तथा भारी निवेश के क्षेत्र में कार्य करेंगे और अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर छोटे उद्यमियों के लिये छोड़ देंगे। औद्योगिक उपक्रमों के स्थान निर्धारण की सामान्य नीति बड़े औद्योगिक गृहों के सम्बन्ध में भी समुचित है। अतेएव अभी इस कार्य के लिये आयोग स्थापित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

**प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने पर समाचार-पत्रों के प्रकाशकों को दण्ड**

*329. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन 63 समाचार–पत्रों के प्रकाशकों को क्या दण्ड दिया गया है जिनके विरुद्ध प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19 के अनुसार वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने के लिए रजिस्ट्रार ने मुकदमे दायर किये थे तथा जिनका इस बीच निपटारा हो चुका है जैसा कि मंत्रालय के 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 100 पर उल्लेख किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल)** : 46 मामलों में प्रकाशकों पर जुमीना किया गया जो 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक अलग–अलग था । तीन प्रकाशकों को केवल चेतावनी दी गई । शेष 14 मामले अदालत के द्वारा दाखिल दफ्तर किये गये क्योंकि संबंधित व्यक्तियों का पता नहीं लग सका ।

**खादी ग्रामोद्योग आयोग को केन्द्रीय सहायता**

*330. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग को इसकी स्थापना से अब तक केन्द्र द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इसकी कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)**: (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई की स्थापना के समय से सरकार द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

| | खादी | ग्रामोद्योग | योग |
|---|---|---|---|
| 1. अनुदान . . . . | 149.39 | 44.65 | 194.04 |
| 2. ऋण . . . . | 67.16 | 30.68 | 97.84 |
| योग . | 216.55 | 75.33 | 291.88 |

(ख) और (ग) : पिछली बार अशोक मेहता समिति द्वारा आयोग के कार्यकरण की पनरीक्षा को गयी थी । समिति द्वारा की हुई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है ।

**आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' तथा 'टाक' कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकतम मानदेय प्राप्त करने वाले पहले तीस व्यक्तियों के नाम**

*331. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान आकाशवाणी के अंग्रेजी के 'स्पाट लाइट' तथा 'टाक' कार्यक्रमों में भाग लेने पर मानदेय की अधिकतम राशि प्राप्त करने वाले पहले तीस व्यक्तियों के नाम क्या है, उनका व्यवसाय क्या है और उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल) :** दो विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं जिनमें उन प्रथम 30 व्यक्तियों, जिनको आकाशवाणी (1) 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम तथा (2) 'टाक्स' में भाग लेने के लिए 1971 के दौरान अधिकतम मानदेय दिया गया, के नाम तथा व्यवसाय दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3480/72]**

**Difficulties Experienced by Freedom Fighters**

*335. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether some poor and old villagers who are freedom fighters, have not been able to submit their applications due to transport difficulties and for other reasons ; and

(b) if so, whether some arrangements would be made by Government to honour such forgotten freedom fighters ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) :** (a) and (b) : State Governments were advised to make suitable arrangements and to provide facilities to freedom fighters to submit their applications. However, there may be some persons who may not have been able to apply for these reasons. There is no time-limit to send applications for pension and such freedom fighters can still apply.

**नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से गुजरात स्थानान्तरित करना**

*337. **श्री बेकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार तथा गुजरात के अनेक वाणिज्यिक संस्थानों ने नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से गुजरात स्थानान्तरित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) नमक आयुक्त के कार्यालय को अहमदाबाद और कांदला में स्थापित करने के लिए विगम समय में क्रमशः गुजरात सरकार और कांदला पोर्ट ट्रस्ट से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) नमक आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को सकुशल ढंग से निभाने के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि नमक आयुक्त का कार्यालय जयपुर जैसे केन्द्रीय स्थान में ही बना रहे।

**पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना**

*338. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में 9 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1485 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों में अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उन्हें अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौदयोगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) प्रसंगाधीन प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित 62 एककों का कुल अचल पूंजी निदेश 98,76,910 रु० है ।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता के रूप में अब तक प्राप्त की गई पूंजी की राशि का निर्धारण इस अवस्था में नहीं किया जा सकता है।

## धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून

***339. श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाये है; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ऐसे कानून पास किये है और क्या केन्द्र सरकार का विचार भी ऐसा कानून बनाने का है?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में कानून बनाये गये है जिनमें बल प्रयोग अथवा प्रलोभन देकर अथवा कपटपूर्ण उपायों से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश, मैसूर तथा मणीपुर में एसे कोई कानून नहीं बनाये गये है। शेष राज्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी। इस विषय पर विधान बनाने का केन्द्र सरकार का कोई विचार नहीं है।

## जन, 1972 में दिल्ली को-ओपरेटिव बैंक, दरियागंज, दिल्ली के कर्मचारियों को लूट लिया जाना

***340. श्री हरी सिंह** : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि 12 जून, 1972 को दिल्ली को-ओपरेटिव बैंक की दरियागंज स्थित शाखा के तीन कर्मचारियों से दिल्ली के सिविल लाइन्स क्षेत्र में दिन दहाड़े 20,000 रुपये लूट लिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को गिरफतार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी हां, श्रीमान : उक्त रकम 20,100 रुपये थी और लूट गये तीन व्यक्ति दिल्ली संयुक्त जल और मल निकास बोर्ड निगम की बचत और ऋण समिति लिमिटेड के एक खजांची और दो पदाधिकारी थे।

(ख) अपराधियों को गिरफ्तार करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे है।

**मध्य प्रदेश के बड़े और छोटे उद्योग**

3180. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने बड़े और छोटे उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) उन उद्योगों में, पृथक् पृथक कुल कितने व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है; और

(ग) गत तीन वर्षों में दोनो क्षेत्रो में गैरसरकारी और सरकारी कितनी पूंजी लगाई गई और योजना की शेष अवधी के लिए कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में अब तक भारत अल्यूमिनियम कंपनी लि० की कोरबा अल्यूमिनियम परियोजना (बिलासपुर जिले में), सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की मेढर परियोजना (रायपुर जिले में) और राष्ट्रीय खनीज तथा विकास निगम की बैलाडीला नं० 5 परियोजना (विस्तार जिले में) स्थापित की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में, विगत तीन वर्षों में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों की संख्या नीचे दी गई हैं :

| वर्ष | जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या | जारी किये गये आशय पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1969 . . . . | 3 | 2 |
| 1970 . . . | 2 | 9 |
| 1971 . . . . | 20 | 31 |
| 1972 से 30-6-72) तक . . | 2 | 18 |

वास्तविक रूप से कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं अथवा उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित/पूरा करने के लिये चौथी योजना में 105.5 करोड रु० का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। गैरसरकारी क्षेत्रो में स्थापित उद्योगों में विगत तीन वर्षों में किये गये निवेश के बारे में विस्तृत ब्योरा (बड़े तथा लघु दोनो प्रकार के उदयोग) उपलब्ध नहीं है।

**गृह कल्याण केन्द्र में अध्यापकों के वेतनक्रम**

3181. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह कल्याण केन्द्र में अध्यापकों (सिलाई, कढ़ाई, तथा संगीत) के कोई निश्चित वतनक्रम नहीं हैं जब कि शिक्षा निदेशालय के समाज कल्याण विभाग में जहां अध्यापकों के लिये उतनी ही अर्हतायें तथा काम के घंटे निश्चित है, अध्यापको के वेतन-क्रम निर्धारित किये हुये हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अध्यापकों के लिये स्वीकृत अनुदान को गृह कल्याण केन्द्र के अन्य कार्य-क्षत्रों तथा शिशु पालन शालाओं आदि के लिये प्रयुक्त किया जाता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ;

(ग) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में अध्यापकों के लिये कितना अनुदान स्वीकृत किया गया और इसी अवधि में कितना धन खर्च किया गया ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से कोई अभ्यावदन दिया गया है ; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री ( श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) गृह कल्याण केन्द्र एक रजिस्टर्ड समिति है, जिसके अध्यापकों को वेतन के बजाय, 75 रुपय से लेकर 252 रुपये तक के भिन्न भिन्न कार्य शल्क दिये जाते है, जो अर्हता / अनुभव तथा पृथक पृथक दो से चार कार्य के घंटो पर आधारित हैं ।

समाज कल्याण विभाग तथा शिक्षा निदेशालय के अध्यापक सरकारी कर्मचारी हैं; इसलिए उन्हें वेतन तथा भत्तो की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं ।

(ख) तथा (ग) : जी नही श्रीमान् । वर्ष 1970–71 तथा वर्ष 1971–72 के दौरान आय-व्ययक तथा स्वीकृत की गई राशि और उस अवधि में व्यय की गई राशिकं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3481/72]**

(घ) जी नही, श्रीमान् ।

तथापि, प्रधान मंत्री सचिवालय से प्राप्त अभ्यवेदन पर सक्रिय रूप सें विचार किया जा रहा है ।

**Construction of Buildings in Madhya Pradesh for Post Offices Housed in Rented Buildings**

**3182. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state

(a) the number of Post Offices in Madhya Pradesh housed in rented buildings and the total amount paid as rent during 1971-72 ;

(b) the number of new post office buildings proposed to be constructed for housing the post offices in Madhya Pradesh during 1972-73 : and

(c) the estimated expenditure thereon ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)** : (a) 801 post office premises.

Total rental paid in the year 71-72 = Rs. 9,11,544.

(b) 20 Post office buildings.

(c) Rs. 11,74,000.

**Medium and Small Scale Industries in Mahakaushal (M.P.)**

**3183. Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of medium scale and small scale industries set up in Mahakaushal region of Madhya Pradesh since 1969-70 and the nature thereof ;

(b) the amount invested in these industries by the Centre and the central financial institutions ; and

(c) the number and the nature of industries proposed to be set up in the said region during the year 1972-73 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Shiddeshwar Prasad)** : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

## बोकाजन सीमेंन्ट कारखाना, आसाम

3184. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में प्रस्तावित बोकाजन सीमेंन्ट कारखाने ने अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) अब तक इस कारखाने में सब श्रेणियों में कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ; और

(ग) विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई हेतु परिवहन और निर्माण कार्यों के लिये अब तक नियुक्त किये गये एजेन्टो और ठेकेदारों के नाम क्या है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) प्रस्ताविक बोकाजन सीमेंट कारखाने में विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है :--

**(1) संयंत्र संरचना और नींव**

विभिन्न नीवों और संरचनाओं का कार्य प्रगति पर है। लगभग 20.5 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जुलाई, 1972 तक लगभग 16% प्रगति हुई है । इसके अलावा, कार्य जारी रखने के लिए सीमेंट, इस्पात और अन्य निर्माण सामग्री भी प्राप्त कर ली गई है ।

**(2) बस्ती और सहायक भवन्**

यह कार्य दो प्रावस्थाओं में बंटा हुआ है। प्रावस्था / भवन, जिनकी पहले पहल आवश्यकता है, लगभग 90% तयार हो गये हैं, जुलाई, 1972 के अंत तक वित्तीय प्रगति लगभग 21.00 लाख रुपये है ।

**(3) अन्य सुविधाएं**

जल संभरण, रेलवे साइडिंग और मल विकास आदि कार्य में अच्छी प्रगति है ।

**(4) खान पर कार्य**

जाने का मार्ग और अस्थायी आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है :--

| | |
|---|---|
| (1) बोकाजन में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या . . | 71 |
| (2) उपर्युक्त 71 में से अन्य परियोजनाओं से स्थानान्तरित किए गए कर्मचारियों की संख्या . . . . . | 35 |
| (3) बोकाजन में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या . . | 36 |
| (4) नियोजित आसामियों की संख्या . . . . | 30 |

(ग) जिन ठेकेदारों को अब तक बोकाजन में काम दिया गया है उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

| कार्य का नाम | ठेकेदार |
|---|---|
| (1) गोदामों, कैंप कार्यालय, फील्ड होस्टल आदि का निर्माण | मे० वुडलैंड कारपोरेशन पो० आ० खाटखोटी, जिला मिकिर हिल्स, आसाम । |
| (2) उपर्युक्त भवनों का आंतरिक विद्युतीकरण | मे० आसाम इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकिनिकल एजन्सी, जोरहाट, आसाम । |
| (3) बस्ती और सहायक भवन . | श्री सोहन सिंह, सरकारी ठेकेदार, दीमापुर, नागालैंड । |
| (4) संयंत्र की नींव और संरचना . . | मे० गन्नन डंकरली एण्ड कं० इंजीनियर्स एण्ड कंट्रेक्टर्स, 25-ए. नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बा० नं० 2392, कलकत्ता-1. । |
| (5) जल संभरण कार्य . . . | मे० पैटरसन इंजीनियरिंग कं० (इण्डिया) लि० 28, चितरंजन एवेन्यू, (जी०पी०ओ० बाक्स 680), कलकत्ता-12. । |
| (6) खान तक जाने के मार्ग पर मिट्टी का कार्य | (1) मे० वुडलैंड कारपोरेशन, पो० आ० खाट-खोटी, जिला मिकिर हिल्स, आसाम ।<br>(2) श्री आर० दास गुप्ता, रेलवे कन्ट्रैक्टर, लुमडिंग पो० आ० आसाम । |
| (7) खाने तक जाने के मार्ग पर कुलियों का निर्माण । | श्री डी० एन० सिंह, ठेकेदार, कैंप बोकाजन, मिकीर हिल्स, आसाम । |
| (8) कंगा नदी से कारखाने के स्थान तक जल संभरण मुख्य लाइन डालना । | मे० के० विश्वास, सरकारी ठेकेदार तथा संभरण कर्त्ता, दीमापुर, नागालैंड । |
| (9) सामान का परिवहन . | (1) मे० वुडलैंड कारपोरेशन, अप पो० बा० खाटखोटी, जिला मिकीर हिल्स, आसाम ।<br>(2) मे० भौमिक ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, गवर्नमेंट कन्ट्रैक्टर और आर्डर सप्लाइयर्स, तिनसुकिया, आसाम । |
| (10) 1 बस्ती और अन्य भवनों का आन्तरिक विद्युतीकरण । | मे० महेन्द्र चालिया, चालिया इलेक्ट्रिकल स्टोअर्स गोलाघाट, आसाम । |
| (11) खान के आसापास की मिट्टी आदि को हटाना । | मे० पसारी ब्रदर्स पो० आ० दुलियाजन, जिला लखीमपुर, आसाम । |

## प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन

3186. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्होंने नवम्बर, 1967 में रुड़की में अपने दीक्षान्त भाषण में कहा था कि हमारे सबसे मेधावी युवक एवं युवतियां इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा क्षेत्रों का चयन करते हैं और यह कि यदि वे सरकारी सेवा में जाते ह तो सामान्य प्रशासक उन्हें शीघ्र ही पीछे छोड़ देता है और यह परिस्थिति अवश्य बदलनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा नवम्बर, 1967 से अब तक इस स्थिति को बदलने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इंजीनियरों एवं डाक्टरों और सामान्य प्रशासकों के बीच विषमतायें इन वर्षों में किसी प्रकार कम की गई हैं, यदि नहीं तो इस अन्तर को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) : प्रधान मंत्री के उपर्युक्त कथन को प्रशासनिक सुधार आयोग के ध्यान में लाया गया जो कि उस समय सरकार के कार्मिक प्रशासन के बारे में जांच कर रहा था । प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय सचिवालय म सभी सेवाओं के मध्यस्थ तथा वरिष्ठ प्रबन्ध स्तरों के प्रवेश के बारे में कुछ सिफारिश की थीं । ये सिफारिश सरकार के पास विचाराधीन हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने एकरूप-ग्रेड बनाने, समान उत्तरदायित्व तथा जटिल कार्यों के लिय समान वतन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया हैं । सरकार इस विषय पर वतन आयोग के विचारों की प्रतीक्षा कर रही है।

## त्रिवेन्द्रम और कोचीन में टेलीविजन केन्द्रो की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3188. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और कोचीन में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इनके कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) : देश के विभिन्न केन्द्रों में टेलीविजन केन्द्र एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थापित करने का प्रस्ताव है। केरल में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर पांचवी योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय विचार किया जाएगा।

## आसाम में उद्योग

3189. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने पर कितने उद्योग है, उनके द्वारा क्या-क्या वस्तुयें निर्मित की जाती है और गत तीन वर्षों में उन्हें आवंटित किये गये आयातित कच्चे माल का उद्योगवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी है;

(ग) उनमें कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में इनमें कितने मूल्य का माल बनाया गया; और

(ङ) इन में कितने उद्योगों के मुख्य कार्यालय आसाम राज्य में है और कितनों के राज्य से बाहर ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी।

## आसाम के उद्योगों में विदेशी सहयोग की मंजूरी

**3190. श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा राज्यों और मिजोराम तथा अरुणाचल संघ राज्य क्षेत्रों में उन प्राइवेट फर्मों तथा और सरकारी उपक्रमों के नाम क्या है जिनके विदेशी फर्मों के साथ सहयोग के लिये गत तीन वर्षों में मंजूरी दी गई ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : पिछले तीन वर्षों में भारतीय और विदेशी पार्टियों के बीच तीन सहयोग प्रस्ताव जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है स्वीकार किए गए। स्वीकृति पत्र में भारतीय पार्टियों द्वारा दिये गये पते के अनुसार जानकारी दी गई है।

| क्र०सं० | भारतीय पार्टी का नाम | विदेशी पार्टी का नाम | उत्पादन की वस्तु |
|---|---|---|---|
| 1 | मे० आसाम स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, शिलांग। | मे० मारुबेनी ईदा कम्पनी लि० जापान | मेन्थोनल कारमलडी हाइड, ग्लू, फार्मलीन एण्ड यू० एफ मोल्डिंग पाउडर। |
| 2 | मे० अशोक पेपर मिल्स लि० केयर आफ उद्योग निदेशक, आसाम शिलांग। | मे० सोगी फ्रान्स | गत्ता और लुगदी/विशेष प्रकार का कागज बनाने के लिये सलाहकार सेवा उपलब्ध कराना। |
| 3 | आसाम इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० शिलांग। | मे० चन्जलीन मिचीनेन फैब्रिक गम्म, पश्चिम जर्मनी। | चन्जलीन पावर टिलर। |

## औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य

**3191. श्री रोदिब ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण सामग्री और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य गत तीन महीनों से असाधारण रूप से बढ़ रहे है ;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण सामग्री और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों का गत तीन वर्षों की तुलना में वर्तमान स्तर क्या है और गत तीन महीनों में इन मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि की यह प्रतिशतता भारत के शेष भागों की तुलना में आसाम-नागालैण्ड, मेघालय आदि पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : चुनी हुई भवन निर्माण सामग्री और औद्योगिक कच्चे माल के पिछले तीन महीनों और पिछले तीन वर्षों के अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3482/72]**

(ग) और (घ): ये सूचकांक अखिल भारतीय स्तर पर तैयार किए गए है क्षेत्र अथवा राज्यवार नहीं।

**आसाम में डाकघर, उप-डाकघर खोलने तथा सार्वजनिक टेलिफोन लगाने के लिये आवेदन पत्र**

3192. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास आसाम में जिलेवार (एक) आसाम के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर (दो) छोटे डाकघर खोलने और (तीन) सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े हैं; और

(ख) आसाम में मौजूदा प्रयोगात्मक डाकघरों की जिलेवार संख्या कितनी है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) असम राज्य में सम्बन्धित पोस्टमास्टर जनरल के पास (क) देहाती इलाकों में शाखा डाकघर (ख) उप डाकघर और (ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में जितनी अर्जियां बकाया है उनका जिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

| जिले का नाम | शाखा डाकघर | उप डाकघर | सार्वजनिक टेलिफोन घर |
|---|---|---|---|
| कामरूप | 2 | 3 | 15 |
| गोलपाड़ा | 6 | 1 | 3 |
| दरांग | 2 | 1 | 5 |
| नौगांव | 3 | .. | 4 |
| मिकीर पर्वतीय क्षेत्र | 2 | 1 | 2 |
| उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र | .. | 1 | |
| कछार | 12 | .. | 7 |
| शिवसागर | 4 | 2 | 6 |
| उत्तर लखीमपुर | 11 | .. | 10 |
| डिब्रुगढ़ | 5 | .. | |

(ख) असम राज्य में मौजूदा प्रायोगिक डाकघरों की जिलेवारी संख्या निम्नलिखित है :—

| जिले का नाम | प्रायोगिक डाकघरों की संख्या |
|---|---|
| कामरूप | 173 |
| गोलपाड़ा | 101 |
| दरांग | ;) |
| नौगांव | 63 |
| मिकिर पर्वतीय क्षेत्र | 14 |
| उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र | 6 |
| कछार | 127 |
| शिवसागर | 146 |
| उत्तर लखीमपुर | 63 |
| डिब्रूगढ़ | 55 |

**कैदियों को सजा में छूट**

**3193. श्री के० लक्कप्पा** : क्या गृह मंत्री स्वाधीनता की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर कैदियों को सजा में छूट देने के बारे में 9 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के पुनरीक्षण बोर्ड ने अनुसूची-II में वर्णित कैदियों के मामलों पर पुनर्विचार कर लिया है तथा अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कदियों के नाम क्या हैं जिन्हें मुक्त कर देने की सिफारिश की गई है तथा उन्हें किस तारीख से मुक्त करने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक] आरम्भ में 21-8-1972 को होनी थी, किन्तु कुछ प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई।

**पश्चिम बंगाल म ढलाई के कारखानों का बन्द होना**

**3194. श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन फाउन्डरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के 1 जून, 1972 के "सत्य युग" (कलकत्ता से प्रकाशित बंगाली पत्रिका) में छपे इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में ढलाई के कारखानों पर गम्भीर संकट आया हुआ है ;

(ख) क्या ढलाई के अनेक कारखाने पहले ही बन्द हो चुके हैं और कुछ बन्द होने वाले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है। सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये स्थान**

3195. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ करने को वांछनीयता तथा उनके लिये स्थानों के बारे में अध्ययन करने हेतु श्री एम० एस० पाठक योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) क्या समिति ने केरल के इस अनुरोध पर विचार किया है कि राज्य में ऐसा एक एकक स्थापित किया जाये ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा)**: (क) और (ख) : श्री एम० एस० पाठक, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति, देश में टेलीफोन उपस्कर की मांग और आपूर्ति की जांच करेगी और कमियों को दूर करने के तरीके सुझायेगी। इसके अलावा देश में दूर संचार उपस्कर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये सुविस्तृत योजना की सिफारिश करेगी। समिति ने अभी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ग) जी नहीं। यह मामला समिति के विचारार्थ विषयों के अधीन नहीं आता है।

**पालघाट में सूक्ष्म उपकरण कारखाना**

3196. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** :

**श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पालघाट में सूक्ष्म उपकरण कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादन शीघ्र आरम्भ करने हेतु कोई कदम उठाये है; और

(ग) उक्त पालघाट कारखाने के लिये उत्पादन की क्या पद्धति सोची गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां ।

(ख) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड से जो कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, परियोजना की स्थापना के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने को कहा गया है। इस समय कम्पनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अधुनातन बनाने में लगी है। कम्पनी के अधिकारियों के एक दल ने पालघाट का दौरा किया है और परियोजना स्थापना स्थल के बारे में निर्णय किया है। कम्पनी ने कुछ मुख्य कार्मिकों को परियोजना का कार्य सौंपा है ।

(ग) प्रथम चरण में कंट्रोल बल्बों और सहबद्ध वस्तुओं के निर्माण का प्रस्ताव है।

**आन्ध्र प्रदेश का योजना परिव्यय**

3197. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश का कुल तथा वर्गवार कितना परिव्यय है और उस म केन्द्रीय सरकार की कितनी सहायता शामिल है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :**

**आन्ध्र प्रदेश की चौथी योजना के लिए परिव्यय, व्यय और केन्द्रीय सहायता**

(करोड़ रुपये)

| | परिव्यय | केन्द्रीय सहायता |
|---|---|---|
| चौथी योजना स्वीकृत परिव्यय . . . . | 420.50 | 240.00 |
| | व्यय | भुगतान |
| 1969–70 . . . . . | 76.13 | 41.49 |
| 1970–71 . . . . . | 82.57 | 43.56 |
| 1971–72 (प्रत्याशित) . . . . | 104.79 | 47.82 |
| 1972–73(स्वीकृत) . . . . . | 105.00 | 46.56 (आवंटन) |

**शिखर समझौते के पश्चात् शेख अब्दुल्ला का प्रधान मंत्री को पत्र**

3198. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुये शिखर समझौते के पश्चात् शेख अब्दुल्ला ने प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या लिखा गया है; और

(ग) सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : राजनतिक नेता प्रधान मंत्री पर भरोसा करते हुए विभिन्न विषयों पर लिखते हैं। एसे पत्रों के विषय को प्रकट करने की सामान्यतः प्रथा नहीं है।

**केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोगशाला-जांच**

3199. **श्री बेकारिया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कच्छ जिले से निकाली गयी लिगनाइट खनिज के नमूनों के गुणों की प्रयोगशाला-जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या यह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है ?

**औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम):** (क) जी हां।

(ख) कच्छ लिगनाईट पर की गयी खोजों से घरेलु ईंधन, विदयुत उत्पादन और उर्वरा के लिये इसकी उपयोगिता के विभव का पता लगता है।

(ग) लिगनाईट के गुणों और खोजों सम्बन्धी प्रगति का एक संक्षिप्त नोट गुजरात खनिज विकास निगम (जी०एम०डी०सी०) को केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०आर०आई०) जियलगोडा द्वारा अगस्त, 1971 में पहले ही भेजा जा चुका है। जी०एम०डी०सी० ने इच्छा व्यक्त की है कि संस्थान उसे पहले घरेलू ईंधन का साध्यता सम्बन्धी प्रतिवेदन और फिर वैसे ही विद्युत उत्पादन और उर्वरकों पर प्रतिवेदन भेजें। प्रथम प्रतिवेदन तैयार हो रहा है और उसके जल्दी ही पेश किये जाने की आशा है।

## विभिन्न ब्राण्डों के टेलीवीजन सेटों के मूल्यों में अंतर

3200. **श्री आर० पी० यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन सैटों के मूल्य-सूचकांक की जांच की है जिनमें एक ब्रांड की कीमत से दूसरे ब्रांड की कीमत में बहुत अधिक अन्तर है ;

(ख) क्या कुछ ब्रांडों के टेलीविजन सैटों का कार्य असन्तोषजनक पाया गया है ; और

(ग) ऐसी स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त)** : (क) से (ग) : देश में निर्मित विभिन्न ब्रांड के टलीविजन सैटों के खुदरा मूल्य में कोई अधिक अंतर नहीं है, स्वदेशी सैटों का कार्य अच्छा है।

## आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियन्त्रण

3201. **श्री श्रीकिसन मोदी** :
**श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण के उपायों को किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में से बाहर रखा जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : जी, हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

## Cheating of North Indians by a Bogus Scooter Factory

3202. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the 'Blitz' (Hindi) dated the 3rd June, 1972 under the Caption "Scooter ke Kagzi karkhane se Uttari Bharat Ke logon ki thaggi" ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad)** : (a) Yes, Sir.

(b) A Press Note informing the public of the correct position of the affairs of M/s. Praja Sahakari Samiti has been issued by the Govt. of Rajasthan. The Affairs of the Samiti are under investigation by the Police. Pending completion of the enquiry, the Govt. of Rajasthan have taken steps to ensure that no withdrawals from its Bank Account are allowed to the Samiti.

**Educated Women and Men in Various States and Cities**

**3203. Shri Lalji Bhai :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of educated women in the various States and in the four biggest cities of the country ; and

(b) the percentage of educated men in the said States and cities?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) & (b) : The percentage of literate males and females to the total population in each of the States/Union Territories and the four largest cities in India, according to the 1971 Census of India is given in the statement attached. [*Placed in library See No. L. T.* 3483/72). The literate persons cover all those who can read and write irrespective of their educational level. The details of literate persons accor ding to educational levels are not yet available.

**यमुना नदी, दिल्ली , पर रेल-व-सड़क पुल को पार करने के बारेमें प्राथमिकता**

3204. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र की ओर से आने वाले यातायात को यमुना (दिल्ली) नदी पर रेल-व-सड़क पुल पार करने के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो गांधी नगर क्षेत्र से आने वाले यातायात को शाहदरा क्षेत्रो से आने वाले यातायात के समान ही इस पुल के (खुला होने पर) दोनों मार्गों पर आने-जाने की सुविधायें न देने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पुल पर तैनात दिल्ली की यातायात पुलिस शाहदरा व गान्धी नगर की ओर से आने वाल यातायात को एक समान समझती है । गान्धी नगर से आने वाले यातायात को दोनों वाहन-मार्गों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता क्योंकि वह शाहदरा से आने वाल यातायात के आड़-कटाव पर होता है जिससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है ।

**शिमला समझौते के बाद जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी तोड़फोड़ करने वाले**

3205. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला समझौत के बावजुद पाकिस्तान सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य में तोड फोड़ करने वाले व्यक्तियों को भेज रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और गत तीन महीनों में इस प्रकार तोड़ फोड़ करने वाल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती उपाय किये है ।

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) ऐसा कोई मामला अभी तक सूचित नही किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सुरक्षा एजेन्सियां इस सम्बन्ध में सामान्य सतर्कता बरत रही है ।

**महाराष्ट्र-मैसूर सीमा**

3207. **श्री बी० वी० नायक :**

**श्री के० मालप्पा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच सीमा के बारे में हाल ही में अपने-अपने रवैये की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों मुख्य मंत्रियों द्वारा क्या-क्या रवैया अख्तियार किया गया; उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) मुख्य मंत्रियों से हाल में मामले पर अपना दृष्टिकोन इंगित करते हुए कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रत्यापित संवाददाताओं का कार्य**

3208. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस वर्ष मई और जुलाई के बीच 'जन मोर्चा' फैजाबाद, 'सकाल' पूना-बम्बई, 'गुजरात हेरल्ड', 'मातृभूमि' अहमदाबाद, 'सर्चलाइट' पंतनगर, 'सदा-ए-आम' के नई दिल्ली स्थित प्रत्यय पत्र संवाददाताओं द्वारा भेजे गए सन्देशों का, जो कि प्रकाशित हुए हैं एक विवरण सभी पटल पर रखेंगे ;

(ख) क्या प्रेस सूचना ब्यौरो तथा प्रत्यय-पत्र समिति ने यह जांच की है कि इन संवाददाताओं की तारों पर उनके कार्ड नम्बर आदि दिये होते हैं; और

(ग) क्या अनेक प्रत्यय-पत्र प्राप्त संवाददाता उन समाचार पत्रों के अतिरिक्त, जिनके लिए उनको प्रत्यय पत्र दिये गए है, अन्य समाचार-पत्रों के लिये कार्य कर रहे है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) प्रत्यायित प्रैस संवाददाताओं को अपने समाचार-पत्रों को भजे गए संवादों की संख्या तथा वास्तव में प्रकाशित इस प्रकार के संवादों की संख्या के बारे में पत्र सूचना कार्यालय को सूचित करना आवश्यक नहीं है । अतः अपेक्षित सूचना उपलब्ध नही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रत्यायन संबंधी नियमो के अन्तर्गत, संवाददाताओं पर उन समाचार-पत्रों के अतिरिक्त जिनके लिए उनको प्रत्यायित किया जाता है, अन्य समाचार-पत्रों के लिय कार्य करने के लिए कोई रोक नहीं है ।

**State Government Schemes for Educated Unemployed**

3209. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have received schemes from some State Governments for providing employment to the educated persons;

(b) if so, the names of the said States ;

(c) the number of educated persons likely to be provided with employment under these schemes; and

(d) whether Government propose to ask the remaining States to prepare such schemes; if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia):** (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in library. See. No. L.T.* 3484/72].

**Arrest of Pak spies During Last Two Months**

**3210. DR. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistani spies have been arrested in the country during the last two months ; and

(b) if so, the number thereof and the names of places where they have been arrested ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :** (a) and (b) Information in regard to the number of Pak spies arrested during the months of June and July, 1972, is being collected from the State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tripura and West Bengal. There were no such arrests in the remaining States/Union Territories.

**भारत में विदेशी कम्पनियों में विदेशियों द्वारा धारण किए गए पदों पर भारतीयों की नियुक्ति**

3211. **श्री के० मालन्ना :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय विदेशी ऊँचे पदों पर आसीन है ;

(ख) क्या सरकार का उन कम्पनियों में ऐसे पदों का भारतीयकरण करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और वह योजना कब तक लागू हो जायेगी?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया है । देखिये संख्या० एल० टी० 3485/72]

(ख) और (ग) : विदेशी फर्मों में पदों को प्रगामी रूप से भारतीयों को दिये जाने की योजना 1952 से चालू हुई है। इस हेतु कोई सांविधिक अधिनियम नहीं है । सरकार की नीति उन्हें समझाकर तैयार करने की रही है । फलतः विदेशी कंपनियों के 3000 रु० मासिक तक के पद अब भारतीयों पर हैं और 3001 से 5001 रु० मासिक तक के 10 पदों में 9 से अधिक पद भारतीयों पर हैं ।

**यूनाइटेड कमर्शल बैंक के भतपूर्व कस्टोडियन के विरुद्ध जांच-पड़ताल**

3212. **श्री के० मालन्ना :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1966 में रुपये का अवमूल्यन करने के अवसर पर हिन्दुस्तान मोटर्स लि० द्वारा इस बैंक के माध्यम से किये गये कुछ लेन देनों के बारे में लगाये गये आरोपों के बाद यनाइटेड कमर्शल बैंक के भूतपूर्व कस्टोडियन और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू की गई जांच अब पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) जी नहीं, श्रीमान्। (ख) तथा (ग) प्रश्न : नहीं उठता ।

**Arrest of Infiltrators in Jammu and Kashmir After Indo-Pak War**

**3213. Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of infiltrators arrested in Jammu and Kashmir, Poonch-Rajouri and other places after the December 1971 Indo-Pak war; and

(b) the action taken by Government against them ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) :** (a) & (b) : Information is being collected from the Government of Jammu and Kashmir and will be placed on the Table of the House as soon as it is received.

**चण्डीगढ़ में सूत और सूती धागे पर विक्रय कर की दरें**

**3214. श्री अमरनाथ विद्यालंकार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन सूत और सुती धागे की बिक्री पर विक्रय कर के रूप में क्रमश: दो रुपये और छ: रुपये वसूल करता है जबकि हरियाणा और पंजाब में इस कर की दर केवल एक प्रतिशत है और दिल्ली में इस माल पर बिल्कुल विक्रय कर नहीं है ;

(ख) क्या चण्डीगढ़ के व्यापारियों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि चण्डीगढ़ में कर की दर बहुत अधिक होने के कारण यह व्यापार पंजाब और हरियाणा के व्यापारियों के हाथों में चला गया है जिससे वहां के व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सुत और धागों पर बिक्री कर इस प्रकार है :—

| | सूत | धागा |
|---|---|---|
| चण्डीगढ़ . . . . . | 2 प्रतिशत | 6 प्रतिशत |
| पंजाब . . . . . | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
| हरियाणा . . . . . | 1 प्रतिशत | 6 प्रतिशत |
| दिल्ली . . . . . | 1 प्रतिशत | शून्य |

(ख) चण्डीगढ़ के व्यापारियों ने चण्डीगढ़ में बिक्री कर की दरें बहुत अधिक होने के बारे में चण्डीगढ़ प्रशासन को अभ्यावेदन दिया है किन्तु यह सत्य नहीं है कि व्यापार पंजाब और हरियाणा के व्यापारियों के हाथों में चला गया है।

(ग) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

**विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का गैर-काननी कारोबार**

3215. **श्री के० बालातंडायुत्तम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि भारत में काम करने वाली कुछ विदेशी कम्पनियां विदेशी मुद्रा का गैर-कानूनी कारोबार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में जो ध्यान में आते हैं, उनके सम्बन्ध में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है । विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों को रोकने के लिए समय समय पर यथोचित विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किये जाते हैं।

**वर्ष 1972-73 के लिये उड़ीसा का अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय**

3216. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के लिये उड़ीसा का अनुमोदित वार्षिक परिव्यय क्या है ;

(ख) इस अनुमोदित परिव्यय में केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी है; और

(ग) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग, अनुमोदित परिव्यय की राशि कितनी है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) तथा (ख) : उड़ीसा के लिए वार्षिक योजना 1972–73 का स्वीकृत परिव्यय 57.42 करोड़ रुपये है जिसमें केन्द्रीय सहायता की राशि 31.04 करोड़ रुपये है।

(ग) विकास की विभिन्न मदों में 1972–73 के परिव्यय के वितरण को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3486/72]**

**'हार्ड प्लास्टिक' का उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा तरीके की खोज**

3217. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विज्ञान और औद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किए गए हार्ड प्लास्टिक ए० बी० एस० का उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने किसी तरीके की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका आयात कम करने और इसकी बढ़ती हुई भावी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार वाणिज्यिक स्तर पर इसके उत्पादन को प्रोत्साहन देना उचित समझती है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम):** (क) जी हां, श्रीमान जी । श्रीराम औद्योगिक अनसंधान संस्थान, दिल्ली, द्वारा ए०बी०एस० प्लास्टिक (एक्रीलोनिटाईल, ब्यूटाडाईन, स्टाईरीन) के उत्पादन के लिए एक विधि का विकास किया गया है। यह कार्य एन आर डी सी (राष्ट्रीय अनुसंधान विकास समिति) के द्वारा प्रायोजित किया गया था।

(ख) देश में इस पदार्थ के उत्पादन-विधि को लाइसेंस देने के लिए कार्यवाही पहले से ही जारी है।

## तौल और माप के लिये विधान बनाना

3218. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तौल और माप सम्बन्धी मन्त्रा समिति में राज्यों को इस बारे में कोई सुझाव दिया है कि तौल और माप के सम्बन्ध में कानून के उल्लंघन के लिये दण्ड देने हेतु विधान बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार इस मामले पर राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभागों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों शिक्षण संस्थाओं, कृषकों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और व्यापारियों के विचार जानने के बाद निर्णय करेगी ।

## खादी के क्रय में कमी

3219. **श्री धर्मराव अफजलपूरकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो वर्षों में खादी की खरीद में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) गत दो वर्षों में बिक्री 26 करोड़ के आस पास स्थिर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## कृषि उपकरणों के उत्पादन में कमी

3220. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कृषि उपकरणों, यथा, गाहने की मशीनों, ट्रक्टरों के फालतू फुर्जों, पानी के पम्पों तथा अन्य ऐसे ही उपकरणों के उत्पादन में गत एक वर्ष से कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):** (क) 1970 की तुलना में 1971 में उत्पादन में थोड़ी कमी आई है ।

(ख) उपयुक्त कृषि उपकरणों का उत्पादन मुख्यत: ट्रैक्टर उत्पादकों द्वारा स्वत: किया जाता है । चूंकि 1971 में 1970 की अपेक्षा ट्रैक्टरों के उत्पादन में कमी आई है अत: कृषि उपकरणों और ट्रैक्टरों के लिये आवश्यक सहायक पुर्जों का उत्पादन भी 1971 में कम हुआ है ।

## अनुसंधान के लिये सुविधाओं के अभाव के कारण प्रतिभा-पलायन

3221. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ अनुसंधान की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण देश छोड़ कर जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिभा-पलायन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम)**:(क) विदेश जाने वाले वैज्ञानिक उच्च अध्ययन, प्रशिक्षण अथवा विषद् या विशेष अनुभव प्राप्त करने के लिये ऐसा करते हैं। कुछ लोग अत्यधिक विकसित देशों में रोजगार सम्बन्धी अच्छे और अधिक सुअवसरों के आकर्षण में जाते हैं।

(ख) योग्य वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदान करने के लिये जो उपाय किये गये हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को उपयुक्त वैज्ञानिक संगठनों में जल्दी रोजगार दिलाने के लिये भारत सरकार ने अधिसंख्यक पदों का निर्माण करने सम्बन्धी एक योजना पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(2) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा एक वैज्ञानिकों के पुल का संचालन किया जा रहा है जो उपयुक्त संगठनो में अनुसंधान संबंधी अवसर प्रदान करता है।

(3) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, सी०एस०आई०आर० एवं अन्य वैज्ञानिक अधिकरणों ने अनुसंधान कार्य के लिये विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान संस्थानों में एक बड़ी संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्तियां देना आरम्भ कर दिया है।

(4) अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करने के लिये वैज्ञानिकों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

(5) कुछ चुने हुए विश्व-विद्यालयों को विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों में 'उच्च अध्ययन केन्द्र' स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष सहायता प्रदान कर रहा है।

(6) विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला का अग्रिम विकास करने और विशिष्ट उपकरणों की खरीद के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यवस्था कर दी है।

## केरल में स्कूलों में शिक्षा-शुल्क का एकीकरण

3222. **श्री पीलू मोदी :**
**श्री एम० एम० जोजफ :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में शिक्षा-शुल्क के एकीकरण सम्बन्धी राज्य सरकार के निर्णय से केरल में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने यह मामला केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) : केरल के गैर-सरकारी कालेजों के प्रबन्धकों ने उस विवाद को हल करने में प्रधान मंत्री की सहायता मांगी थी जिसे हाल में मित्रभाव से तय कर लिया गया है।

## Short supply of Cement and Salt in Champaran District of Bihar

3224. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether supply of cement and salt is inadequate in Champaran district of Bihar ;

(b) whether prices thereof are increasing due to short supply; and

(c) if so, the scheme proposed to be formulated by Government to ensure adequate supply thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad)** : (a) & (b) : Champaran District has been notified as goitre endemic area and therefore, only iodised salt is allowed to be consumed in this District. There is no shortage of iodised salt in the Champaran District, nor have any reports been received from the Government of Bihar regarding rise in the prices of iodised salt in this District. As regards cement, due to lack of sufficient communication facilities, normally North Bihar including Champaran District does not receive adequate supplies, one of the main contributing factors being absence of adequate rail links over the river Ganges connecting the North with South Bihar. The Japla Cement Factory in South Bihar remained closed in 1971 and this had further aggravated the supply position in Bihar.

(c) Suitable measures have been taken to augment supplies to this region. These include creation of dumps and terminal stations for rail-*cum*-road movements at Barauni, Patna and Varanasi to facilitate road movements from these stations to North Bihar. The Government of Bihar have also promulgated Cement Control Order in July, 1972 by which the State Govt. now controls both appointment of stockists and their sales. With the reopening of Japla Cement Factory from 5th July, 1972, it is expected that the supply position will improve further. Cement Labour have gone on strike from 17th midnight, and this is likely to affect the position regarding availability of cement.

## केरल में विदेशी बागानों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी विधेयक

3225. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में विदेशी बागानों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी एक विधेयक भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) तथा (ख) : केरल सरकार से अध्यादेश का प्रारूप उद्घोषणा हेतु राष्ट्रपति के अनुदेशों के लिए प्राप्त हुआ है। विधान के प्रारूप की नीति के दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक परीक्षा किये जाने की आवश्यकता है और उसकी परीक्षा की जा रही है।

## रीवां डिवीजन में छोटे पैमाने के उद्योग

3226. **श्री रणबहादुरसिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रीवां डिवीजन में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के संबंध में वर्ष 1971–72 के दौरान क्या प्रगति हुई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : मध्य प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के इन्टक नेता को कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित पिटाई

3227. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के इन्टक यूनियन नेता श्री आर० पी० भास्कर को 25 जुलाई, 1972 को ड्यूटी के समय कुछ व्यक्तियों ने बुरी तरह पीटा था;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज की है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम अथवा पुलिस ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्। 25-7-72 को दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम में वरिष्ठ लिपिक तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम मजदूर कांग्रेस का पदाधिकारी श्री आर० पी० भास्कर का झगड़ा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के क्षत्रीय अधीक्षक (क्षेत्र 14) के कार्यालय में दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कनिष्ठ लाइनमैन श्री जगदीश सिंह के साथ हुआ। झगड़े में श्री आर० पी० भास्कर को मामूली चोट आई।

(ख) जी हां, श्रीमान। पुलिस को की गई अपनी रिपोर्ट में श्री आर० पी० भास्कर ने शिकायत की थी कि श्री जगदीश सिंह द्वारा उसका बटुआ चुरा लिया गया जिसमें 210 रुपये थे। 25-7-72 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 (चोरी) के अन्तर्गत पुलिस थाना पंजाबी बाग में एक मामला एफ० आई० आर० सं० 438 दायर किया गया है।

(ग) पुलिस द्वारा चोरी के आपराधिक मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों पक्षों की शिकायत तथा जवाबी शिकायत की दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के प्राधिकारियों द्वारा विभागीय जांच पड़ताल की जा रही है।

## Imbalances in Population in Border Areas

**3228. Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether infiltration is one of the main causes of imbalances in population in border areas on the basis of religion as revealed in the recent Census ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)** : The 1971 Census has not revealed any imbalance in the population composition of the border areas that can be traced to infiltration.

## इंजीनियरिंग एककों के क्रयादेश तथा उत्पादन

**3229. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
**श्री के० लक्कप्पा :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्जीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इन्जीनियरिंग औद्योगिक एककों को भविष्य में और अधिक क्रयादेश मिलने की तथा उनमें अधिक उत्पादन की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं और चालू वर्ष में कितने क्रयादेश मिलने तथा तथा कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण 111 कम्पनियों का किया गया था जिसमें इन्जीनियरी उद्योग के विभिन्न क्षेत्र शामिल है आंकड़ों का विश्लेषण करने में विगत दो छमाहियों के सर्वेक्षण के परिणामों को भी ध्यान में रखा गया। इनके अनुसार सामान्य रूप से सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्र में विशेषकर इंजीनियरी उद्योग

में अधिक आशावादिता है। उन्होंने (1) अधिकाधिक पुंजी उपलब्ध (2) अधिकाधिक क्षमता का प्रयोग, (3) अधिकाधिक रोजगार की संभावनाएं (4), क्रयादेश तथा उत्पादन-स्थिति में सुधार और (5) निर्यात के वर्तमान स्तर के बने रहने की (यद्यपि उन्होंने ठीक ठीक आंकड़ों नहीं बताए हैं) सम्भावना का अनुमान लगाया है।

## पूर्वोत्तर परिषद्

3230. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख बातें क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उत्तर पूर्वी राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड व त्रिपुरा के राज्यपाल और इन राज्यों के मुख्य मंत्री, मिजोराम के उप राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त तथा उनका एक सलाहकार इस परिषद के सदस्य है। राज्यपाल को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। परिषद एक सलाहकारी एवं सिफारिशी निकाय है। इसका मुख्य कार्य सम्पूर्ण क्षेत्र के संतुलित विकास को दृष्टि में रख कर क्षेत्रीय समन्वित योजना बनाना तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन गठित क्षेत्रीय परिषदों के समान कार्य निर्वहन करना है। परिषद का कार्य सुरक्षा व लोक शान्ति बनाये रखने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा किए गये उपायों का समय समय पर पुनरीक्षण भी करना तथा अन्य उपायों की सिफारिश करना होगा।

## भारत के रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनियों का अध्ययन

3231. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक ने 290 कम्पनियों का जो अध्ययन हाल ही में किया था उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) और (ख): भारत के रिजर्व बैंक द्वारा 290 गैर-सरकारी, वितेतर पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के किये गये अध्ययन का निष्कर्ष भारत के रिजर्व बैंक के फरवरी 1972 के बुलेटिन में उपलब्ध है और वह मुख्य रूप से समवाय कार्य विभाग से सम्बन्ध रखता है।

## सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु-सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष तक कर देना

3232. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सरकारी-सेवा में प्रवेशार्थ आयु-सीमा को बढ़ा कर 30 वर्ष कर देने का है; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) तथा (ख): सरकारी सेवा में प्रवेशार्थ ऊपरी आयु सीमा में 30 वर्ष तक की वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभिन्न पदों के लिए ऊपरी आयु सीमाएं उनके लिए आवश्यक योग्यता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। तथापि, संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के कर्मचारी पक्ष द्वारा

दिये गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप श्रेणी-iii अनुसचिवीय अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में 21 से 25 वर्ष तक की वृद्धि करने के आदेश मार्च, 1972 में जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली श्रेणी i तथा श्रेणी ii के पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में अप्रैल, 1972 में 24 से 26 वर्ष तक की वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ ही, इंजीनियरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिन्होंने गतिरोध की अवधि के दौरान इंजीनियरी परीक्षाएं मितव्ययता के आधार पर पास की थीं उन के सम्बन्ध में वर्ष 1972-73 में होने वाली इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं में तथा इसी प्रकार वर्ष 1973 एवं 1974 की इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रानिकी) परीक्षाओं के लिए भी 30 वर्ष तक की वृद्धि कर दी गई है। इंजीनियरी सेवाओं तथा इंजीनियरी पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न हो कर अन्य प्रक्रिया से होती है, उनके सम्बन्ध में 35 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

**सरकार से धन वसूल करने के लिये नियोक्ताओं के हथकंडे**

3234. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 जुलाई, 1972 के 'जुगान्तर' (कलकत्ता से काशित होने वाले बंगाली दैनिक) में प्रकाशित 'ट्रिक्स आफ दि एम्पलायज-टु रिलाइज मनी फराम गवर्नमेंट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):** (क) सरकार प्रेस विज्ञप्ति के अवगत है।

(ख) ऐसा कोई दृष्टांत इस मंत्रालय के समक्ष नहीं आया है।

**कलकत्ता के एक राष्ट्रीयकृत बैंक में लगभग 60 लाख रुपये की जाल-साजी**

3235. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1972 में, कलकत्ता के एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ लगभग 60 लाख रुपये की जाल साजी के संबंध में गिरफतार किये गये व्यक्तियों के नाम तथा अन्य पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) बाद में छोड़े गये अथवा जमानत पर रिहा किये गये व्यक्तियों के नाम तथा तत्संबंधी पूरा विवरण क्या है तथा इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या पुलिस ने इस जाल साजी से संबंध व्यक्तियों के विरूध्द आरोप-पत्र तैयार करके पेश कर दिये है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या इस मामले को वापस ले लेने का कोई प्रस्ताव है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता में धोखाघड़ी के संबंध में निम्नलिखित व्यक्ति गिरफतार किये गये थे :—

(1) फतिक चन्द्र मजूमदार
(2) गुरुपाद पंजा
(3) नाबा कुमार बसक
(4) मतीलाल पाल
(5) पुलक चन्द्र पाल

} ये पांच व्यक्ति बैंक के कर्मचारी नहीं हैं। उन्हे 26-4-1972 को गिरफ्तार किया गया।

(6) रतन कुमार मजूमदार — बैंक का कर्मचारी नहीं है, 4–5–72 को गिरफ्तार किया गया ।

(7) नलिनि रंजन दत्त, प्रबन्धक, कलकत्ता शाखा । 27–4–1972 को उसकी गिरफतारी के समय वह क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहा था ।

(8) धीरेन्द्र चन्द्र मकर्जी, नई मणिकतोला शाखा का प्रबन्धक, 28–4–1972 को गिरफतार किया गया था ।

(9) बलदेव भट्टाचार्जी, मुख्यालय की लघु उद्योग योजना के अधीन दिये जाने वाले ऋण का सहायक प्रबन्धक तथा इन्चार्ज, 29–4–72 को गिरफतार किया गया ।

(10) कृष्ण गोपाल घटक, अग्रिम धन नियंत्रण विभाग का अधिकारी मुख्यालय लघु उद्योग योजना, को 4–5–72 को गिरफतार किया गया ।

(11) अनिल कुमार सिन्हा, बैंक के हाथी बागान शाखा के सुरक्षा विभाग का इन्चार्ज, को 4–5–72 को गिरफतार किया गया ।

(12) सुबोध कुमार मित्रा, तोलियागंज शाखा के प्रबन्धक को 15–5–1972 को गिरफतार किया गया ।

(13) चितरंजन दत्त 29–5–1972 को गिरफतार किया गया । वह बैंक कर्मचारी नहीं है ।

(14) विनय भूषण सेनगुप्त, बहाला शाखा के प्रबन्धक को 12–6–1972 को गिरफतार किया गया ।

(ख) सभी अभियुक्त व्यक्ति पुलिस की हिरासत में थे तथा इसके बाद ढाई माह तक जेल की हिरासत में रहे । अपराधी संख्या 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को मुख्य प्रजिडेंसी मैजिस्ट्रेट द्वारा 10–7–1972 को जमानत स्वीकृत की गई थी । अभियुक्त संख्या 1, 3, 4, 6, 13 और 14 को मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट द्वारा 10–8–1972 को जमानत स्वीकृत की गई थी ।

(ग) काफी संख्या में दस्तावेज पकड़े गये हैं । इनकी संवीक्षा की जा रही है । एक बड़ी संख्या में लोगों से पूछ ताछ की जानी है । अतः इस मामले की जांच-पड़ताल पूरी करने में तथा आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा ।

(घ) इस मामले को वापस लेने का कोई विचार नहीं है ।

**Residential Quarters for Posts and Telegraphs Employees in Pali City (Rajasthan)**

**3236. Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether no residential quarters have been provided to the Posts and Telegraphs employees working in Pali City of Rajasthan which adversely affect the efficiency of employees coming from far off places and they have to pay high rents ; and

(b) whether Government propose to provide residential accommodation to the employees nearby Posts and Telegraphs Office and if so, the time by which a final decision will be taken in this regard ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna):** (a) One residential quarter for the post of Postmaster, Pali Post Office, has been provided.

(b) It is intended to provide residential accommodation to employees near Posts and Telegraphs Office subject to availability of suitable land. A target date for this work will be fixed after the land is acquired.

## खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिये योजना

3237. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग चालू वर्ष में खादी आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है ;

(ख) क्या आयोग स्वर्ण जयन्ती वर्ष में खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिये कोई विशेष योजना शुरू कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**:(क) और (ख): जी, हाँ ।

(ग) आयोग के कार्यक्रम में ये बातें शामिल हैं :—

(1) एक लाख खादी परिवारों का नाम दर्ज करना;

(2) पुस्तिकाएं, पैम्प्लेटों को प्रकाशन रेडियो रुपकों, विचार गोष्ठियों, अध्ययन गोष्ठियों, फिल्मों के आयोजना आदि के माध्यम से "व्यक्तियों" को शिक्षा देने का कार्यक्रम; और

(3) उन्नत औजारों तथा आयोग की उपलब्धियों की प्रदर्शनी आयोजित करना तथा प्रदर्शनी के एक अंग के रूप में सिले-सिलाये वस्त्रों (खादी किटों) और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री करना ।

## क्रास-बार स्विचिंग फैक्टरी का स्थापना स्थल

3238. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रास-बार स्विचिंग फैक्टरी की स्थापना के स्थान के बारे में निर्णय लेने के प्रश्न की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में केरल सरकार के प्रस्ताव तथा विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर इस बीच विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)**:(क) से (ग): दूसरे स्विचिंग कारखाने के स्थान निर्धारण का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

## Abduction of Girls in Delhi During Last three Years.

3240. **Shri Ishwar Chaudhri :**
**Chaudhry Dalip Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number and the details of the incidents of abduction of girls from Delhi reported during the last three years;

(b) the number of girls, out of them, handed over to their guardians ;

(c) the reasons for which Police has been unable to trace the rest of the girls and the steps taken to recover the remaining girls ; and

(d) the efforts made to check such incidents in future and the results thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) 110 girls. A statement of the details of the incidents of abduction is being compiled and will be laid on the table of the House.

(b) 104 out of 110 girls have been recovered and handed over to their guardians.

(c) Despite best efforts of the local police, no clue of the culprits or the remaining abducted girls could be found. The 6 cases, 3 of the year 1970 and 3 of the year 1971 were sent up as untraced as cases of elopement.

(d) The beat patrol, plain clothed and uniformed policemen are detailed near girls schools/colleges and in the business centres to cheque such crimes. However, there is little scope for preventive action by the police in cases of elopement which are registered in the police stations as abduction.

**पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों में मतभेद**

3241. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में आयोजित विचार गोष्ठी में पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों में मतभेद था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)**: (क) तथा (ख): माननीय सदस्य द्वारा जिस विचार गोष्ठी की ओर संकेत किया गया है उसके संबंध में पता लगाना कठिन है क्यों कि प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है। यह सत्य है कि योजना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्री अलग अलग राय व्यक्त करते रहते हैं। योजना के प्रति दृष्टिकोण अस्थाईतौर पर तैयार किया गया प्रलेख है तथा विचार-विमर्श और इस पर जनता की प्रतिक्रिया को जानने के उद्देश्य से देश के सामने रखा गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण को अंतिम रूप देते समय इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखा जायगा ।

**भारत आफ्थल्मिक ग्लास लिमिटेड की कैंटीन का कार्यकरण**

3242. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर की कैंटीन में कितने व्यक्ति दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों ने 240 दिन की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है ; और

(ग) 240 दिन की निरन्तर सेवा पूरी करने के बाद उन्हें नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : अठारह।

(ग) केन्टीन में काम करने वाले कम्पनी के कर्मचारी नहीं हैं। उनकी नियुक्ति कैन्टीन की प्रबन्धक समिति द्वारा अलग से की जाती है। अतः कम्पनी के कर्मचारी के रूप में उनकी सेवायें नियमित करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

**अधिक गति से चलने वाली साइकिलों का निर्माण**

3243. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक ऐसे वियर उपकरण का आविष्कार किया है जिससे बिना अधिक पैडल घुमाये साइकिल की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है ;

(ख) क्या इसके लिये अपेक्षित पुर्जों को स्वदेश में बनाया जा सकता है;

(ग) क्या इस उपकरण से साइकिलों की रफ्तार दुगुनी हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसका निर्माण वाणिज्यिकास्तर पर शुरु करने पर विचार करेगी?

**औदयोगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : जी, हां।

(घ) यह प्रक्रिया (दि नेशनल रिसर्च डैवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया) को सौंप दिया गया है जो इसके वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

**Posters Allegedly brought out by Pro-Pak Razakars for Merger of Murshidabad in West Bengal with Bangladesh**

3244. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether some pro-Pakistani Razakars had brought out posters for immediate merger of Murshidabad in West Bengal with Bangladesh; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)**: (a) and (b) : Facts are being ascertained.

**Development of Bihar**

3245. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have been urged to bring about radical changes in order to speed up the pace of industrialisation of the backward areas like Bihar ; and

(b) whether Government have made any changes in their policy ; if so, the nature thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad)** : (a) & (b) : Apart from the concessional finance scheme announced by the financial institutions in 1970 and the Transport subsidy scheme and 10% subsidy scheme announced by this Ministry in 1971 there are at present no fresh schemer under consideration in this Ministry nor any specific proposals received in this regard, to give further conce sions for setting up industries in backward areas. However, it has recently been decided to increase the number of districts eligible for the 10% Central subsidy scheme 1971 and to extend the eligibility for 10% Central subsidy to industrial units having a total fixed capital investment exceeding Rs. 50 lakhs in value.

**केरल में सीमेंट की कम सप्लाई**

3247. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सीमेंट की कम सप्लाई की जा रही है और इसी कारण अनेक सरकारी और गैर-सरकारी भवनों के निर्माण में दिक्कत पेश आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है ;

(ग) क्या केरल में सीमेंट की कमी वैगनों की कमी के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो केरल में सीमेंट की कमी दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**:(क) और(ख): जी, नहीं। 1972 में केरल राज्य में भेजे गये सीमेंट का मासिक औसत 58490 मी० टन है जबकि 1971 में 49984 मी० टन था। किन्तु, अभी भी, सीमेंट की मांग बढ़ जाने के कारण सरकारी/अर्धसरकारी मांग कर्ताओं से अपर्याप्त सप्लाई होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं।

(ग) और (घ) : लाने ले जाने में कठिनाइयां होने, केरल राज्य में सीमेंट संभरण करने वाले एक कारखाने पदुक्को सीमेंट कारखाने में हडताल होने से तथा सड़क के जरिये सप्लाई लेने में सरकारी मांगकर्ताओं की सामान्य अरूचि होने के कारण सप्लाई की स्थिति कुछ खराब रही। अप्रैल-अगस्त, 1972 में उत्तर में खाद्यान्न ढोने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दिये जाने की वजह से रेलवे द्वारा सीमेंट लाने ले जाने पर भी प्रभाव पड़ा था। मई मास में भूस्खलन होने के कारण घाट क्षत्र में रेल का आना जाना भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

मालगाड़ी के डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई को पूरा करने तथा सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये उचित मामलों में उन कारखानों को जो दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, आवश्यक पड़ने पर अधिक भाड़े पर महंगे रास्तों से सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये मंजूरी दी गई है। सड़क द्वारा ढोने की मंजूरी भी उदारता से दी गई है। चेंगनशेरी तथा क्वीलोन में गोदाम बनाने तथा रेल सह सड़क अथवा सड़क द्वारा सीमेंट ढोने की भी मंजूरी दी गई है। 100 कि०मी० से दूर गंतव्य स्थान तक सीमेंट ढोने के लिए चालू रेल भाड़े के 125 % तक उत्पादकों को प्रतिपूर्ति करने का भी निश्चय किया गया है। सीमेंट ढोने के लिये विभिन्न कारखानों में मालगाड़ी के डिब्बे उपलब्ध करने में सुधार लेने के लिये रेलवे से भी अनुरोध किया गया है।

**भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार**

3248. **श्री वेकारिया** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त के प्रथम सप्ताह में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन बातों पर चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकले ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित छः विषयों पर चर्चा हुई :—

(i) संचार
(ii) मौसमविज्ञान
(iii) भूसम्पदा का सर्वेक्षण
(iv) भूगणित
(v) नौसंचालन
(vi) अन्तरिक्ष विज्ञान।

सेमिनार में हुए विचार-विमर्श से जो सिफारिशें मोटे तौर पर सामने आई थीं वे : थी :

(i) **संचार**—देश की जनता तक पहुंचाने के लिए उपग्रह-संचार-व्यवस्था की आवश्यकता उपयुक्त प्रतीत होती है; विकास कार्यों के लिए टेलीविजन जैसे आधुनिक माध्यम की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एक संचार उपगृह से सम्बन्धित अनेक वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया गया ताकि एक ऐसी मिली-जुली राष्ट्रव्यापी उत्कृष्टतम प्रणाली तैयार की जा सके जिसमें भमि पर ब्राड-बैंड वाले माइक्रोवेव सम्पर्कों तथा टलीविजन ट्रांसमीटरों के अलावा उपग्रह-संचार की सहायता से प्रसारण करने की व्यवस्था भी है।

(ii) **मौसमविज्ञान**—मौसम सम्बन्धी स्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा उन्हें मानीटर करना चाहिए और आंकडें इकट्टे करने के आधुनिकतम तरीकों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए ताकि अन्ततः पूर्वानुमान करने की क्षमता में सुधार हो। एक राष्ट्रीय उपग्रह मौसम-विज्ञान आंकड़ा केन्द्र की स्थापना करने की सिफारिश की गई है।

(iii) **भू-सम्पदा का सर्वेक्षण**—दूर से अध्ययन करने की नई तकनीक का विकास किया जाना चाहिए तथा उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि व इससे आर्थिक लाभ उठा सके। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें दूर से अध्ययन करने की तकनीकों से सम्बन्धित कार्यक्रम भी शामिल है, या कार्यान्वयन सफलतापूर्वक करने से ऐसी सूचना प्राप्त हो सकेगी जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होगी।

(iv) **भूगणित**—भूगणित सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उपग्रह की सहायता से भूगणित सम्बन्धी अध्ययन करने की नई तकनीक काम में लाई जानी चाहिए।

(v) **नौसंचालन**—नौसंचालन में अन्तरिक्ष का उपयोग सम्भवतः ज्यादातर उन प्रयासों के सह-परिणामों के रूप में होगा जो उपग्रह को सहायता से संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए किए जायेंगे।

(vi) **अन्तरिक्ष विज्ञान**—अनेक सिफारिशें की गई हैं, जिनमें वायु विज्ञान से सम्बन्धित परीक्षणों, विशेषतः आयनमण्डल एवं विद्युतधारा की विषुवदीय अनियमितता को समझने के लिए किए जाने वाले तथा खगोलविज्ञान सम्बन्धी परीक्षणों को करने के लिए उपग्रहों का प्रयोग शामिल है।

अन्तरिक्ष विभाग, सेमिनार से प्राप्त हुई विवरणयुक्त सिफारिशों की जांच ध्यानपूर्वक एवं बिस्तार से करेगा ताकि उन्हें ठोस प्रस्तावों का रूप दिया जा सके।

## गुजरात राज्य के लिए नमक उपकर निधि का उपयोग

3249. **श्री बेकारिया :**
**श्री डी० पी० जदेजा :**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पन्न होने वाले नमक का 60 प्रतिशत भाग गुजरात से आता है और वह उपकर के रूप में केन्द्रीय खजाने में प्रति वर्ष भारी धनराशि देता है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार को नमक उपकर निधि से कोई सहायता नहीं दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपकार का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए होता है और उपकर से प्राप्त राशि को वितरण के लिए क्या कसोटी अपनाई जाती है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी, हां।

(ख) नमक उपकर लाभ में से गुजरात सरकार को सीधे कोई सहायता नहीं दी गई है। सहायता सामान्य रूप से लाभाधिकारी नमक लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं को दी जाती है।

(ग) नमक उपकर अधिनियम 1953 की धारा 4 की शर्तों के अनुसार उपकर का लाभ कर इकट्ठा करने की लागत को कम करके, यदि संसद कानून द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों में से सभी अथवा किसी एक का उपयोग करने के लिये ऐसी व्यवस्था करती है अर्थात :

(क) केन्द्रीय सरकार को नमक संगठनों पर खर्च किये गय व्यय को पूरा करने;

(ख) संघीय एजेंसियों के द्वारा नमक के बनाने संभरण तथा वितरण सम्बन्धी किये गये अभ्युपायों की लागत को पूरा करने तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा नमक के बनाने,संभरण तथा वितरण या विनियमन तथा नियंत्रण रखने तथा किसी विशेष उपाय के बारे में :—

(1) अनुसंधान केन्द्रों तथा आदर्श नमक फार्मों की स्थापना तथा रखरखाव ;

(2) नमक कारखानों की स्थापना, रख-रखाव तथा विस्तार;

(3) नमक के ग्रेड निर्धारित करना;

(4) नमक के निर्माताओं में सहकारिता प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ावा देना; और

(5) नमक उद्योग में काम कर रहे कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहन देना।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने, नमक उपकर के लाभ के प्रयोग पर सरकार को सलाह देने के लिये नमक का एक केन्द्रीय सलहाकार परिषद तथा नमक की छः प्रादेशिक सलाहकार परिषदों का गठन किया है नीचे लिखित विकासात्मक प्रकार के और अथवा श्रमिक कल्याण के कार्य पर, उपकर के लाभ में से सहायता के लिए सामान्य रूप से विचार किया जाता है :—

(क) जल प्रदाय योजना,

(ख) सड़क निर्माण,

(ग) चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(घ) विकासात्मक कार्य (यंत्रीकरण तथा अनुसंधान के लिये सहायता सम्मिलित है ) नमक के निर्यात के लिये बंदरगाह में तथा रेलवे साइडिंग में सुधार करना, और

(ङ) नमक उद्योग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करना अथवा बढ़ौतरी करना ।

## दक्षिण जोनल परिषद की बैठक

**3250. श्री बी० वी० नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण जोनल परिषद की बैठक में नदी जल विवाद जैसे मुख्य मामलों पर चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की गत बैठक में किसी सदस्य राज्य द्वारा बहस के लिए ऐसे किसी मद का सुझाव नहीं दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## डाकघरों में चोरी और लूटपाट की घटनायें

**3251. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक चोरों और लुटेरों ने डाकघरों पर धावा बोलना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष में अब तक ऐसी घटनाएं कितनी हुई हैं और डाक तथा तार विभाग को कितनी हानि हुई है ; और

(ग) समस्त देश में डाकघरों की पूर्णरूप से रक्षा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) छोटे-छोटे मामलों को छोडकर चालू वर्ष के दौरान चोरी और डकौती के कुछेक मामले ही हुए हैं।

(ख) 10.

15032 रुपये ।

(ग) राज्य के पुलिस प्राधिकारी डाक व तारघरों की रक्षा की व्यवस्था करते हैं।

**पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनसाधारण के उपयोग की वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर जोर**

3252. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने यह मांग की है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनसाधारण के उपभोग की कच्चे माल की वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की समिति ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना पर सरकारी दृष्टिकोण पर विचार किया है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)**: (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ से मालम हुआ है कि योजना आयोग के दस्तावेज "पांचवीं योजना का दृष्टिकोण" पर, 16 जून, 1972 को संघ द्वारा नियुक्त एक समिति की बैठक में विचार किया गया था। साथ ही समिति के विचारार्थ उत्पादन के नए ढांचे वाले सुझाव को शामिल किया गया था—जहां पर अधिक से अधिक लोग कई सामूहिग उपभोक्ता वस्तुओं, कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने में अपना सहयोग देते रहे। पता चला है कि संघ द्वारा गठित योजना उप-समिति मामले की जांच कर रही है, जो कि उस विषय पर अपने विचारों को अभी तक निश्चित नहीं कर पाई है।

**Arrest of two Americans for spying Activities in Chamoli and Almora Districts of U.P.**

3253. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether two Americans were arrested in June, 1972 on the charge of spying in the restricted area of Chamoli and Almora in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the number of days for which they had been indulging in spying activities in these districts ; and

(c) whether some documents relating to spying activities were also seized from them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)** : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**दस्यु वृत्ति को समाप्त करने के लिए राज्यों की सहायता**

3254. **श्री हरीसिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को दस्युवृत्ति को समाप्त करने के लिय विशेष केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को कैसे तथा कितनी कितनी सहायता दी जायगी?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन)** : (क) चम्बल घाटी क्षेत्र से डकैती के अपराध का उन्मलन करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से क्षत्र के व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार कर रही है । इस प्रयोजन के लिए किसी विशष केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जायगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा म बठन के लिए सरकारी कमचारियों को अवसर**

**3255. श्री क० एम० मधुकर :**
**श्री दिग्विजय नारायण सिंह :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी कर्मचारियों के बनाये (जो थम श्रणी के पदों पर नहीं हैं) केवल उन व्यक्तियों को, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है और जो छः वर्ष की सेवा पूरी कर चके हैं अथवा केवल उन गैर-तकनीकी श्रणी दो और तीन सेवाओं के व्यक्तियों को जिनके पदोन्नति के अवसर बहुत कम ह, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने पर विचार कर रही है जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान तथा 'आर्टस' के उन गैर-तकनीकी व्यक्तियों, जो सरकार के (केन्द्र तथा राज्य) अधीन तकनीकी संस्थाओं में विज्ञान तथा हयूमैनिटी (गैर-तकनीकी विषय) पढ़ाते हैं और जहां पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम हैं, के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**:(क) तथा (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि प्रतिभावान व्यक्तियों को, जो कि अभी श्रणी 1 में नहीं हैं, आगे बढ़ाने हेतु अधिक अवसर प्रदान करने के लिए और प्रत्येक कर्मचारी जिसने सरकार के अधीन 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा 35 वर्ष से कम आयु का है, उसके द्वारा पहले लिए गये अवसरों पर ध्यान न देते हुए, उसे श्रेणी 1 गैर-तकनीकी सेवाओं की खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए एक तथा केवल एक और अवसर दिया जाय, बशर्ते कि वह शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरी करता हो ।

उपर्युक्त सिफारिश सरकार के पास विचाराधीन है ।

**वित्तीय सहायता के लिए रायल सीमा के विधायकों द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन**

**3256. श्री वेंकटा सुब्बया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल सीमा के विधायकों ने रायल सीमा के पिछड़े क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधान मंत्री को, उनको दक्षिण-क्षेत्रीय परिषद् की बैठक के सिलसिले में हैदराबाद की यात्रा के दौरान, एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना के नियमित उपबन्ध के अतिरिक्त कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी, हां । आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कतिपय संसद सदस्यों तथा विधायकों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि इस काम के लिए एकसौ रुपये विशेष आवर्ती निधि की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

(ख) रायलसीमा की जिस क्षेत्रीय विकास योजना के संदर्भ में प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट वित्तीय सहायता का सुझाव दिया गया है, उसके लिए चौथी, पांचवीं तथा छटी योजना में क्रमश: 250 करोड़ रुपये 350 करोड़ रुपये और 517 करोड़ रुपये के कुल विनियोजन की कल्पना की गई है। खासकर रायलसीमा क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं के लिए अधिक धन देने के लिए चालू योजना में जो संभव समंजन किए जा रहे है, इनके बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद चौथी योजना अवधि के दौरान चालू कार्यक्रमों के लिए सहायता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। केन्द्र तथा राज्य की पांचवीं और छटी पंचवर्षीय योजनाओं को तयार करने के बाद, रायलसीमा के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में उल्लिखित स्कीमों और कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

**Languages of Minorities in Bihar.**

3257. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Commissioner for Linguistic Minorities in India had a discussion with the Government of Bihar recently in Patna in connection with the implementation of the directives issued by the Centre in regard to the languages of minorities in Bihar ;

(b) if so, the names of the languages of linguistic minorities for which the Chief Minister of Bihar has assured to provide facilities indicating the nature of these facilities ;

(c) whether the Chief Minister of Bihar has expressed his disagreement with the Commissioner for Linguistic Minorities on certain issues and if so, the facts thereof ; and

(d) the names of the languages of linguistic minorities in Bihar together with problems faced by them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) & (b) : The Commissioner for Linguistic Minorities had a discussion with Chief Minister of Bihar and a few other officials of the State Government on 27th April, 1972 in connection with facilities to be provided to the Linguistic Minorities in the State in accordance with the agreed scheme of safeguards. The complaints received from speakers of Bengali and Urdu with regard to non-availability of text books for different classes etc., were also discussed.

(c) : No Sir.

(d) The principal linguistic minority groups in Bihar include those speaking Bengali, Santhali, Oriya and Urdu. Their main complaints relate to provision of facilities for secondary education through the medium of mother-tongue in Government schools and non-availability of text books. A full account of the linguistic minorities and their problems is contained in the annual reports of the Commissioner for Linguistic Minorities which are tabled in Parliament.

**मध्य प्रदेश में रीवा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए टेलीविजन केन्द्र**

3258. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में रीवा क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के कार्य को तरजीह देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) और (ख) : पांचवीं योजना के दौरान देश में टेलीविज़न व्यवस्था का विस्तार करने के प्रस्ताव अभी तैयार किए जा रहे हैं।

**उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए संयुक्त विकास बोर्ड**

3259. **श्री रण बहादूर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के तथा समीपवर्ती मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र को समन्वित तथा विकसित करने के लिये एक संयुक्त विकास तथा योजना बोर्ड की स्थापना की जा रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई बैठक भी आयोजित हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)**: (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों के समन्वय तथा विकास के लिए एक संयुक्त विकास तथा आयोजन बोर्ड के सम्बन्ध मे योजना आयोग के पास कोई प्रस्ताव नही है। परन्तु केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् की 10 जुलाई, 1972 की बैठक में उत्तर-प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि इस बात के लिए सहमत थे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास को समन्वित करने के लिए दोनों राज्यों की एक संयुक्त समन्वय समिति होनी चाहिए जिसका अध्यक्ष योजना आयोग का तत्सम्बन्धी सलहाकार हो।

**धन की कमी के कारण किराया-खरीद योजना का बन्द किया जाना**

3260. **श्री के० बालदण्डायुत्तम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ने धन के अभाव के कारण अपनी किराया खरीद योजना बंद कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निगम को पर्याप्त धन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे वह किराया-खरीद योजना को जारी रख सके ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) निगम के वित्तीय संसाधनों की स्थिति सुधरी है तथा उसे आगे और सुधारने के कदम उठाये जा रहे हैं।

**लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार-वृद्धि करने के प्रयासों के बारे में योजना मन्त्री का वक्तव्य**

3261. **श्री के० बालदण्डायुत्तम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में वक्तव्य दिया है कि वह लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी, हां।

(ख) इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन ठोस कदमों को उठाने का विचार है वे 31 मई, 1972 को सभा पटल पर प्रस्तुत 'पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण' नामक टिप्पणी में बताये गय है। इन कदमों को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा भी सामान्य स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। संक्षेप में, 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, परिवार नियोजन तथा बच्चों के लिए पोषाहार सहित लोक स्वास्थ्य सुविधायें; ग्रामीण जल पूर्ति; भूमिहीन श्रमिकों को आवास खण्ड; ग्रामीण बिजलीकरण; और बड़े शहरों में गंदी बस्तियों में सुधार आदि के रूप में जनता की नम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना इन कदमों में शामिल हैं। जहां तक

रोजगार के अवसर बढाने का प्रश्न है लघु उद्योग, व्यापार व सेवाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्रों में छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण दुग्ध उद्योग, वन, मछली पालन, पशु पालन और क्षेत्र विकास आदि विकास को रोजगार-उन्मुख मदों में अधिक विनियोजन करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तार से काम किया जा रहा है और यह काम पूरा होने पर उन्हें पांचवीं योजना के प्रारूप में शामिल करने का विचार है।

**औद्योगिक एककों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में समन्वय का अभाव**

3262. **श्री के० बालदण्डायुत्तम :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच इस समय कोई उचित समन्वय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान के क्षेत्र में उद्योग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख): वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपनी प्रयोगशालाओं में स्थित औद्योगिक सम्पर्क एककों और प्रधान कार्यालय में स्थित अनुसन्धान समन्वय और औद्योगिक सम्पर्क विभाग के माध्यम से उद्योगों के साथ एक प्रभावशाली संचार संबंध कायम किया हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा और प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों में उद्योगों का प्रतिनिधित्व उद्योगों को संस्थानों के कार्य करने और अनुसंधान के कार्यों की रूप-रेखा बनाने में भाग लेने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों के साथ उद्योगों के प्रतिनिधियों के "गैट-टूगैदर" (सम्मेलन) बुलाने और अनुसंधान तथा उद्योग सम्बन्धी संयुक्त स्थायी समिति, जिसमें वैज्ञानिकों उद्योगपतियों और निर्माताओं तथा व्यापारी संघों का प्रतिनिधित्व है, को पुनः क्रियाशील बनाने के भी उपाय किये जा रहे है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महा-निदेशक अलग राज्यों में उद्योगों और शासनाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान तथा विकास के लिये रासायनिक उद्योग को सहयोग देने की पेशकश**

3263. **श्री के० बालदण्डायुत्तम :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने केटेलिस्टस पोलीमेर्स और कोरोजन के तीन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिये रासायनिक उद्योग को सहयोग देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो रासायनिक उद्योग के साथ सहयोग करने की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त उद्योग ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) 15 जुलाई, 1972 को महा-निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और रासायनिक उद्योग

के प्रतिनिधियों के साथ बम्बई में हुई बैठक के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं, निजी तथा सरकारी क्षेत्रों की फर्मों में और अन्य संगठनों के मध्य उत्प्रेरक, बहुलक और क्षरण सम्बन्धी विषय सहयोग के संभावित क्षेत्र होने पर चर्चा की गयी थी ।

(ख) और (ग) : सहयोग सम्बन्धी कार्य पद्धति विचाराधीन है ।

**विदेशी कम्पनियों द्वारा रेजर ब्लेडों का निर्माण**

**3265. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी कम्पनियों को भारत में रेजर ब्लेडों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है और देश में रेजर ब्लेडों के निर्माण में भारतीय कम्पनियों के शेयर के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विदेशी कम्पनी कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

**खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध शिकायतें**

**3266. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के असन्तोषजनक कार्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):** (क) और (ख): खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्य के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है । इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

**उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास बोर्ड द्वारा वितरण करने हेतु राज्यों को धन का नियतन**

**3267. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड ने वर्ष 1971–72 में उद्योगों के विकास के लिये प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धन राशि वितरित की है; और

(ख) देश के प्रत्येक राज्य में गैर सरकारी क्षेत्र को कुल कितनी धन राशि दी गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):** (क) इस मंत्रालय ने किसी "औद्योगिक विकास बोर्ड भारत" का गठन नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भारत सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी अधिकारी**

3268. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में भारत सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या वर्ष 1965 के बाद उनकी संख्या में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, मंत्रालय वार, ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) 1 जनवरी, 1965 को, भारत सरकार के अधीन प्रथम श्रेणी सेवाओं मे अनुसूचित जातियों के 318 अधिकारी तथा अनुसूचित जन जातियों के 52 अधिकारी थे।

(ख) तथा (ग): जी हां, श्रीमान्। वर्ष 1965 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1जनवरी, 1971 को, भारत सरकार के अधीन प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के 706 अधिकारी तथा अनुसूचित जन जातियों के 113 अधिकारी थे। इन आंकड़ों में रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नतर विरचना के प्रथम श्रेणी के सिविल अधिकारी शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनके सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1971 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1 जनवरी, 1970 को, अनुसूचित जातियों के 22 अधिकारी तथा अनुसूचित जन जातियों के 2 अधिकारी उस मंत्रालय की निम्नतर विरचना के प्रथम श्रेणी में थे। मंत्रालयवार 1-1-1965 तथा 1-1-1971 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के श्रेणी 1 के अधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3487/72]**

**ट्रकों की मांग**

3269. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रकों की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) मांग को पूरा करने के लिए देश में आटोमोबाइल उद्योग की विद्यमान क्षमता कितनी है; और

(ग) देश में ट्रकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) मशीनी उद्योगों के योजना दल ने अनुमान लगाया है कि 1973-74 तक बसों के मिलाकर वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग प्रतिवर्ष 85,000 हो जायेगी।

(ख) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

| उत्पादन का नाम | 1973-74 तक क्षमता का लक्ष्य (वार्षिक संख्या) | वर्तमान उत्पादन क्षमता (वार्षिक संख्या) |
|---|---|---|
| 1. वाणिज्यिक गाड़ियां . | 85,000 | 48,400 |
| 2. यात्री कारें . . | 86,000 | 47,400 |
| 3. जीपें . . . . | 15,000 | 10,000 |

(ग) कुछ विद्यमान निर्माताओं द्वारा विस्तार करने के लिए प्रस्तुत की गई योजनाएं या तो स्वीकृत कर दी गई हैं या सरकार के विचाराधीन है, वाणिज्यिक गाड़ियां बनाने हेतु अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए नय उद्यमियों को आशय पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

**कारों के निर्माण में सुधार करने के बारे में औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कार निर्माताओं की बैठक**

3270. **श्री भानसिंह भोरा :**

**श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भेंट की थी तथा कार निर्माण में वर्तमान त्रुटियों को दूर करने सम्बन्धी उपायों पर विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी, हां।

(ख) कार उत्पादकों के साथ हुआ विचार विमर्श हितकर सिद्ध हुआ है क्योंकि इससे कमियों का पता लगाकर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करना संभव हो सका है । सरकार का कार उत्पादकों के साथ विचार विमर्श करने की प्रक्रिया को जारी रखने तथा प्रमुख एन्सिलरी सप्लायरों के साथ भी बातचीत शुरू करने का विचार है ।

**टिन के डिब्बे बनाने के लिए लाइसेंस जारी करना**

3271. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीन के डिब्बे बनाने वाले उन संयंत्रों के नाम क्या है जिन्हें चालू वर्ष में (30 जून, 1972 तक) सी०ओ०वी० लाइसेंस जारी किये गये हैं और जिनकी आरक्षित उपयोग के लिए टीन के डिब्बे बनाने की वार्षिक निर्धारित क्षमता 1000 टन है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि इन एककों को टीन प्लेट नहीं मिल रही है, जिसका परिणाम यह है कि निर्माण क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अथवा टीन प्लेट निर्माता परामर्शदाता समिति से टिन प्लेट प्राप्त करने में इन संयंत्रों की सहायता करने के लिए उनके मंत्रालय में विकास आयुक्त, लघु उद्योग और तकनीकी विकास महानिदेशक को कोई अभ्यावेदन भेजे गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है और टीन प्लेट निर्माताओं द्वारा टीन प्लेटों का पूरा कोटा नियमित रूप से सप्लाई करा कर इन संयंत्रों को मंजूरशुदा क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) (1) मेसर्स प्रीमियर वेजीटबल प्राडक्टस् लिमिटेड, जयपुर तथा

(2) मेसर्स भावनगर वैजीटेबल प्राडक्टस् लिमिटेड, भावनगर (गुजरात) ।

(ख) और (ग) : जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के आइसोटोप डिविजन द्वारा रेडियाई भेषजों का निर्माण**

3272. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के आईसोटोप डिविजन ने रेडियाई भेषजों के निर्माण की दिशा में कितनी प्रगति की है; और

(ख) ईस सम्बन्ध में उक्त केन्द्र ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** (क) तथा (ख): भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के आइसोटोप प्रभाग ने 50 से भी अधिक रेडियो-भेषजों का विकास किया है। इनमें से, 35 भेषजों का नियमित रूप से उत्पादन हो रहा है। तथा इनको सप्लाई देश के 109 से भी अधिक चिकित्सा संस्थानों को नियमित रूप से की जा रही है। क्योंकि यह कार्य आइसोटोप प्रभाग के विकास सम्बन्धी कार्यकलापों का एक भाग है। ईसलिए रेडियो भेषजों के उत्पादन एवं विकास पर होने वाले खर्च का विवरण अलग से उपलब्ध नहीं है।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर द्वारा निर्मित घड़ियों की लागत**

3273. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर के घड़ी निर्माण एकक में बनाई जाने वाली घड़ियों की लागत बंगलौर में बनाई जाने वाली घड़ियों से 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक होगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** (क) और (ख): ऐसा अनुमान है कि निम्नलिखित कारणों से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर में बनाई जाने वाली घड़ियों की लागत बंगलौर की घड़ियों की लागत के मुकाबले में कुछ अधिक होगी :—

1. अधिक निर्माण लागत ;
2. कारखाने और कारखाने के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों में केन्द्रीय तापन सुविधाओं की व्यवस्था ;
3. मशीनरी, माल और परिष्कृत उत्पादों को लाने और ले जाने के लिए परिवहन पर अधिक खर्च ;
4. प्रारंभिक अवस्था में अधिक पूंजी खर्च करने के कारण अतिरिक्त ह्रास व्यय;
5. सभी निर्माणतत्वों जैसे माल, श्रमिक, बिजली, परिवहन, पानी और क्षेत्र में सहायक उद्योग न होने के कारण अधिक लागत लगाकर संचालन व्यय की अधिकता।

**मैसूर में सीमेन्ट कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र**

3274. **श्री मुखितयार सिंह मलिक**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में एक गैर-सरकारी पार्टी को सीमेन्ट कारखाना स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पार्टी को आशय पत्र किन आधारों पर जारी किया गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जो, हां।

(ख) पार्टी ने आशय पत्र स्वीकृत करने की आवश्यक शर्त पूरी की है। मैसूर सरकार और संबंधित तकनीकी प्राधिकारियों ने भी पार्टी के अनुरोध की सिफारिश की है।

**प्रयोग के तौर पर ब्रांच डाकघर को पंचायतों को सौंपना**

3275. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग प्रयोग के तौर पर ब्रांच डाकघर पंचायतों को सौंपने का विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के किसी भाग में यह प्रयोग पहले भी किया गया है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) मोटे तौर पर इन्हीं लाइनों पर एक प्रस्ताव की जांच का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य के पूना जिले में सूपा के इलाके में 2-10-1963 को एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम पंचायती डाक योजना था। बाद में यह योजना महाराष्ट्र के कुछ और स्थानों पर भी चालू की गई।

(ग) पंचायती योजना के काम काज में निम्नलिखित खामियां और व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आई : —

(i) कभी कभी पंचायती डाक एजंट/ग्राम एजंट के रूप में काम करने के लिए विश्वस्त व्यक्ति मिलने में कठिनाई का अनुभव किया गया।

(ii) इस योजना पर एतराज उठाए गए क्योंकि पाने वालों को डाक का वितरण घर पर नहीं किया जाता था बल्कि उन्हें पंचायती डाक एजेंटों के पास जा कर डाक लेनी पड़ती थी।

(iii) जिन वस्तुओं का वितरण रसीद लेकर करना होता है उनको पहले सूचना भेज कर बाद में वस्तुओं का वितरण पंचायती डाक केन्द्र में करने से ऐसा महसूस किया गया कि बूढ़े व्यक्तियों और स्त्रियों को अपनी वस्तुए पाने में दिक्कत होती थी।

**हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशाहर में कर्मचारियों को प्रतिकारात्मकता के पर्वतीय भत्ते**

3276. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशाहर के डाक-तार कर्मचारी प्रतिकारात्मक पर्वतीय भत्ते की मांग कर रहे हैं जोकि पहाड़ी स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आमतौर पर दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्रालय ने जो आदेश जारी किए हैं और जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ डाक-तार कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, उनके अनुसार समुद्र-तल से 1,000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित सभी पहाड़ी स्थानों पर कर्मचारियों को पर्वतीय प्रतिकर भत्ता दिया जा सकता है। रामपूह बुशाहर 1,000 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां यह भत्ता नहीं दिया जा सकता।

**वर्ष 1972-73 के दौरान स्मृति टिकटों का जारी किया जाना**

3277. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 के दौरान कोई स्मृति टिकटें जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य प्रस्ताव क्या है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1972 और 1973 में डाक-टिकट निकालने का अब तक जो कार्यक्रम बनाया गया है, वह सभा पटल पर रखा जा रहा है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 3488/72]**

**डाक तथा तार विभाग द्वारा स्वतंत्रता की रजत जयन्ती का मनाया जाना**

3278. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने स्वतन्त्रता की 25 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) जी हां ।

(ख) डाक-तार विभाग ने इसे मनाने के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, उस की खास बाते इस प्रकार हैं :

(1) इस अवसर पर तीन विशेष डाक-टिकट जिसमें से एक 15 अगस्त 1972 को निकाला ।

(2) स्वतंत्रता दिवस पर नये डिजाइन का एयरोग्राम निकालना ।

(3) 15 अगस्त, 1972 से पिन कोड पद्धति आरम्भ करना । इस योजना के अन्तर्गत डाक-वस्तुओं की छंटाई और इन्हें भेजने के काम और अच्छी तरह से होगा ।

(4) डाक-तार कर्मचारियों के लिए रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में एक सामुदायिक हाल की व्यवस्था करना ।

(5) डाक-घर बचत बैंक में रकम जमा कराने वालों के लिए पासबुकों के नये आवरणों का प्रयोग ।

(6) कुछ स्थानों पर एक नये डिजाइन के लेटरबक्सों की व्यवस्था करना, जो अधिक आकर्षक और सुविधाजनक है ।

(7) जयंती वर्ष में पूना-सिकंदराबाद माइक्रोवेव लिंक चालू करना ।

(8) 1,20,000 और लाइनों की व्यवस्था करने के लिए 300 टेलीफोन एक्सचेंज खोलना ।

(9) इसी वर्ष एशियाई मेला प्रदर्शनी में भाग लेना ।

(10) प्रयोग के तौर पर चलाए जा रहे डाकघरों को स्वतंत्रता जयंती वर्ष में बन्द न करना ।

**उपग्रहों के माध्यम से संचार व्यवस्था के बारे में भारत में मानसून की समस्या**

3279. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रहों के माध्यम से संचार व्यवस्था बनाने के संबंध में भारत में वर्षा की स्थिति विशेष समस्याएं पैदा करती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने जहां तक हमारे उपग्रह कार्यक्रम का सम्बन्ध है इन समस्याओं का समाधान कर लिया है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृहमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: (क) तथा (ख) : देश के उपग्रह-कार्यक्रम के संचालन के लिए की जानेवाली विशिष्ट व्यवस्था इस प्रकार से की जायेगी कि उससे यह सुनिश्चित रहे कि जहां तक इस कार्यक्रम का सम्बन्ध है वहाँ तक मान्सून के कारण इसमें कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न न हो।

## फ्लूड-इज्ड-बैड किस्म के रिएक्टर का विकास

3280. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या फ्लूडाइज्ड बैड रिएक्टर की बहुतसी विशेषताओं को ध्यान में रख कर सरकार इस किस्म के रिएक्टर का विकास करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: (क) तथा (ख). फ्ल्लूडाइज्ड बैड किस्म का रिएक्टर हिलियमगैस से ठंडा किया जाने वाला प्रगत किस्म का उच्च तापमान वाला एक रिएक्टर है, जिसमें थोरियम का प्रयोग होगा । इस रिएक्टर की संरचना में ईंधन के उत्पादन तथा पुनर्साधन की जटिल तकनीकों एवं अधिक तापमान पर काम करने वाले गैस टर्बाइन सम्बन्धी प्रोद्योगिकी का विकास शामिल है । इन तकनीकों का उपयुक्त विकास करने में धन एवं जनशक्ति दोनों ही दृष्टियों से काफी प्रयास अपेक्षित है तथा इस विकास का सम्बन्ध केवलमात्र इस रिएक्टर की संरचना से ही है। इसलिए सरकार का विचार फिलहाल इस प्रकार के फ्लूडाइज्ड बैड रिएक्टर का विकास करने का नहीं है तथापि, एक मोल्टन साल्ट रिएक्टर का अध्ययन फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर कार्यक्रम के सहायक के रूप में किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत ऐसे रिएक्टर की संरचना अपेक्षित है, जिसमें थोरियम का प्रयोग फ्लूडाइज्ड-बैड रिएक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता है।

## हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड

3281. **श्री सी० चित्तिबाबू** :

**श्री के० मालन्ना** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 29 मई, 1970 में पंजीकरण होने के बाद हिन्दुस्तान कागज निगम लि० के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : दि हिन्दुस्तान पर कारपोरेशन ने अपने अधिकार में की गई तीनों परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रगति की है :—

**नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर प्रोजेक्ट :**

14 सितम्बर, 1971 को एक सहायक कम्पनी का पंजीयन किया गया था । परियोजना के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है । कुछ इंजीनियरी कर्मचारी आदि पहले से ही काम कर रहे हैं तथा कुछ कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण भी किया जा चुका है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश की जा चुकी है तथा सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के अंतिम चरण में है । अपेक्षित संयंत्र और मशीनें उपलब्ध करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं । राष्ट्रीय विकास निगम नामक सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम से परामर्शदाता के रूप में सम्पूर्ण परियोजना के लिये इसे सम्बद्ध किया जा रहा है और विस्तृत डिजाइन आदि तैयार की जा रही है । इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेकनोलाजी, सहारनपुर में कुछ भावी कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। कच्चे माल के स्त्रोतों का सुनिश्चय किया जा चुका है तथा उनकी उपयुक्तता निश्चित की जा चुकी है।

**आसाम नौगंग परियोजना :**

इस परियोजना के लिये स्थान चुन लिया गया है तथा आसाम में एक परियोजना प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच अन्तर में निगम द्वारा संयंत्र और मशीनों के विशिष्ट विवरण तैयार किए जा रहेहैं। विशेषणों द्वारा भूमि की भार वहन क्षमता का परिक्षण करने के लिये भूमि की गहरी बोरींग की जा रही है। उपलब्ध कच्चे माल की उपयुक्तता निश्चित कर ली गई है तथा राज्य सरकार के साथ दीर्घ कालीन प्रबंध के लिये पत्र व्यवहार किया जा रहा है। परियोजना के लिये अवस्थापना सम्बन्धी आय आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा रही है।

**केरल न्यूज प्रिन्ट परियोजना :**

स्थान का चुनाव कर लिया गया है तथा भूमि अधिग्रहण करने के कार्य पर अंतिम निर्णय किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा सरकार द्वारा उसकी जाँच की जा रही है। तथा शीघ्र ही स्वीकार कर लिये जाने की आशा है। भूमिकी भार वहन क्षमता का पता लगाने के निमित गहरे बोरिंगपरीक्षण की व्यवस्था की जा रही है। प्रयोगशाला के स्तर पर तथा मिल परीक्षणों दोनों ही दृष्टियों से उपलब्ध कच्चे माल की उपयुक्तता निश्चित की जा चुकी है। कच्चे माल और अन्य अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं के लिये दीर्घकालीन पटटे देने के बारे में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। सहारनपुर संस्थान में भावी कर्म चारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। एक परियोजना प्रशासक की नियुक्त की शीघ्र ही की जा रही है।

**भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि० नैनी द्वारा गैस सिलिण्डरों का निर्माण**

3282. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस सिलेन्डरों के निर्माण के लिय सहयोग करने सम्बन्धी समझौतों को भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि०, नैनी ने अन्तिम रुप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किय गये सहयोग समझौतों की मुख्य रुप रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) और (ख) . जी, हाँ। कंपनी ने हाईप्रेशर तथा बेल्डेड गैस सिलिन्डरों तथा ऐक्सल ट्यूबों का निर्माण करने के लिय जापान के मे० शोबा कोत्सू कोम्यो कम्पनी के साथ एक सहयोग करार किया है। सहयोग की शर्तें वाणिज्यिक व्यवहार का होता है जिसे बताया नहीं जा सकता।

(ग) प्रश्न हो नहीं उठता।

**टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया**

3283. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी और फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कानपुर को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कर दिया गया है, जिससे निःसारण संयंत्र काफी मात्रा में उत्पादन और बिक्री में योगदान कर सके;

(ख) क्या संयंत्र को काफी मात्रा में तले का कटा हुआ चमड़ा उपलब्ध कर दिया गया है, जिससे 'लैदर बोर्ड' का अधिकतम उत्पादन हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) ेन ी एण्ड फुटवियर कारपोरशन आफ इण्डिया लिमिटेड को निसारण चूर्ण बनाने के लिये माइराबोलन नट्स प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। तीन पालियों के आधार पर इस निगम को उत्पादन क्षमता लगभग 80 मो० टन प्रतिमास है, किन्तु प्रमुख कठिनाई कोयले के वैगनों का पर्याप्त आबंटन न होने के कारण कोयले की कमी है जिससे तीन पालियों में काम करने में कठिनाई हो रही है। निगम की सामान्य आवश्यकता 25 वैगन प्रतिमास है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बिजली में 25% की कटौती की है इससे भी उनके संयंत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) तथा (ग). इस समय लेदर बोर्ड संयंत्र में दो पालियाँ चल रही है। निगम पर्याप्त मात्रा में सोल लेदर कटिंग जिनका सम्भरण कम हो रहा है, प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, कमी चमड़े के तलवे वाले जूतों की मांग में कमी और रबड और सिन्थेटिक के तलवे वाले जूतों के लिए उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन होने का कारण है।

**भारतीय समाचार पत्रों के विकास में प्रेस सूचना ब्यूरो का योगदान**

**3284. श्री चित्तिबाबू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो भारतीय समाचार पत्रों को स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष संस्थानों के रूप में पनपने तथा विकसित होने में सहायता देने के अपने उद्देश्य को कहां तक पूरा कर सका है; और

(ख) उपरोक्त ब्यूरो मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 1971-72 में उल्लिखित सेवाओं को छोड़ कर लघु तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को किस प्रकार सहायता करता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) भारतीय समाचार पत्रों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष फोरम के रूप में पनपने तथा विकसित होने में सहायता मुख्यतया निम्नलिखित तरीकों से की जाती है :—

(1) समाचारपत्रों तथा संवाददाताओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी सूचना प्राप्त करने-को सुविधायें देकर ;

(2) जहां भी सम्भव हो, समाचारपत्रों तथा सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करके समाचार-पत्रों को सूचना के स्त्रोतों तक सीधे पहुंचने की सुविधा देकर ;

(3) जनमत को प्रतिबिम्बित करने में समाचारपत्रों की भूमिका मानते हुए देश भर के समाचार पत्रों में व्यक्त विचारों, प्रतिक्रियाओं तथा रायों का सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों तक भेजकर;

(4) सरकारी गतिविधियों का यथासम्भव पर्याप्त तथा सन्तोष जनक रूप से कवर करने के लिए प्रत्यायित संवाददाताओं तथा कैमरामैनों को सुविधाएं प्रदान कर ;

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

**विवरण**

**छोटे तथा मझौले दर्जे के समाचार पत्रों को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवाएं**

पत्र सूचना कार्यालय छोटे तथा मंझौले दर्जे के समाचार पत्रों को विशेषकर उनको सौ भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते है, उनकी अपनी भाषाओं में प्रेस संवाद, फीचर, लेख तथा पृष्ठभूमि टिप्पणियां अपने दिल्ली में स्थित मुख्यालय के अलावा निम्नलिखित 27 स्थानों पर स्थित अपने प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयों के माध्यम से सप्लाई करता है :—

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, गौहाटी, कटक, पटना, इम्फाल, अग्रतल्ला, अहमदाबाद, नागपुर, पूना, पणजी, श्रीनगर, जम्मू, जलन्धर, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, जयपुर, कोचीन (एर्नाकुलम), हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, राजकोट, इन्दौर, विजयवाड़ा तथा शिलांग।

छोटे तथा मंझौले दर्जे के समाचारपत्रों को खास तौर फीचर लेखों तथा फोटो फीचरों की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि वे योग्य लेखक रखने का खर्चा बर्दास्त नहीं कर सकते अथवा इस प्रकार की सामग्री प्राप्त करने के लिए अन्य संगठनों को अदायगी नहीं कर सकते। इन समाचारपत्रों के लिए समाचारों का एक साप्ताहिक डाइजेस्ट विशेष रुप से तैयार किया जाता है और विज्ञान तथा टैक्नोलाजी के विकास पर उनकी भाषा में एक विशेष न्यूजलैटर भी उनको उपलब्ध किया जाता है।

छोटे तथा मंझौले दर्जे के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को पत्र सुचना कार्यालय द्वारा आयोजित पत्रकारों के दलों के सदस्यों के रुप में विकास परियोजनाओं के दौरे करने की सुविधाएं दी जाती है; इन समाचारपत्रों तथा छोटी समाचार एजेन्सियों के संवाददाताओं सम्पादकों को प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं में उनके साथ जाने के लिए चने गए पत्रकारों के दलों में आवश्यक रुप से सम्मिलित किया जाता है। इन प्रतिनिधियों को यात्रा तथा विदेश में रहने का सम्पूर्ण या अधिकांश व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रत्यायन सम्बन्धी नियमों में ढ़ील दी गई है ताकि छोटे समाचारपत्रों को उनके संवाददाताओं के द्वारा भारत सरकार के मुख्यालयों में प्रतिनिधित्व मिल सके। न्यूनतम परिचालन संख्या सम्बन्धी नियम में भी ढ़ील दी गई है और कुछेक मामलों में, यदि छोटे समाचारपत्र प्रत्यायन के लिए एक प्रयक्त प्रतिनिधित्व की मांग करें, तो दो या इससे अधिक छोटे समाचारपत्रों की मिली जुली परिचालन संख्या पर विचार किया जाता है। अभी तक देश के विभिन्न भागों के 25 समाचारपत्र इन ढ़ीलों का लाभ उठा चुके है।

**औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा सूती वस्त्र उद्योग को ऋण**

3285. **श्री सी० चितिन्बाबू :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा सूती वस्त्र उद्योग को दिये गये 1926.7 लाख रुपये के 67 ऋणों का क्षत्रवार ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):** एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3489/72]**

**देश में बेरोजगारी कम करने के लिए प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश**

3286. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार है;

(ख) देश में बेरोजगारी कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रति व्यक्ति कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):** (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3490/72]**

**बड़े उद्योग गृहों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना**

3287. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) एकाधिकार आयोग द्वारा सूची में शामिल किये गये बड़े उद्योग गृहों द्वारा देश के औद्योगिक रुप से पिछड़ क्षत्रों में कितने विशाल, मध्यम दर्जे के और लघु उदयोगों की स्थापना के लिए लाइसस दिये गये;

(ख) पिछड़े क्षेत्रों के लिय अब तक कुल कितने ऐसे उद्योगों के लिए लाइसेंस दिया गया है और उन में से कितने प्रतिशत उद्योग, बड़े उद्योग गृहों के लिए नियत किय गये है और उनमें से कितने कारखानों की वस्तुतः स्थापना हो चुकी है और पिछड़े क्षेत्र औद्योगीकरण योजना लागू होने के बाद स्थापित किये गये और इन उद्योगों का क्षेत्रवार और उत्पादनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पाद की दृष्टि से वर्गीकृत प्रत्येक प्रकार के उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त कार्य के लिए कितनी सहायता दी गई तथा कितने प्रतिशत सहायता बड़े उद्योग-गृहों को दी गई'?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) 1 अगस्त, 1970 से 30 जून 1972 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन बृहत्तर गृहों को 12 लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(ख) 1 अगस्त 1970 से 30 जून 1972 की अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु कुल 75 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये जिनमें 16 प्रतिशत बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित है। प्राप्त रिपोर्टों से ज्ञात हुआ है कि इनमें से 4 एककों की स्थापना हो चुकी है। सरकार द्वारा सभी औद्योगिक लाइससों के जारी किये जाने का ब्यौरा, 'औद्योगिक लाइससों की साप्ताहिक सूची', इम्पोर्ट लाइससेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसन्सेज, साप्ताहिक–"इंडियन ट्रेड जरनल" तथा मासिक–"जरनल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" में नियमित रुप से प्रकाशित होता है जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) उपरोक्त 75 लाइसंसों के सम्बन्ध में उद्योगवार निवेश का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3491/72]** सामान्यतया निजी क्षेत्र के उद्योगों को सरकारी सहायता लोक वित्त संस्थानों के माध्यम से दी जाती है। औद्योगिक लाइसेंस धारियों को कंपनीवार दी गई सहायता का कोई केन्द्रीय अभिलेख नहीं रखा जाता है।

## उड़ीसा में यूरेनियम के निक्षेप

**3288. श्री डी० के० पंडा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में यूरेनियम के कितने निक्षेप हैं; और

(ख) उस राज्य में परमाणु सम्बन्धी अन्य प्रकार के कच्चे माल के कितने निक्षेप हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) उड़ीसा में यूरेनियम के निक्षेप नहीं पाये गए हैं।

(ख) समुद्र तट के रेतीले निक्षेपों के कुछ भागों में रेत में मिले अन्य खनिजों के साथ-साथ काफी मात्रा में मोनाजाइट पाया गया है। बेरिल खनिज से युक्त अनेक पैग्माटाइट भी उड़ीसा में पाये गए हैं।

## पांचवीं योजना के लक्ष्यों के बारे में डा० के० एन० राज का वक्तव्य

**3289. श्री एच० एम० पटेल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विख्यात अर्थशास्त्री और कृषिक कराधान समिति के सभापति, डा० के० एन० राज द्वारा बम्बई में दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पांचवीं योजना के लक्ष्य अवास्तविक ;

(ख) क्या सरकार ने डा० राज के वक्तव्य के पाठ का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग) : अनुमानतः सम्बन्धित वक्तव्य वह है जो डा० के० एन० राज ने तेरहवें बालचन्द स्मारक भाषणों के अन्तर्गत बम्बई में सोमवार, 24 जुलाई, 1972 को महाराष्ट्र वाणिज्य मंडल के समक्ष दिया था। जहां तक उसमें व्यक्त किए गए डाक्टर राज के निजी विचारों का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य अभी प्रथम चरण में है और ऐसी संभावना है कि पांचवीं योजना का स्पष्ट चित्र केवल 1973 के अंत तक ही स्पष्ट हो सकेगा। इस बीच, संबंधित मामलों पर किसी प्रकार का अंतिम रूपसे निर्णय निकालना निस्सन्देह एक समयपूर्व कार्य होगा।

## आशय पत्रों का उपयोग

3290. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-70 में जारी किए गए 42 आशयपत्रों में से केवल 6 ने ही कुछ प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(ग) 1971 में कुल कितने आशय-पत्र जारी किए गए; और

(घ) इस सम्बन्ध में प्रगति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) से (ग) : वर्ष 1967, 1968, 1969, 1970 और 1971 में जारी किये गये आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्सों को अलग-अलग संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रश्न कौन से 42 आशय पत्रों से सम्बन्धित है।

(घ) सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन के अन्तर्गत जारी किये गये आशय पत्रों और लाइसेन्सों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने, आशय पत्र और लाइसेन्सधारियों द्वारा दर की जाँच करने जिनसे उद्योगों के कार्यान्वयन में देर लगती है ऐसी सामान्य या विशेष समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान ढूंढने, एककों के पंजीकरण से संबंधित बातों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कदम उठाने, कच्चे माल का आबंटन करने और अन्य दुर्लभ संसाधनों को प्रदान करने आदि के लिए 'कार्यान्वयन समिति' गठित करने के लिए पग उठा रही है। प्रत्येक आवेदन को गति का विशद केन्द्रीकृत अभिलेख रखने की प्रणाली बनाई जा रही है।

**विवरण**

| वर्ष | जारी किये गये आशय-पत्रों की संख्या | जारी किये गये लाइसेन्सों की संख्या |
|---|---|---|
| 1967 | 246 | 293 |
| 1968 | 154 | 221 |
| 1969 | 334 | 221 |
| 1970 | 438 | 363 |
| 1971 | 1,015 | 625 |
| योग | 2,187 | 1,723 |

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिन्जौर के कार्यकरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

3291. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिन्जौर (हरियाणा) के कायकरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई थी और रिपोर्ट 1971 में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

**सरकारी क्षेत्र में टायर बनाने का कारखाना**

3292. **श्री के० मालन्ना :**

**श्री धनशाह प्रधान :**

या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में टायर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने अन्तिम रुप स निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके लिए कितना धन नियंत किया गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : सरकार विचार कर रही है कि क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने के लिय संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जा सकता है, और क्या एक केंद्रीयकृत अभिकरण दवारा तकनोकी जानकारी विकसित की जा सकती है, किन्तु ये प्रस्ताव विचार की बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है ।

**उद्योगों संबंधी अनुसंधान तथा विकास के लिए धन राशि का नियतन**

3293. **श्री के० मालन्ना : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योग सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास के लिए अधिक धनराशि नियत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) तथा (ख) : उद्योगों संबंधी अनुसंधान तथा विकास में कमी की जांच की जा रही है और अनुसंधान तथा विकास के लिए अधिक धनराशी नियत करने के प्रश्न पर, जहां भी आवश्यक हो, विचार किया जायेगा । गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक फर्मों के लिए अनुसंधान तथा विकास व्यय हेतु अनेक प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था की गई है । गैर सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए सहायता से [illegible] करने हेत उपयुक्त अभ्युपाय अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है ।

**Capacity Increase of Telephone Exchange at Mandsaur City, Madhya Pradesh**

**3294. Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the capacity of the Telephone Exchange at Mandsaur City, Madhya Pradesh ;

(b) whether the existing Telephone Exchange is unable to meet the demand for new connections ; and

(c) if so, the action taken by Government to increase the capacity of the said Exchange ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)** : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) A 400 line automatic exchange has been planned to replace the existing 300 line manual exchange. The exchange is planned to be commissioned in 1973-74.

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुभाग अधिकारियों की संख्या**

**3295. श्री धर्मराज अफजलपुरकार** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन, 1972 तक वैज्ञानिक तथा औदयोगिक अनुसंधान परिषद में कुल कितने अनुभाग अधिकारी थे;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अनुभाग अधिकारियों की अलग-अलग संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार आरक्षित कोटे को सीधी नियुक्ति से भरने का है; और

(घ) यदि नहीं तो उपयुक्त संवर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्)** : (क) अन्य संगठनों में 2 की प्रति-नियुक्तियों सहित 66 है ।

(ख) 5 अनुसूचित जातियों के हैं अनसूचित जनजातियों का कोई अनुभाग अधिकारी नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**राजस्तान के देहातों में पेय जल की सप्लाई**

**3296. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान में फिर भी 20,898 देहात ऐसे रह जायेंगे जिनमें रोगग्रस्त पेय जल मिलेगा अथवा जल बिल्कुल नहीं मिलेगा ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन देहातों को पेय जल सप्लाई करने के लिए योजनायें चलाने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या कोई योजना बनाई गई है; और यदि हां तो कुल परिव्यय कितना है और कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से वांछित सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**कारों की किस्म और उनका उत्पादन**

**3297. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कार निर्माताओं को अपने उत्पादन में वृद्धि करने की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के उस अनुमान की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक मोटरगाड़ी से औसतन 12.63 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में लिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र एक कार निर्माता से हाल ही में प्राप्त हुआ है । वह परीक्षाधीन है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) इस प्रकार का कोई निर्णय मांगा नहीं गया था । ऐसे वाहनों की क्षमता की योजना बनाते समय व्यापारिक वाहनों की रोजगार क्षमता को ध्यान में रखा गया है ।

**केरल से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती**

**3298. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

**श्री बयालार रवि :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की कितनी संख्या है ; और

(ख) इन बलों में भर्ती किये गये कुल कर्मचारियों में केरल से कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 60 ड्यूटी बटालियन और 3 सिगनल बटालियन और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 17 बटालियनें है ।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में केरल से हुई भर्ती का अनुपात लगभग दस प्रतिशत है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी । किन्तु इन दलों में भर्ती राज्यवार नहीं की जाती ।

**संयुक्त सलाहकार व्यवस्था द्वारा विरोध किए गए अस्थाई सेवा नियम का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन**

3299. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के० वी० गोपीनाथ बनाम भारत सरकार, मामले में नियम पांच पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात् सरकार ने अस्थाई सेवा नियम पांच का 1965 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है ;

(ख) क्या इसका संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है; और

(ग) क्या देश भर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में बढ़ते हुए असंतोष को देखते हुए सरकार इसे वापस लेगी ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) 18 फरवरी, 1972 को सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट, आर०एम०एस०, कोचीन तथा अन्य बनाम के० वी० गोपीनाथ सार्टर (ए० ई० आर० 1972 एस० सी० 1487) के मामले में, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 पर दिये गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न सामान्य मामलों पर प्रत्येक पहलू से विचार किया गया था । नियम का आशय यह रहा है कि ऐसे अस्थायी कर्मचारी, जिनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जाती है, को एक महीने के नोटिस की अवधी या उस समय जो कि एक महीने के नोटिस से कम पड़ता हो, उसे वतन तथा भत्तों से वंचित न रखा जाय । उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार बनाम दीनानाथ राय (1969 सेवा०एल०आर० 647) के मामले में पहले दिये गए निर्णय में भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी । इसलिए, गोपीनाथ के मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि उक्त आशय के असंदिग्ध शब्द को स्पष्ट किया जाय । ऐसा, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम पांच के उप-नियम (1) के परन्तुक को अधिसूचना संख्या 4/2/72 स्थापना (ग), दिनांक 23-6-1972 द्वारा, संशोधन करके किया गया है । इस संशोधन के अधीन, ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनकी सेवाएं अस्थायी सेवा नियम के अधीन समाप्त कर दी जाती है, को दिये गए नोटिस की अवधि या उस अवधि, जो कि एक महीने से कम पड़ता है, के लिए वह अपना वेतन तथा भत्ता प्राप्त कर सकेगा । अतः सक्षम प्राधिकारी इस बात के लिए बाध्य नहीं होंगे कि सेवा समाप्ति के नोटिस दिये जाने के साथ ही साथ उसे भुगतान भी कर दिया जाए । ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संशोधन को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सरकार की उदासीनता को देखते हुए संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा आगे कार्य करने के लिए असमर्थता व्यक्त करना**

3300. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने उनकी महत्वपूर्ण मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण परिषद् में आगे कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की थी; और

(ख) क्या यह निर्णय संयुक्त सलाहकर व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की 28 और 29 जुलाई, 1972 को हुई बैठक में किया गया था और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) तथा (ख) : 28 जुलाई, 1972 को आयोजित की गई राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त सलाहकार व्यवस्था) की बैठक में कर्मचारी पक्षन कतिपय मामले बातचीत के लिए उठाए, जिनके सम्बन्ध व सरकारी पक्ष से निश्चित उत्तर चाहते थे। सरकारी पक्ष ने सभी मामलों में सरकार के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया। तथापि, कर्मचारी पक्ष ने कहा कि वे सरकारी पक्ष द्वारा दिय गये उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं और उन्होंने सरकारी पक्ष से अनुरोध किया कि वे दूसरे दिन अर्थात 29 जुलाई, 1972 को एक वक्तव्य दे, जिसमें प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में सरकार के निश्चित दृष्टिकोण की पुष्टि हो सके। तदनुसार, इन मामलों को 29 जुलाई, 1972 को परिषद् में विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी, जबकि सरकारी दृष्टिकोण का फिर से स्पष्टीकरण किया गया। कर्मचारी पक्ष ने फिर भी असन्तोष जाहिर किया और कहा कि जब तक सरकार पूछे गये मामलों में सुस्पष्ट निर्णय नहीं दे देती, कर्मचारी पक्ष संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अन्तर्गत आग कोई चर्चा जारी नहीं रखगा। परिषद् के अध्यक्ष अर्थात् मंत्रिमंडल सचिव ने बल दिया कि सरकार संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की प्रक्रिया को महत्व देती रही है, उसके कारण विगत काल में विभिन्न मामलों पर ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि जिसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा कल्याण के कार्यों में बुरा प्रभाव पड़ा है और यह भी स्पष्ट किया गया कि बठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा जिन मामलों के बारे में प्रश्न उठाया गया था, उनके सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उपयुक्त जवाब दिये गये थ। सरकारी पक्ष की ओर से कोई बेईमानी नहीं थी। यह दुर्भाग्य की बात थी कि कर्मचारी पक्ष ने उन जवाबों को असन्तोषजनक पाया। सरकार को विभिन्न मामलों में सभी तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते समय कर्मचारी पक्ष को आगे चर्चा से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तथापि, सरकार केवल इसी आधार पर कार्य कर सकती है। सरकारी पक्ष को देश में व्याप्त परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यथोचित समय में मामले पर आग विचार किया जा सकता था। इस पर कर्मचारी पक्ष ने कहा कि जब तक सरकार उनके द्वारा उठाये गये मामलों पर तत्काल तथा सुस्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक संयुक्त सलाहकार व्यवस्था को राष्ट्रीय परिषद् के ढांचे में आगे चर्चा से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हालांकि, परिषद् द्वारा विभिन्न मदों पर विचार करने के लिए स्थापित विभिन्न समितियां पहले की भांति कार्य करती रहेंगी।

यह आशा की जाती है कि ऊपर दिये गए स्पष्टीकरणों तथा संयुक्त सलाहकार यंत्र-रचना की उपयोगिता व लाभों पर आगे पड़ने वाले प्रतिबिम्ब को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी पक्ष परिषद् की समितियों में भाग लेने, जो कि वह पहले ही कर रहे है, के साथ साथ परिषद के विचार विमर्श में भाग लेना जारी रखगा।

## उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद

**3301. श्री एस० एम० बनर्जी :**

**श्री पी० के० देव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र का विचार उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चल रहे सीमा-विवाद में हस्तक्षेप करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मत अलग-अलग हैं ; और

(घ) क्या दोनों राज्य सरकारों ने केन्द्र की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है ?

**गृह मंत्रालय में-उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (घ) : सम्भवत: सदस्य महोदय का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले तथा बिहार के सारन तथा शाहाबाद जिलों के बीच की सीमा से है। इस सीमा का सीमांकन बिहार व उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत किया गया है, तथा इस मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। किन्तु उस अधिनियम के अन्तर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित क्षेत्रों के कुछ कृषकों ने शिकायत की थी कि इन क्षेत्रों के स्थानान्तरण किए गय राज्यों के अधिकारी उस भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दे रहे है। राज्य सरकारों को आवश्यक उपचारी उपाय करने की सलाह दी गई है।

## पूर्वी क्षेत्र परिषद् की बैठक

**3302. श्री पी० गंगादेव :**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्र परिषद् की जुलाई, 1972 में एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या तीन मुख्य मंत्रियों ने उनके राज्यों में बैंकों द्वारा ऋण देने में देरी किये जाने की शिकायतें की थीं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अन्य किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा क्या निर्णय किये गये ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) लघु/आंशिक किसान व कृषि मजदूरों की योजना पर वार्तालाप के दौरान पश्चिम बंगाल व बिहार के मुख्य मंत्रियों ने बटाई काश्तकारों/पट्टेदारों को बैंक से ऋण मिलने के सम्बन्ध में दिक्कतों का उल्लेख किया। जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2760 दिनांक 18-8-1972 के उत्तर में कहा गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा ऋण नीति व पद्धति को सरल करने के लिए संगठनात्मक समितियों को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करने तथा विभिन्न समन्वय समितियों के साथ बैंकों के सक्रिय साहचर्य से राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किए गये विषयों की एक सूची संलग्न है। परिषद की बैठक में सम्मिलित की गई सिफारिशों की कारवाई की प्रतियां परिषद के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श से अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् संसद के पुस्तकालय में रखी जायेंगी।

### विवरण

### पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक में विचार-विमर्श किए गये विषयों की सूची

| मद संख्या | विषय |
|---|---|
| 1 | बिहार से पश्चिम बंगाल में स्थानान्तरित किए गये क्षेत्रों (क्षेत्र स्थानान्तरण अधिनियम, 1958) के विलयन से पूर्व के सहकारी ऋणों की व्यवस्था करना। |
| 2 | खाद्यान्नों के लाने ले जाने में पाबन्दी लगाना तथा पड़ौसी राज्यों के सहयोग से तस्करी रोकने के उपायों को लागू करना। |
| 3 | उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले से आदिवासियों का निकाला एवं उड़ीसा राज्य में उनके पुनर्वास के प्रश्न पर विचार। |

| मद संख्या | विषय |
|---|---|
| 4 | बड़ोपदा-रायरंगपुर टिरिंग हल्दीपुरवर मार्ग का सुधार करना तथा वाहल्दा--चाइवासा मार्ग का सुधार करना । |
| 5 | पड़ोसी राज्यों में पटसन का उत्पादन करना । |
| 6 | पिछड़े इलाकों का पता लगाना तथा त्वरित विकास करना । |
| 7 | विद्युत |
| 8 | लघु / आंशिक किसानों व कृषि मजदूरों के लिए योजना । |
| 9 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । |
| 10 | राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम |
| 11 | शिक्षा संस्थाओं में प्रवश के लिए आवासीय प्रतिबन्ध समाप्त करना । |
| 12 | पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में भाषाई अल्प संख्यकों के लिए संरक्षण की योजना के कार्यान्वियन की प्रगति की समीक्षा करना । |
| 13 | पौधों के संरक्षण के लिए उपाय । |
| 14 | संक्रामक पशु-चेचक का नियंत्रण । |
| 15 | इंजीनियरी उपाधि तथा डिप्लोमा धारकों के लिए प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की सुविधा । |
| 16 | पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के पूर्व निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा । |
| 17 | पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक की तिथि तथा स्थान । |
| 18 | मूर्तिकला तथा अन्य सांस्कृतिक भण्डारों की चोरी व तस्करी को रोकना । |

### जबलपुर गन फैक्टरी में डाका

**3303. श्री पी० गंगादेव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जबलपुर गन कैरिज फैक्टरी के डाकखाने में 9 जुलाई, 1972 को डाकुओं के एक गिरोह ने घुस कर सभी नकदी उड़ा ली थी ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):** 9 जुलाई, 1972 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किन्तु 6 जुलाई, 1972 को गन कैरिज फैक्टरी डाकघर में तीन बाहरी व्यक्ति घुसे थे। उन्होंने इस डाकघर के नायब पोस्टमास्टर और दो क्लर्कों पर हमला किया और उन्हें जान से मार डाला। कोई नकदी नहीं लूटी गई थी।

### हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्रीनगर में घड़ियों का उत्पादन

**3305. श्री पी० गंगादेव :**
**श्री के० लक्कप्पा :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टुल्स के श्रीनगर में नये घड़ी कारखाने में घड़ियों का उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) ये घड़ियां हिन्दुस्तान मशीन टुल्स द्वारा अन्यत्र बनाई जा रही घड़ियों से किस प्रकार बेहतर हैं ; और

(ग) इनका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) श्रीनगर घड़ी कारखाने द्वारा बनाई जाने वाली घड़ियों का गुण प्रकार (क्वालिटी) कंपनी के बंगलौर घड़ी के कारखाने में बनाई गई घड़ियों के गुणप्रकार (क्वालिटी) के समान होगा।

(ग) श्रीनगर घड़ी कारखाने का वार्षिक उत्पादन 1978–79 तक 3,00,000 घड़ियाँ होगा।

**मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया में उत्पादन**

**3306. श्री पी० गंगादेव :**

**श्री श्रीकिशन मोदी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया ने वर्ष 1971–72 के दौरान अपने उत्पादन में चौगुनी वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970–71 और वर्ष 1971–72 में उक्त निगम द्वारा ग्राइन्डरों एवं अन्य उपकरणों का कुल कितना उत्पादन किया गया ; और

(ग) क्या उक्त संयंत्र चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था और यदि हां, तो उक्त कारपोरेशन को चेकोस्लोवाकिया द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**:(क) जी, हाँ। करीब 4.3 गुना वृद्धि हुई ।

(ख) 1971–72 में ग्राइंडिंग मशीनों का उत्पादन बढ़कर 65 हो गया जब कि 1970–71 में 8 ग्राइंडरों का उत्पादन हुआ था। अन्य उत्पादित वस्तुओं में विशेष सहायक उपकरणों, जिगों, औजारों और पिक्सरों आदि का नाम उल्लेखनीय है। जिनका संभरण खरीददारों को उनके कहने पर अतिरिक्त मूल्य लेकर किया जाता है तथा इनका, हिसाब मूल्य के अनुरूप किया जाता है। इन सामानों की उत्पादन लागत 1970–71 में 8.89 लाख रुपये थी तथा 1971–72 में बढ़कर 23.33 लाख रुपये हो गई।

(ग) संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है जिन्होंने

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार करने;
2. मशीनों और उपकरणों की प्रारम्भिक सप्लाई करने;
3. कुछ ग्राइन्डरों के लिये प्रौद्योगिकीय प्रलेखीकरण सामग्री की व्यवस्था करने;
4. संयंत्र का निर्माण करने, उसे चालू करने और उसमें उत्पादन शुरू करने के लिये चेक-विशेषज्ञों को भेजने की व्यवस्था करने में सहायता की है।

**Automatic Telephone Exchange Facility in Rural Areas of Raipur District, M.P.**

**3307. Shri Shrikrishna Agarwal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether facility of automatic Telephone Exchange has been made available in the rural areas of Raipur district in Madhya Pradesh ;

(b) whether some complaints have been received from the customers or from the elected representatives regarding defects in its machines and if so, the action taken in this regard ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to improve its working ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)** : (a) Yes, in 12 places in the District.

(b) & (c) Yes, but the defects complained about were due to frequent theft of copper wire from overhead lines. Copper wire is being replaced by aluminium conductor steel re-inforced wire.

**बंगला देश से आये शरणार्थियों पर किये गये खर्च में अनियमिततायें**

3310. **श्री समर गुह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों पर किये गये खर्च में हुई अनेक अनियमितताओं और कदाचारों की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उक्त अनियमितताओं तथा कदाचारों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

**गत तीन वर्षों में उत्तीर्ण हुए आई० ए० एस० और आई०पी०एस० के उम्मीदवार**

3311. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आई०ए०एस० और आइ०पी०एस० में कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए

(ख) उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया, और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने आई०ए०एस० के अधिकारियों को रोजगार दिया गया ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क)

| वर्ष | नियुक्त किए गए उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या | |
|---|---|---|
| | आई०ए०एस० | आई०पी०एस० |
| 1969 . . | 100 | 65 |
| 1970 . . . | 96 | 53 |
| 1971 . . . | 111 | 58 |

(ख) तथा (ग) सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल0 टी0 3492/72]**

(घ) 26 ।

**फिल्म सेंसर करने की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव**

3312. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेन्सर करने की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) तथा (ख) : फिल्मों के सेन्सर सम्बन्धी समूचे प्रश्न पर फिल्म सेन्सर सम्बन्धी जांच समिति द्वारा विचार किया गया है। समिति की सिफारिशों पर सम्बन्धित संगठनों तथा हितों के परामर्श से विचार किया गया है । सिफारिशों पर निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की उम्मीद है।

**दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था**

3313. **श्री सी० क० जाफर शरीफ :**

**श्री के० सुब्रावेलू :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण भारतीय राज्यों के लिये डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) दक्षिण के राज्यों में 8 मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस०टी०डी०) की सुविधा पहले से उपलब्ध है। धीरे-धीरे अन्य मार्गों पर भी यह सुविधा दी जाएगी ।

(ख) इस समय जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनसे मद्रास, बंगलौर और कोयम्बतूर एक्सचेंजों के टेलीफोन उपभोक्ता एक ट्रंक आटो एक्सचेंज के जरिए परस्पर सीधे डायल कर सकते है । दक्षिण के राज्यों में 6 अन्य स्थानों के लिए भी ट्रंक आटो एक्सचेंजों की योजना बना ली गई है । इसके अलावा मद्रास, तिरुची, मद्रास-चिंगलपेट, मदुरै-तिरुची, मद्रास-मदुरै और ऊटी-कोयम्बतूर मार्गों पर भी उपभोक्ताओं को सीधे डायल करने की सुविधा उपलब्ध है । इनके अतिरिक्त दक्षिण के राज्यों में 20 अन्य स्थानों के लिए भी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की योजना बनाई गई है ।

**पिछड़े क्षत्रों में उद्योगों के संवर्धन के लिए अतिरिक्त जिलों का चयन**

3314. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन के लिये केन्द्रीय राज सहायता योजना का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को भविष्य के प्रयोजन के लिये पहले से अनुमोदित जिलों के अलावा अतिरिक्त जिलों के चयन के लिये योजना आयोग को प्रस्ताव भेजने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) : जी, हां । हाल ही में यह स्वीकार कर लिया गया है कि जिलों/क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रतिशत की केन्द्रीय आर्थिक सहायता के वास्ते जिलों/क्षेत्रों के जुनाव के लिए स्वीकृत मानदण्ड के ढांचे के अन्तर्गत ही उक्त

स्कीम का विस्तार किया जाय। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के मामले में 2 से 6 जिलों/क्षेत्रों तक और अन्य राज्यों के मामले में 1 से 3 जिलों/क्षेत्रों तक उक्त स्कीम का विस्तार किया जा सकता है। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस बारे में पत्र लिख दिये हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि अतिरिक्त जिले / क्षेत्र चुनने का अपना प्रस्ताव भेजे। कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

**मधुबनी, बिहार के लिए नया डाक डिवीजन बनाना**

3315. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन संख्या, नेपाल के साथ सीमा लगने और बाढ़ के कारण उचित संचार व्यवस्था के अभाव को ध्यान में रखते हुए बिहार में मधुबनी के लिये एक नया डाक डिवीजन बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):** (क) फिलहाल प्रशासनिक कारणों से यही फैसला किया गया है कि दरभंगा डिवीजन को, जिसमें मधुबनी राजस्व सब-डिवीजन भी शामिल है, दो हिस्सों में न बांटा जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Scheme for Extension of Television Programmes**

3316. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the scheme for extension of television programmes has since been finalised ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) if not, the time by which a final decision would be taken thereon ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) :** (a) & (b) : No, Sir. Proposals for the extension of TV coverage during the Fifth Plan are under consideration.

(c) As these proposals will form part of the Fifth Plan, final decision will be taken along with the Plan.

**Proposal to set up another States Re-Organisation Commission**

3317. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the vastness of the areas of States hampers their development and stands in the way of administrative efficiency ; and

(b) if so, whether Government propose to set up another States Reorganisation Commission ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) Government have no reason to think that the size of the existing large States adversely affects their development or administrative efficiency.

(b) Does not arise.

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र की स्थापना**

3318. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति के पास एक प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उद्योगों के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम)** : (क) और (ख): एकस्व साहित्य के तकनीकी वार्षिक अधिक सर्वेक्षण करने और नए उत्पादनों की खोज में अनसंधान और विकास संस्थाओं, उद्योगों तथा व्यावसायिकों को आशापूर्ण नए विचार और ज्ञान प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति में विचाराधीन है । इस उपाय से कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होंगे जसे कि विदेशी ज्ञान तथा सहयोग के परिहार के साथ कुछ स्थितियों में अनुसंधान दिव्रावृत्ति के खर्चे को बचाना आदि ।

**तमिलनाडु उद्योग मंत्री का औद्योगिक नीति के बारे में वक्तव्य**

3319. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 29 जुलाई, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "अस्पष्ट औद्योगिक नीति" (इंडस्ट्रियल पालिसी वेज) शीर्षक के अन्तर्गत छपी तमिलनाडु उद्योग मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : माननीय सदस्य ने जिस समाचार का उल्लेख किया है सरकार को उसकी जानकारी है। सरकार की औद्योगिक नीति अस्पष्ट नहीं है, इसमें हमारे सामाजिक आर्थिक उद्देशों के अनुरुप त्वरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं।

**देवनागरी टेलीग्राफी में योग्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन**

3320. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन अधिकारियों को प्रोत्साहन दे रही है जो दवनागरि टेलीग्राफी में योग्यता प्राप्त करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने धिकारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार कितनी धनराशि दी जाती है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) जी हां। टेलीग्राफिस्ट और डाक सिमनलर जब हिन्दी कोर्स में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो एक अग्रिम वेतन वृद्धि और जब हिंदी टलीप्रिंटर में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो एक और अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के पात्र होते हैं । यह 1-1-1970 से प्रभावी है।

(ख) संबंधित मातहत यूनिटों से बौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और इन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पास होने के विरुद्ध मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा मनाया गया विरोध-दिवस**

3321. **श्री बक्शी नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम संगठनों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पास किये जाने के विरोध में देश भर में 16 जून, 1972 को विरोध दिवस मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ओल्ड बवायज कन्वेन्शन कांसिल, मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस द्वारा किये गये आवाहन पर 16 जून, 1972 को देश के अनेक भागो में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 के विरोध में विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था।

(ख) सरकार यह अनुभव करती है कि आन्दोलन अधिनियम के संबंध में गलतफहमी पर आधारित है और पूर्णरूप से अनुचित है।

**बड़ी परियोजनाओं में वित्तीय संस्थानों द्वारा भाग लेने हेतु संयुक्त क्षेत्र**

3322. **श्री बक्शी नायक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी परियोजनाओं के मामले में वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक प्रबन्धकीय योगदान हेतु संयुक्त क्षेत्र की पहले की गई परिकल्पना को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में वास्तविक रूप से आरम्भ हीन हुई बताया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में 11 जून, 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : आदरणीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट समाचार से सरकार अवगत है। सरकार द्वारा प्राक्कल्पित संयुक्त क्षेत्र का विचार असफल नहीं हुआ है।

**जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण**

3323. **श्री बक्शी नायक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिलों की औद्योगिक क्षमता का पता लगाने के लिए भारत के प्रत्येक जिले का सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) देश में औद्योगिक कार्यों को बढ़ाने में ऐसे सर्वेक्षण से किस हद तक सहायता मिलेगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : विकास की सामान्य नीति के अंग के रूप में ही लघु उद्योग विकास संगठन अन्य निकायों ने जिलों का सर्वेक्षण किया है। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा किये हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी जाती है जो विकास योग्य नये लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए आगे कार्यवाही करती है। अपने उत्पादन का विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण करने में भी इन लघु एककों की सहायता की जाती है।

**छोटे पैमाने के क्षेत्र को सहायता**

3324. **श्री बक्शी नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने के क्षेत्र को सहायता देने संबंधी ढांचे में कुछ परिवर्तन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस के परिणामस्वरूप छोटे पैमाने के क्षेत्र को कितना लाभ होने की सम्भावना है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

**भारत में अपराध विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान करने हेतु विधि-चिकित्सा शास्त्र के विकास के बारे में ब्रिटिश वैधिक विशेषज्ञ की सिफारिशें**

3325. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने हेतु विधि चिकित्सा शास्त्र के विकास के बारे में भारत सरकार को परामर्श देने के लिये वर्ष 1972 के आरम्भ में एक ब्रिटिश वैधिक विशेषज्ञ को भारत आमंत्रित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वैधिक विज्ञान संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति और अपराध विज्ञान तथा वैधिक विज्ञान संस्थान में, जो कि इस समय मुख्यतया पुलिस प्रधान हैं, वैधिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सदस्यों को शामिल करने का है।

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विशेषज्ञ द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) भारत की सभी वैधिक प्रयोगशालायें राज्य के नियंत्रण से ले लेनी चाहिए तथा उन्हें केन्द्रीय प्रशासन के अधीन रखना चाहिए।

(2) इन प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के वेतनमानों में वृद्धि करनी चाहिए।

(3) कार्य को अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए इन प्रयोगशालाओं के ढांचे का पुनर्गठन करना चाहिए।

(4) रसायन विश्लेषणों की प्रयोगशाला को वैधिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के साथ मिला देना चाहिए ।

(ग) वैधिक विज्ञान संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति को पुलिस अनुसंधान तथा विकास सलाहकार परिषद के अधीन स्थापित की जाने वाली वैधिक विज्ञान संबंधी स्थाई समिति द्वारा बदला जा रहा है।

इस समिति में मुख्यत: वैधिक विशेषज्ञ होंगे। अपराध विज्ञान तथा वैधिक विज्ञान संस्थान में केवल दो पुलिस अधिकारी हैं, शेष कर्मचारी शिक्षा शास्त्री तथा वैधिक विशेषज्ञ हैं ।

**चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में पदोन्नति**

**3326. श्री पम्पन गौडा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधिन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि एक निश्चित अवधि की सेवा के पश्चात तथा अपेक्षित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में पदोन्नति दी जाए ;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत करने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत करने के बारे में उनसे समय समय पर ज्ञापन प्राप्त होते रहे है। इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि तीसरी श्रेणी के पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नत पद नहीं है, क्योंकि इन दोनों पदों के का कार्य स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और चतुर्थ श्रेणी पदों पर प्राप्त अनुभव, अवर श्रेणी लिपिकों के पदों के लिए कोई महत्वपूर्ण साबित नहीं हो सकता। तथापि, चतुर्थ श्रेणी के शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को तीसरी श्रेणी के पदों में प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिस के अधीन ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोजगार कार्यालय में तीसरी श्रेणी के पदों के लिए अपने नाम दर्ज करा सकते हैं और रोजगार दफ्तर द्वारा नामांकित किए जाने पर, उनकी चतुर्थ श्रेणी में की गई सेवा के आधार पर आयु सीमा में छूट देते हुए, उनके बारे में इस प्रकार के श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है, जिस कार्यालय में वे कार्य कर रहे हों हालांकि इनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के बीच में नहीं है। इसके अतिरिक्त, अवर श्रेणी लिपिकों के पदों की रिक्तियों में 10 प्रतिशत रिक्तियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी आरक्षित की गई हैं जो कि उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक सीमित एक परीक्षा के आधार पर भरी जानी हैं, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, मैट्रिकुलेशन या समकक्ष अर्हता रखते हैं और जिनकी आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 50 वर्ष) तक की है। यह योजना रेलवे, डाक व तार और भारतीय लेखा-परीक्षा व लेखा विभाग में लागू नहीं है, जिनकी अपने चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्ति करने के लिए अपनी निजी योजनाएं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में आगे कोई कारवाई करने का प्रस्ताव नहीं है ।

## त्रिपुरा में घोषित अशान्त क्षेत्र

3327. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के किसी क्षेत्र को अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है, और

(ग) उक्त क्षेत्र कब तक अशान्त क्षेत्र रहेगा ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) : त्रिपुरा सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे है।

## Shortage of H.M.T. Watches

**3328. Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether H.M.T. watches, Jawahar, Pilot, Sona, Janta, Tarun, Sujata and Nutan are not easily available to customers for the past few months ;

(b) if so, the reasons for the shortage of these watches ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to meet the shortage ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) & (b) : H.M.T. watch factory a Bangalore is working to full capacity but the demand is so high that HMT is unable to meet the demand fully.

(c) HMT is expanding its existing watch factory at Bangalore to produce additionally 2,00,000 automatic day-date wrist watches per annum. In addition to this, the Company is also setting up a watch factory at Zainakot near Srinagar to produce 3,00,000 wrist watches of the Hand-winding type per annum.

## Shortage of Cement

**3329. Shri Ramavtar Shastri :**

**Shri C. K. Jaffer Sharief :**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether consumers are facing great difficulties due to the shortage of cement in the country for the last few months ;

(b) the States/regions where there is acute scarcity of cement; and

(c) the reasons therefor and the action taken by Government to remove this shortage and check black-marketing ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :** (a) to (c) : The northern and eastern regions of the country are deficit in the production of cement and their demand over the supply within the zones has to be met by movement of cement from the western and southern zones. Normally during the period of May to September every year, local shortage s arise in certain regions due to diversion of railway wagons for the movement of foodgrains. During 1971, production of cement was also affected due to the closure of a factory in eastern region as well as restriction on power and inadequate supplies of coal.

To overcome the inadequate supply of wagons and to improve the supply position, permission has been granted in appropriate cases to factories situated in distant areas to arrange supplies even, if necessary, over dearer routes at a higher freight. More liberal movement by road has also been permitted. Creation of dumps near the consumption points and transport of cement by rail-cum-road or by road have been permitted. It has also been decided to reimburse the producers upto 125% of the corresponding rail freight for transport of cement to destinations beyond 100 Kilo meters. The railways have also been requested to improve the availability of wagons to the various factories for transport of cement. Supply of cement through coastal shipping at a higher cost has also been permitted. Augmentation of additional capacity for cement manufacture has also been encouraged. Recent strike in the cement Industry by the labour will affect the availability position further.

## जापला सीमेंट फैक्टरी, बिहार

3330. **श्री रामावतार शास्त्री :**

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापला (बिहार) में सीमेंट की कुछ बन्द पड़ी फैक्टरियों ने हाल में काम करना पुनः आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन फैक्टरियों का कुल दैनिक उत्पादन टनों में कितना है ?

**औद्योगिक विकास मन्त्रालय म उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हाँ, बिहार में जापला स्थित सोने वैली पोर्ट लैण्ड सीमेंट फैक्टरी में जिसमें 1 मई, 1971 से उत्पादन बन्द हो गया था, 5 जुलाई, 1972 से उत्पादन पुनः आरम्भ हो गया है ।

(ख) 5 जुलाई, 1972 से 13 अगस्त, 1972 तक इस कम्पनी में उत्पादित सीमेंट का औसत लगभग 298 मी० टन प्रति दिन रहा है।

## Infiltration of Bangladesh Citizens into Indian Territory

3331. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some citizens of Bangladesh had infiltrated into Indian territory in the past few months ;

(b) if so, the number thereof ;

(c) the reasons for their infiltration into Indian territory ; and

(d) whether Government have taken any action to prevent such infiltration in future ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) to (c) : There has been no fresh influx of refugees as such from Bangladesh. The number of persons who may have entered India without valid travel documents during the last three months is being ascertained from the Governments of our border States. The State Governments have also been requested to report the reasons that such infiltrants may have given for their entry into India without valid travel documents.

(d) All our authorities concerned on the border are fully vigilant and have been instructed to prevent unauthorised entry of any persons from across the border.

**कृत्रिम रुप से बढ़ाये गये राशि वाले टेलीफोन बिल**

**3332. श्री रामावतार शास्त्री :**

**डा० कर्णीसिंह :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद में इस मामले पर कई बार चर्चा किये जाने के बाद भी कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई राशिवाले टेलीफोन बिलों की समस्या अभी भी बनी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कारवाई करने का विचार है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) जी हां। बहुत कम प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा, विशेष रूप से राजधानी के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा यह आरोप अभी भी लगाया जा रहा है।

(ख) याचिकाओं विषयक समिति ने दिल्ली के कुछ उपभोक्ताओं की एक याचिका की जांच करने पर यह सिफारिश की है कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाए जिसमें दूसरे सदस्यों के साथ स्वतंत्र, तकनीकी लेखा विशेषज्ञ भी शामिल हों। यह समिति दिल्ली टेलीफोन के कार्य की जांच करे जिसमें एस० टी० डी० प्रणाली के कार्य और बिलों में रकम बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की शिकायतों की जांच की प्रक्रिया पर खास ध्यान दिया जाए और दिल्ली टेलीफोन के कार्य को सुचारु रूप देने के लिए और बिलों में रकम बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने के कारणों को तुरन्त दूर करने की प्रभावी तरीकों का सुझाव दे। इस समिति की नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि अभी प्राक्कलन समिति से सहमति प्राप्त नहीं हुई है जिसका संचार मंत्रालय के प्राक्कलनों की जांच करने का भी विचार है।

**कुछ समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा जम्मू और काश्मीर में तोड़-फोड़ की गतिविधियां**

**3333. श्री पीलू मोदी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों में कुछ समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने जम्मू और काश्मीर के विभिन्न भागों में तोड़-फोड़ की कार्य वाहियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरुप क्या था ; और

(ग) क्या इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई निगरानी रखी जा रही है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) तथा (ख) : राज्य सरकारने सूचित किया है कि जन, 1972 में एक भूमिगत राष्ट्र-विरोधी दल ध्यान में आया है जिसका इरादा अकेले सेना तथा पलिस के गार्डों तथा महत्वपर्ण प्रतिष्ठानों पर आक्रमण करना था। संबंधित व्यक्तियों को पकड़ा गया है और नजरबन्द कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय व राज्य सरकारों की सुरक्षा एजंसियां उस संबंध में सतर्क हैं।

## लद्दाख का विकास

3334. **श्री कुशांक बाकुला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में लद्दाख क्षेत्र आर्थिक, शिक्षा तथा उद्योग की दृष्टि से अत्यंत पिछडा हुआ है ;

(ख) क्या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने तथा इस क्षेत्र का विकास करने के लिये वित्तीय तथा अन्य सभी सम्भव सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जम्मू व काश्मीर में लद्दाख क्षेत्र आर्थिक शिक्षा तथा उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) : अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बन्धित संवैधानिक उपबन्ध इस समय जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं होते। किन्तु, वास्तविक समस्या इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेज करने की है और सरकार इस के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है। विभिन्न योजना अवधियों में लद्दाख क्षेत्र के लिए लागत धन में नियमित रूप से वृद्धि की गई है। एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

लद्दाख के कार्यक्रमों में, जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सड़कों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊन तथा भेड़ों का विकास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य केन्द्रों का सुधार, स्तक्ता विद्युत परियोजना का निर्माण और बागवानों का विकास सम्मिलित है। प्रथम योजना के बाद लद्दाख में लगाया गया लागत धन इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

| | |
|---|---|
| प्रथम पंचवर्षीय योजना | 2.41 |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना | 8.54 |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना | 143.80 |
| 1966–67 | 56.72 |
| 1967–68 | 31.42 |
| 1968–69 | 44.33 |
| जोड़ | 287.22 |

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 6 करोड़ रूपये का व्यय लद्दाख क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रथम तीन वर्षों में 2.48 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी होगी। छोटी सिंचाई और विद्युत् क्षेत्रों के अन्तर्गत विशेषरूप से प्रगति हुई है।

## गुजरात सरकार द्वारा टेलीविजन सेंटों के निर्माण के लिये एक परियोजना की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए अनुरोध

3335. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार टेलीविजन सेंटों के निर्माण के लिए एक परियोजना की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए गुजरात सरकार से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच आवेदन की जांच कर ली है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) नहीं महोदय ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**बड़ौदा में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना**

3336. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में बड़ौदा मे एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : जी, नहीं ।

**राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये आशय-पत्रों का उपयोग**

3337. **डा० रानेन सेन :**

**श्री प्रभुदास पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले 26 जुलाई, 1972 के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बहुत से आशयपत्र कुछ राज्य औद्योगिक विकास निगमों के पास अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और आशयपत्रों को उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) से (ग) : जी, हां । सरकार राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों को जारी किए गए आशय पत्रों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता से अवगत है । नये उद्योगों की स्थापना में विशेषरूप से इन नियमों की भूमिका के परिपेक्ष्य में ऐसा करना अतिआवश्यक है । यह मामला सभी मुख्य मंत्रियों के समक्ष उठाया गया है । उससे प्रगति की समीक्षा स्वयं करने को कहा गया है तथा उन्हें विलम्ब के कारणों यदि कोई हो, से सरकार को अवगत करने को कहा गया है । उससे न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निरन्तर और निकट सहयोग करने तथा स्थानीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी अनुरोध किया गया है । मुख्य मंत्रियों से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं इसके बाद अलग अलग परियोजना की प्रगति का आकलन किया जा सकेगा । विलम्ब के कारणों तथा कठिनाइयों का पता लगाकर आवश्यकतानुसार अभ्युपाय किए जायेंगे ।

**ग्रामीण क्षत्रों में स्थानीय कालों के लिये दूरी सम्बन्धी टेलीफोन टैरिफ नीति का पुनरीक्षण**

3338. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला मुख्यालय या तालूक मुख्यालय एक्सचेंजों से बीस किलोमीटर के अन्दर-अन्दर के क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत करने के हेतु टेलीफोन टैरिफ नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इन क्षेत्रों में की गई सभी कालों पर स्थानीय कालों का शुल्क लिया जाए; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामीण हितों में ऐसा करेंगी ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं किया जाएगा ।

### हैदराबाद में एक फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना

**3339. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से फिर अनुरोध किया है कि हैदराबाद में एक फिल्म सेंसर बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में अपने निर्णय पर पुन: विचार करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) राज्य सरकार के दिसम्बर, 1970 के बाद इस विषय पर कोई और पत्र नहीं आया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में इस सदन में 1–12–71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2521 तथा 17 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6543 को दिए गए उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि क्षेत्र में बनने वाली फिल्मों की संख्या को देखते हुए हैदराबाद में केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड का प्रादेशिक कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं है । इस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

### त्रिपुरा में पुनर्वास अधिकारी के विरुद्ध आरोप

**3340. श्री बीरेन दत्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग के अधिकारी द्वारा किए गए तथाकथित भ्रष्टाचार के बारे में जांच आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) और (ख) : पुनर्वास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग के अधिकारियों द्वारा तथाकथित भ्रष्टाचार के बारे में कोई जांच नहीं कर रहा है । किन्तु उत्तरी त्रिपुरा में शरणार्थियों के लिए झोपड़ियों के बनाये जाने में कदाचार से सम्बन्धित आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच-पड़ताल कर रहा है । मामला पेचीदा होने के कारण जांच-पड़ताल में लगभग 6 माह लगने की संभावना है ।

### 'योजना' का तेलगू या कन्नड़ में प्रकाशन

**3341. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की पत्रिका 'योजना'; तेलगू कन्नड़ में क्यों प्रकाशित नहीं की जा रही है; और

(ख) क्या सरकार शीघ्र ऐसा करेगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):** (क) क्रमबद्ध रूप में हमारी सभी प्रमुख भाषाओं में योजना के संस्करण निकालने का सरकारने एक कार्यक्रम तैयार किया है । एकदम सभी संस्करणों को निकालने में आने वाली स्पष्ट दिक्कतों के कारण ऐसा करना पड़ा है ।

(ख) इस कार्यक्रम के अंश के रूप में, 1972–73 में तेलगु संस्करण निकालने का प्रस्ताव है । कन्नड़ संस्करण निकालने के लिये वित्तीय आवंटन, कार्यालय की जगह, सम्पादकीय और सेवा कर्मचारी के संबंध में प्रारंभिक व्यवस्था करने तथा अन्य आवश्यकताओं के बारे में 1973–74 के दौरान कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

**दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की रेन्ज**

**3342. डा० कर्णी सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीविजिन केन्द्र की वर्तमान 'रेन्ज' क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका 'रेन्ज' बढ़ाने का है ताकि दूर के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इससे लाभ उठा सकें ; और

(ग) यदि हां, तो कब और किस सीमा तक ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) 60 किलोमीटर।

(ख) तथा (ग) : वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति और एंटेना की ऊंचाई बढ़ाकर, दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की वर्तमान रेन्ज को दिल्ली के आसपास 90 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। दिल्ली टेलीविजन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए मंसूरी में एक रिले ट्रांसमीटर भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसकी 165 किलोमीटर की स्वतन्त्र रेन्ज होगी। समूची परियोजना 1975 के मध्य तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है ।

**टेलीफोन कालें रिकार्ड करने वाली मशीनों द्वारा गलत आंकड़े दिया जाना**

**3343. डा० कर्णी सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन काल, विशेषकर ट्रंककाल, रिकार्ड करने वाली मशीन हाल में गलत आंकड़े देती रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे उपभोक्ताओं को कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार का विचार टेलीफोन उपभोक्ताओं को इस कारण से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठता ।

**मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर आई० पी० एस० अधिकारियों का कार्यकाल**

**3344. श्री विजय पाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिनमें इण्डियन पुलिस सेवा के अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर/डायरेक्टर/ओ० एस० डी० विजिलंस डिवीजंस/सेक्शन्स के पदों पर प्रतिनियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या इण्डियन पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारियों को उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रखने के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो क्या ;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति पर रखे गये इन अधिकारियों में से कुछ अधिकारी एक ही मंत्रालय में पांच-छः वर्षों से अधिक समय तक रहे हैं और यदि हां, तो उनके वहां लगातार बने रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार एक मंत्रालय विभाग में ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तथा नियुक्ति का कार्यकाल निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा सेलैक्शन ग्रेड अधिकारियों की चयन सूची का प्रधान मंत्री सचिवालय को दिया जाना**

3345. **श्री विजय पाल सिंह :** या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा सलैक्शन ग्रेड अधिकारियों की चयन सूचि अनुमोदन के लिए इस्टैबलिशमेंट बोर्ड द्वारा फरवरी, 1972 में प्रधान मंत्री, सचिवालय को दी गयी थी ;

(ख) क्या चयन सूचि का अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक प्रकाशित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) फरवरी 1972 में सीनियर सेलैक्शन बोर्ड द्वारा उपयुक्तता सूचि तैयार की गई और इसे मार्च के मध्य में प्रधान मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था।

(ख) तथा (ग) : मामला विचाराधीन है।

**लखनऊ में स्कूटर कारखाना**

3346. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या इटली के इन्नोसेन्टी द्वारा इक्यूटी शेयरों की विदेशी साझेदारी से लखनऊ में प्रस्तावित बृहत् स्कूटर कारखाने की स्थापना का मूल ध्येय आंतरिक खपत के लिये स्कूटरों की सप्लाई करना है; और

(ख) यदि हा, तो सरकार द्वारा साम्य साझेदारी के विदेशी सहयोग प्राप्त करनेके क्या कारण हैं जबकि भारत के वर्तमान स्कूटर कारखानों में उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):** (क) ओर (ख) : संयुक्तक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने और विद्यमान निर्माताओं को विस्तार करने के लिये मंजूरी देने के प्रस्ताव आपस में एक नहीं हैं। स्कूटरों की मांग और आपूर्ति के बीच विद्यमान अंतर, भविष्य में मांग की वृद्धि और स्कूटरों का निर्यात करने की संभावनाओं से विद्यमान एककों के विकास और संयुक्त क्षेत्र में नई परियोजना स्थापित करने के लिये पर्याप्त गुंजाइश हो जायेगी। इसलिये, सरकार ने मिलामौं इटली के मै० इंनोसेंटी के स्कूटर बनाने का संपूर्ण संयंत्र का "जो कुछ जैसा है" के आधार पर अधुनातम नमूने में लम्ब्रेटा निर्माण के लिये तकनीकी आंकड़े, डिजाइन और ड्राइंग सहित अधिग्रहण करने 'संयुक्त क्षेत्र' में स्कूटर परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है। परियोजना में उत्पादन के कुछ अंश को निर्यात करने का विचार है।

भारतीय और इटली की फर्मों द्वारा भागीदार होने से परियोजना के प्रबंध और उत्पादन प्रविधियों में प्राप्त अनुभव से परियोजना को लाभ पहुंचेगा और उसके परिणामस्वरूप परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जा सकेगा।

**Central Industrial Establishment Pratapgarh (U.P.)**

3347. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Decvelopment and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether there has been a demand for a central industrial undertaking in Pratapgarh district in Uttar Pradesh for a long time ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad)**: (a) The State Government have made no demand for a Central Industrial Undertaking in Pratapgarh District in the State of U.P.

(b) Does not arise.

**Number of Licenced Radio and T. V. Sets and Revenue Earned**

**3348. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of licenced Radio, television and transistor sets in the country at present ;

(b) the revenue earned by Government under this head during the financial years, 1970-71 and 1971-72 ; and

(c) the approximate amount of revenue still to be realised under this head ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) There are 94,17,363 Radios and Transistors sets standing registered with the P & T as on 31st March, 72. The number of licenced T. V. sets is 53,848.

(b) Revenue earned by Government for the year 1970-71 is Rs. 16,88,81,040.00 and for the year 1971-72 is Rs. 16,98,77,317.50.

(c) It is difficult to gauge the approximate amount of revenue still to be realised as it is not possible to determine the number of unlicenced sets.

**Unlicenced Radios and Transistors**

**3349. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have any statistics in regard to the number of radios and transistors being used without licences; and

(b) the steps proposed to be taken by Government future to gear up the licensing system and the action proposed to be taken against the persons who use radios without getting licences therefor ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)** : (a) It is not possible to maintain statistics regarding the number of Radios & Transistors being used without licences.

(b) Anti-evasion drives are organised by the Circles and there is also a check made on the import of foreign sets through customs. Any person found violating the rules and conditions are penalised with recovery of fee and surcharge, refusal of which may also lead to prosecution in a court of law.

**Arrears of Telephone Dues from State Governments**

**3350. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the arrears of telephone dues to be realised by the Central Government from the various State Governments at present ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to realise the same ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)** : (a) Telephone Revenue arrears against State Governments, as on 1-4-1972 in respect of bills issued upto 31-12-71 are Rs. 78.16 lakhs.

(b) Telephones of defaulting subscribers (barring the telephones of exempted cate gory), are disconnected. Efforts to realise the outstandings are made by correspondence and personal contacts. Recently, the Chief Secretaries of State Governments and Lt. Governors of Union Territories have been addressed by the Department requesting them to issue instructions to all the State Government officers impressing upon them the need for prompt settlement of telephone dues. The Department has also undertaken a special drive for expenditious recovery of the arrears.

**Expenditure Incurred on Telephone Calls by Union Ministers**

3351. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on telephone calls made by the various Union Ministers from the 1st April, 1972 to-date ; and

(b) the expenditure incurred on trunk calls and local calls made by each Minister during the said period ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) & (b) : The information is being collected and will be placed of the Table of the House.

**उड़ीसा सर्किल में इंजीनियरी डिवीजनों का पुनर्गठन**

3352. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सर्किल में इंजीनियरी डिवीजनों तथा सब-डिवीजनों का पुनर्गठन इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो पुनर्गठन कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या बालासौर के समीप एक नई इंजीनियरी डिवीजन की मंजूरी दिये जाने का विचार है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) :** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । बालासोर उपमंडल का ही मुख्यालय बना रहेगा । उड़ीसा सर्किल में भुवनेश्वर में एक नया तार इंजीनियरी डिवीजन और क्योंझार, जयपुर, तीतलागढ़ और झासुगुडा में एक-एक सब-डिवीजन बनाया जा रहा है ।

**बालासौर, उड़ीसा स्थित बड़े डाकघर की इमारत का विस्तार**

3353. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रक बालासौर, उड़ीसा स्थित बड़े डाकघर की इमारत का प्रस्तावित विस्तार कार्यपूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य को शीघ्रता से पूरा करने में क्या बाधाएं हैं ; और

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिये मंजूर राशि दी गई है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और 2,54,250 रुपये के खर्च की मंजुरी जारी की जा चुकी है । इस कार्य के लिए वर्ष 1973–74 के बजट में व्यवस्था की जाएगी ।

(ख) और (ग) : यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है कि यह कार्य 1973–74 के शुरु में आरम्भ कर दिया जाए।

**कटक (उड़ीसा) स्थित आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार**

**3354. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **की :**

(क) क्या कटक (उड़ीसा) स्थित आकाशवाणी केन्द्र का प्रस्तावित विस्तार कार्य अब प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, ता विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) जी हाँ ।

(ख) कटक में कार्य मुकम्मल होन की लक्ष्य तारीखे निम्न प्रकार है :—

(1) हाई पावर ट्रांसमिटर—मार्च, 1974

(2) स्थाई स्टुडियो-जून, 1975 ।

**ट्रैक्टर उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता**

**3355. श्री चौधरी राम प्रकाश :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या देश का ट्रैक्टर उद्योग मन्दी में हैं, उसमें क्षमता का कम उपयोग हो रहा है, तथा उसके लाभ और लाभ प्रदत्ता में भारी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) ट्रैक्टरों की मांग में इस समय कमी है और कुछ कारखानों में क्षमता से कम काम हो रहा है।

(ख) सरकार यह अनुभव करती है कि यह एक अस्थायी स्थिति है और आने वाले वर्षों में ट्रैक्टरों की मांग बढ़ जायेगी।

**खादी तथा ग्रामोद्योग में उत्पादन**

**3356. चौधरी राम प्रकाश :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग के उत्पादन में हाल में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की आटोमटिक घड़ियां**

**3357. श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या हिंदुस्तान मशीन टूल्स ने ओटोमैटिक घड़ियां बनानी आरम्भ कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष लगभग कितनी घड़ियों का उत्पादन होगा तथा वे कब तक जनता की उपलब्ध हो सकेंगी तथा उनका मूल्य क्या होगा ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स संयंत्र में दिन व तिथी वाली स्वचलित कलाई घड़ियाँ बनना प्रारम्भ हुआ है तथा पुर्जों के निर्माण का प्रथम चरण शीघ्र ही शुरु किया जायगा।

(ख) वर्ष 1977–78 तक बंगलौर स्थित (कारखाना नम्बर II) घड़ी के कारखाने में दिन व तिथि वाली स्वचलित कलाई घड़ियों का वार्षिक उत्पादन 2 लाख तक पहुँच जायेगा। वर्ष 1972–73 में कम्पनी के बंगलौर स्थित कारखाने (नम्बर II) में आयातित पुर्जो से दिन व तिथि वाली 20,000 स्वचलित कलाई घडियाँ बनेगी। 300 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से जिन पर टैक्स अतिरिक्त होगा, आशा है कि अक्तूबर, 1972 में बिक्री हेतु उपलब्ध हो सकेगी।

## तकनीकी विकास निदेशालय का पुनर्गठन

**3358. श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने तकनीकी विकास निदेशालय का पुनर्गठन करने के लिये कोई कार्यक्रम बना लिया है, यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## इलैक्ट्रानिक्स आयोग द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के इलैक्ट्रानिक डिवीजन को टेलीविजन रिसीवर के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने का अनुरोध अस्वीकार करना

**3359. श्री सरजू पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक्स आयोग ने हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के इलैक्ट्रानिक डिवीजन का टेलीविजन रिसीवर बनाने के लिए लाइसेंस देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था,

(ख) यदि हाँ, तो उसका अनुरोध अस्वीकार करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स ने लाइसेंस के लिये पुनः अनुरोध किया है, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इलैक्ट्रानिक आयोग इस बारे में अपने पूर्व निर्णय पर पुनः विचार करेगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) तथा (ख) : विभाग द्वारा जारी किये गये एक प्रेस–नोट के उत्तर में जिसमें प्रत्याक्षित उद्यमकर्ताओं से प्रतिवर्ष 2,00,000 से ऊपर टी० वी० सैटों की सम्पूर्ण क्षमता की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड हैदराबाद (हाल) ने भी जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, अन्य पक्षों के साथ साथ टी० वी० सैटों

तथा घटकों के निर्माण हेतु आवेदन पत्र भेजा था इस प्रकरण सभी बातों को ध्यान में रखते हुये इलैक्ट्रानिक्स कमीशन ने हाल के टी० वी० सैटों के निर्माण संबंधी आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की सिफारिश लाइसेंसिंग कमेटी से की जिसके विशेष कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (इसिल) को जो पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, प्रतिवर्ष 20,000 टी० वी० सैटों की क्षमता का लाइसेंस दिया गया है यह विशेषकर इसलिये किया गया क्यों कि इसिल को पहले ही बंद परिपथ टी० वी० प्रणाली, (सी० सी० टी० वी०) तथा कृत्रिम उपग्रह इंस्ट्रक्शनल तथा टेलीवीजन परीक्षण (साइट) कार्यक्रम के लिये टी० वी० सैटों के निर्माण हेतु लाइसेंस दिया गया था, इसिल सामान्य प्रकृति के इलैक्ट्रानिक्स मदों का उत्पादन करता है और इसके पास मार्केटिंग बिक्री संगठन है जिसका विकास किया जा रहा है।

(2) आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम, जो पूर्णरूप से राज्य सरकार के स्वामित्व में उपक्रम है, की प्रति वर्ष 5,000 टी० वी० सैटों का निर्माण करने की अनुमति दे दी गयी है। ऐसा आंन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र के समर्थन हेतु किया गया।

(3) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में आँन्ध्र प्रदेश में किसी भी टी० वी० केन्द्र की स्थापना की योजना नहीं है, समस्त भारत के लिये कुल क्षमता 2,28,000 सैटों में से आन्ध्र प्रदेश के लिये 25,000 सैटों की उत्पादन की उन्त्पादन क्षमता को स्वीकृति प्रदान की गई है।

हाल हैदराबाद वर्तमान में सम्पूर्ण रूप से रक्षा हेतु उच्च संस्कारित इलैक्ट्रानिक्स उपस्कारों का निर्माण करता है उन्हें विशेष टी० वी० घटकों जिसमें संस्कारित उद्योग विद्या निहीत है, के निर्माण का आशय पत्र दिया गया है।

(ख) तथा (ग) : हाल की टी० वी० सैटों के निर्माण हेतु पुनः प्रार्थना इलेक्ट्रानिक्स कमीशन के विचाराधीन है।

## विज्ञापनों संबंधी सरकारी नीति की जांच करने के लिए समिति

3360. **श्री सरजू पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विज्ञापन से संबंधित नीति के बारे में समाचारपत्रों द्वारा लगातार शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान विज्ञापन नीति की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का है?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## छोटे पैमाने के उद्योगों में कच्चे माल की कमी

3361. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोई बड़े यूनिटों के उत्पादन बन्द होने अथवा क्षमता का पूरा उपयोग न होने से छोटे पैमाने के हजारों सहायक यूनिटों के सामने समस्या खड़ी हो रही है ;

(ख) क्या अपेक्षित कच्चे माल की कमी भी छोटे पैमाने के क्षेत्र के उत्पादन पर कुप्रभाव डाल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) इस समस्या से लघु उद्योग क्षेत्र पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) : देशी और आयातित दोनों प्रकार के कच्चे माल के सम्भरण में बराबर वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में विद्यमान क्षमता का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक कच्चा माल आबंटित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

**प्रौद्योगिकी तथा 'पेटेन्ट डेटा' बैंक स्थापित किया जाना**

3362. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिकतम आधारों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी को एकत्र करने, उसकी जांच करने तथा उसका प्रसारण करने के लिये एक प्रौद्योगिकी तथा पटन्ट डेटा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम)** : (क) और (ख) : जी हां। ब्यौरों का कार्य संपन्न करने के लिए समिति का संगठन किया गया है।

**बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र**

3364. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बिहार के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या आवेदन कर्ताओं को लाइसेंस और आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी हाँ।

(ख) 31 जुलाई, 1972 तक गेहूं के उत्पादों, लोहे तथा इस्पात के पाइपों, हाई टेनसाइल इस्पात के तारों तथा उनके गुच्छेदार गलीचों (कुलीन टफ्टेड कारपेट) के उद्योग स्थापित करने हेतु 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) : इन सात आवेदन पत्रों में से 1 रद्द कर दिए गया है तथा शेष 6 विचाराधीन है।

**'आल इण्डिया रेडियो ट्रैल्स बिहाइन्डस रेडियो पाकिस्तान'**

**3365. श्री पी० के० देव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1972 के मदरलैण्ड में 'आल-इण्डिया रेडियो ट्रल्स बिहाइन्ड रेडियो पाकिस्तान' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने रेडियो पाकिस्तान से शत्रुतापूर्ण प्रसारणों के सामान्य रुप को नोट किया है। तथापि, शत्रुतापूर्ण प्रचार बन्द करने के करार के उल्लंघन के कुछ उदाहरण पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

**54 उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग**

**3366. श्री के० के० देव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 54 चुने गए उद्योगों में कुल कितनी क्षमता बेकार पड़ी है ;

(ख) सम्पूर्ण गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है; है; और

(ग) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है तो वह क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) और (ख) : तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा रखी जाने वाले रिकार्डों के आधार पर एक विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3493/72]**

(ग) सरकार द्वारा चलाये गये विभिन्न उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता और अधिक उपयोग करने के लिये किये गये उपाय ये है :—

(1) 54 चुने हुए उद्योगों में क्षमता को दुगुना करने / अधिक शिफ्टें चलाने के लिये अनुमति देना। कुछ विशिष्ठ उद्योगों के वे उपक्रम जिन्हें एक या दुहरी पाली के आधार पर लाइसेंस दिए गये थे, उन्हे अपनी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। अन्य मामलों में उन्हे कुछ शर्तों पर लाइसेंस प्राप्त क्षमता का सौ प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुमति दे दी गई है। यह सुविधा बड़े औद्योगिक गृहों और उन विदेशी कंपनियों को छोड़कर जिन्हे इस प्रकार की सुविधा के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय में विशेष रूप से गठित टास्क फोर्स द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार के लिए आवेदन करना पड़ता है, सबको निर्बाध की जाती है।

(2) औद्योगिक उपक्रमों को कुछ शर्तों पर औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की औपचारिकता करने बिना उनकी लाइसस प्राप्त क्षमता के 25 प्रतिशत तक नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अपने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दे दी गई है।

(3) उद्योग द्वारा क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए आयातित इस्पात एवं अन्य कच्चे माल के लिये अधिक लाइसेंस देना।

(4) पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं पर अधिक विनियोजन परिव्यय।

(5) सरकारी क्षेत्र के संबंध में जो अतिरिक्त उपाय किये गये हैं उनमें विविधीकरण, निर्यात अभिमुख दक्षता पूर्ण देखरेख और प्रबंध, उन आवश्यक पुर्जों और माल का आयात जो देश में उपलब्ध नहीं है तथा श्रमिकों के लिये और अधिक अच्छे प्रशिक्षण और सुविधाओं की व्यवस्था सम्मिलित है।

**उद्योगों का अलग अलग स्थानों पर लगाया जाना**

**3367. श्री के० कोडेडा रामी रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योगों को कुछ स्थानों पर ही केन्द्रित करने से समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझ गई हैं; और

(ख) क्या सरकार नये उद्योगों को मंजूरी देने की नीति में मूलभूत परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) और (ख) : सरकार, कुछ स्थानों में उद्योगों के एकत्रीकरण को रोकने की आवश्यकता को पूरी तौर पर समझती है। 30 अप्रैल, 1958 के औद्योगिक नीति संकल्प के पैरा 15 से सरकार के इस इरादे की पुष्टि होती है कि औद्योगीकरण से देश की संपूर्ण अर्थ व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में विकास के स्तर में असमानताएं यथा संभव काफी कम हो जाएंगी। सरकार का निरंतर यह प्रयत्न रहा है कि इस नीति को कार्यान्वित किया जाए। नई क्षमताओं का लाईसेंस देने में उन क्षेत्रों को जिनके उत्पादन निम्न प्रकार के हों उन्हें नई क्षमता स्थापित करने के लिये विशेष वरीयता दी गई है। जितना संभव और उचित होता है पिछड़े क्षेत्रों के आवेदनों को सदैव महत्व दिया गया है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं से सीधी सहायता तथा रियायती वित्त योजनाएं चुने हुए पिछड़े जिलों में आरंभ कर दी गई हैं।

**आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं के मुकदमों के मामलों में ढील देना**

**3368. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्वेच्छा से आत्म समर्पण करने वाले उन डाकुओं के मामलों में, जिन के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के सिलसिले में अब मुकदमे चल रहे हैं, कानून को लागू करने में कुछ ढील बरतने का कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी ढील किस प्रकार की जानी सम्भव होगी ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**टेलीफोन और टेलीग्राफ उपकरणों में आत्मनिर्भरता और इनकी चोरी के कारण हुई हानियां**

**3369. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को टेलीफोन और टेलीग्राफ तारों और उनके अन्य उपकरणों की मांग को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ख) 1970–71 में और 1971–72 में और 30 जून, 1972 तक इनकी चोरी के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) दूर संचार सामग्री सप्लाई के दो प्रमुख स्रोत हैं—इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और हिन्दुस्तान केबिल्स लि० । इनका लगातार विस्तार किया जा रहा है। हिन्दुस्तान केबिल लि० के अधीन हैदराबाद में एक दूसरा केबिल फैक्ट्री खोली जा रही है और रुपनारायणपुर की मौजूदा केबिल फैक्ट्री का विस्तार किया जा रहा है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अधीन नैनी में एक दूसरी ट्रांसमिशन फैक्ट्री लगा दी गई है । नैनी में एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री लगाई जा रही है । और एक दूसरी स्विचिंग फैक्ट्री लगाने पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है । अलबत्ता, कच्चे माल की कमी है जिनमें स्टील, अल्युमीनियम, जस्ता आदि शामिल हैं और इलैक्ट्रानिक और दूसरे कल–पुर्जो आदि की कमी है सरकार दूर संचार सामग्री और उपस्करों की अपनी जरुरत को पूरी तरह से देशी उत्पादन से ही पूरा कर ले, इसमें काफी समय लगेगा। सरकार ने योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० पाठक की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है। यह समिति दूरसंचार भंडार और उपस्कर की लम्बे अर्से की आवश्यकताओं का अध्ययन करेगी और देशी उत्पादन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ की जाएगी ।

(ख) 1970-71 के दौरान घाटा 2,97,09,211 रुपये

1971–72 (30 जून, 1972 तक) के दौरान घाटा— 1,85,60,535 रुपये।

## पश्चिम जर्मनी और जापान से प्रयुक्त संयंत्रों का आयात

**3370. श्री हरि किशोर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम प्रधान उत्पादों के निर्माण के लिए पश्चिम जर्मनी और जापान से प्रयुक्त संयंत्रों का आयात करने और उनको लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने, गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इन प्रस्तावों के बारे में बातचीत करने का अधिकार देने का कोई निर्णय लिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पुराने संयंत्रों के आयात के लिये गैर–सरकारी पार्टियों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर गुणवगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

## सीमेंट पर नियंत्रण

**3371. श्री हरि किशोर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी को देखते हुए सीमेंट के मूल्य तथा उस के वितरण पर पुनः नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) : यथासमय संशोधित सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1967 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है के अन्तर्गत देश में सीमेन्ट के मूल्य और वितरण पर 1 जनवरी, 1968 से औपचारिक नियंत्रण है।

**मोटर-गाड़ियों की बैट्रियों, टायरों और ट्यूबों की कमी**

3372. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर गाड़ियों की बैट्रियों, टायरों और ट्यूबों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां तो, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) मोटर गाड़ियों को बैटरियों की कमी नहीं है। ट्रक और बस के टायरों की कुछ कमी विशेष रूप से आयात काल में महसूस हुई है। टायर कंपनियों से इतवारों और छुट्टीयों के दिनों में भी काम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया था जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई थी। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए ट्रक टायरों के निर्माण हेतु संतुलन उपकरणों जैसे मोल्डों और प्रेसों का आयात करने की स्वीकृति भी दे दी गई थी। फिर भी, कुछ क्षेत्रों से ट्रक टायर उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें की गई हैं। अन्य किस्मों के टायरों की कोई कमी नहीं है। भविष्य में इनकी मांग पूरी करने के लिये टायर निर्माण (बस और ट्रक दोनों के टायरों सहित) हेतु अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की सरकार ने स्वीकृति दी है।

(ख) सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूबों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जा सकते हैं और वह इस पर भी विचार कर रही है कि क्या केन्द्रीकृत अभिकरण के रूप में तकनीकी जानकारी को विकसित किया जा सकता है। फिर भी, इन प्रस्तावों पर अभी बिल्कुल प्रारम्भिक रूप से विचार किया जा रहा है।

**आय-असमानता में कमी**

3373. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये जाने के परिणामस्वरूप आय-असमानता में कमी हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) महालानोविस समिति की रिपोर्ट, जो कि आय के वितरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सरकार की ओर से किया गया नवीनतम अध्ययन है, में कहा गया है कि :

> "समिति के लिए यह संभव नहीं हो सका कि वह आय वितरण में परिवर्तनों पर स्थूल रूप से भी कोई निश्चित निर्णय दे सके। तथापि यह कहा जा सकता है कि योजना के दस वर्षों* में आय के वितरण में किन्हीं उल्लेखनीय परिवर्तनों के बारे में कोई संकेत स्पष्ट रूप से नहीं मिलते।"

(ख) पिछली योजनाओं में आय संबंधी असमानताओं को कम करने के लिऐ अनेकों कदम जिनमें कुछ संस्थागत सुधार भी शामिल हैं, उठाये गये थे जैसे : कृषि तथा लघु उद्योगों और

* 1950–51 से 1960–61

ग्रामोद्योगों का विकास तथा कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम। किन्तु आय के वितरण में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका क्योंकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने, भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने तथा और तेजी से औद्योगिकीकरण करने पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया। कुछ अन्य कारणों जैसे अर्थ-व्यवस्था के विकास की धीमी गति, आय तथा सम्पत्ति के पुनर्वितरण में राजकोषीय नीतियों का सीमित प्रभाव तथा कीमतों में वृद्धि को भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

**लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली के उपनिदेशक के विरुद्ध शिकायत**

3374. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री लघु उद्योग सेवा संस्थान के उपनिदेशक के विरुद्ध की गई शिकायतों के बारे में 19 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में अब तक और क्या प्रगति हुई है?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : अधिकारी का स्पष्टीकरण परामर्श के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है और अगली कार्यवाही आयोग के परामर्श के आधार पर की जाएगी।

**स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह के उपलक्ष में कैदियों की रिहाई**

3375. **श्री के० कोडेडा रामी रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह के उपलक्ष में कैदियों की सजा में छूट देने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं और संबद्ध कैदियों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान्। कैदियों की 25 वीं स्वाधीनता जयन्ती के उपलक्ष में क्षमादान देने के लिए 27-7-1972 को आवश्यक आदेश दिए गए थे।

(ख) इन आदेशों की मुख्य रूप रेखा इस प्रकार है :—

(1) क्षमादान सम्पूर्ण सजा में से घटते हुए क्रम से दिया जाना है।

(2) निम्नलिखित वर्ग के कैदी क्षमादान पाने के पात्र हैं :—

(I) संघ राज्य क्षेत्रों की जेलों में सजा पा रहे कैदी।

(II) राज्य की जेलों में सजा पा रहे कैदी जिनकी ऐसे मामलों से संबंधीत कानून जिनमें संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा दी गई थी।

(III) राज्य की जेलों में सजा पा रहे कैदियों के संबंध में जिनको राज्य के कानून के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा दी गई थी, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो वे उसी क्रम से उन्हें क्षमादान देने की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं।



10—15 L S S (ND)/72

(3) उन आदेशों के अधीन क्षमादान के लिए निम्नलिखित श्रेणी के कैदी पात्र नहीं हैं :—

(I) किसी भी श्रेणी के नजरबन्द व्यक्ति ;

(II) कोर्ट मार्शल द्वारा सजा दिए गये कैदी ;

(III) राजकीय रहस्य अधिनियम, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 2 और 3, भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं, विदेशियों के लिए अधिनियम तथा पारपत्र अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए सजा दिये गये कैदी।

**नेशनल यूनियन आफ कलकत्ता टेलीफोंस का ज्ञापन और उनका प्रतिनिधि मंडल**

**3376. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल यूनियन आफ कलकत्ता टेलीफोन्स का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है तथा उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से भेंट की है ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का स्वरुप क्या था और मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) तार इंजीनियरी कर्मचारी श्रेणी-III की राष्ट्रीय यूनियन, कलकत्ता (टेलीफोन) शाखा से सिर्फ एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) इस ज्ञापन में सेवा संबंधी शर्तों, जैसे कि वायरमैनों का वेतन-मान नियत करने, स्टाफ को समयोपरिभत्ता देने और बारी बारी से स्थानान्तरण संबंधी मांगे थीं। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बातचीत के लिए यह निर्दिष्ट है कि सिर्फ मान्यताप्राप्त केन्द्रीय यूनियनों/ एसोसिएशनों से प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों पर ही आवश्यक कार्यवाही करने के लिए डाक-तार बोर्ड के स्तर पर विचार किया जाता है। शाखा यूनियनों / एसोसिएशनों से आने वाले ज्ञापनों / अभ्यावेदनों को नीचे के समुचित स्तर पर जांच की जाती है। इस तरह उक्त ज्ञापन जनरल मैनेजर, टेलीफोन कलकत्ता के पास आवश्यक कार्यवाही और यूनियन को उत्तर देने के लिए भेजा गया था।

**पंजाब में सरकारी क्षेत्र में कारखानें**

**3377. श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सरकारी क्षेत्र में कुछ कारखानें लगाने की सरकार की कोई योजनाए है, और

(ख) यदि हां, तो उस का स्वरुप क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) तथा (ख) : पंजाब में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई नई औद्योगिक परियोजना स्थापित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किन्तु नांगल उर्वरक कारखाने का विस्तार करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन अवश्य है।

**दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ**

**3378. डा० संकटा प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब तक दिल्ली के सब क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित करने में असमर्थ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इनको स्थापना कब तक की जायेगी ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) दिल्ली में जिन इलाकों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ को व्यवस्था करना उचित और सुगम पाया गया है, वहां सरकार ने इनकी व्यवस्था की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**एकाधिकारी और बड़े व्यापार गृहों की अधिकतम सीमा निश्चित करना**

3379. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से एकाधिकार और बड़े व्यापार गृहों की अधिकतम सीमा निश्चित करने की वांछनियता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : सरकार ने एकाधिकार की वृद्धि और थोड़े से व्यक्तियों के पास सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण रोकने की नीति को पहले से ही अपना रखा है। फरवरी, 1970 में घोषित की गई सरकार की संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति और एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम का लागू करना इस दिशा में उठाये गये कदम हैं।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

**बक्सर दिल्ली एक्सप्रेस में पड़ी डकैती के बारे में वक्तव्य**

**रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई)** : मैं उत्तर रेल के पिलखुआ और दासना रेल स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी संख्या 55 अप बक्सर-दिल्ली एक्सप्रेस में 20 अगस्त, 1972 को पड़ी डकैती के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3475/72]**

**भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : मैं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 329 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 811 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3476/72]**

**वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)** : मैं श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 377 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 378 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) वयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधित स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 500 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(4) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 501 मे प्रकाशित हुई थे।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3477/72]**

**उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी सहायक उद्योग आदि सम्बन्धी विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन**

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी सहायक उद्योग, परिवहन वाहन उद्योग, ट्रक्टर, अर्थमूविंग उपकरण तथा आन्तरिक दहन इंजनों सम्बन्धी विकास परिषद् के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3478/72]**

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन**

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3479/72]**

---

## राज्य सभा से संदेश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा 21 अगस्त, 1972 की अपनी बैठक में विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया :—

(1) श्री योगेन्द्र शर्मा

(2) श्री एम० एस० अब्दुल खादेर

(3) श्री वीरेन्द्र पाटिल

(4) डा० भाई महावीर
(5) श्री इब्राहीमभाई कासिमभाई कालानिया
(6) श्री एस० बी० बोबड़े
(7) श्री नबीन चन्द्र बरगोहेन
(8) श्री भोला पासवान शास्त्री
(9) श्री रणवीर सिंह
(10) श्री सिकन्दर अली वज्द
(11) श्री सीताराम सिंह
(12) श्री हमीद अली शामनाड
(13) श्री महेन्द्र मोहन चौधरी
(14) श्री टोडर बासर
(15) श्रीमती सीता देवी

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

### सत्तरहवां प्रतिवेदन

**श्री जी० जी० स्वैल** (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 17 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

## कम्पनी (संशोधन) विधेयक
## COMPANIES AMENDMENT BILL

**कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30, अर्थात्:—

(1) श्री सैयद अहमद आगा
(2) श्री वदव्रत बरुआ
(3) श्री एच० के० एल० भगत
(4) श्री सोमनाथ चटर्जी
(5) श्री त्रिदिब चौधरी
(6) श्री खेमचन्दभाई चावड़ा
(7) श्री सी० चिन्निबाबू
(8) श्री एस० आर० दामानी
(9) श्री सी० सो० देसाई
(10) श्री गंगा चरण दीक्षित
(11) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(12) श्री पोपटलाल एम० जोशी

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

(13) श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
(14) श्री बाबूराव जंगलूजी काले
(15) श्री जगन्नाथ मिश्र
(16) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(17) श्री प्रियरंजन दास मुंशी
(18) श्री डी० के० पंडा
(19) श्री नरसिंह नारायण पांडेय
(20) श्री नारायण चन्द पाराशर
(21) श्री एच० एम० पटेल
(22) श्री एस० बी० पो० पट्टाभि रामराव
(23) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
(24) श्री जगन्नाथ राव
(25) श्री विश्वनाथ राय
(26) श्री पी० एम० सईद
(27) श्री नवल किशोर शर्मा
(28) श्री राम रतन शर्मा
(29) श्री पी० रंगनाथ शिनाय
(30) श्री आर० के० सिंह

और राज्य सभा से 15 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैं एक छोटीसी बात कहना चाहता हूं। विधेयक में कुछ बातें बड़ी ही भ्रामक और परस्पर विरोधी है। विधेयक के खण्ड 204A में कहा गया है कि कोई भी कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1972 के लागू होने के 5 वर्ष के अन्दर किसी ऐसे व्यक्ति को जो 3 अप्रल, 1970 से पहले कम्पनी का प्रबन्ध एजेन्ट या सचिव और कोषाध्यक्ष रहा है। सचिव, परामर्शदाता अथवा किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि कम्पनी की आम बैठक में अथवा सरकार की अनुमति न ले ली जाये।

पर मैं यह जानना चाहता हूं कि 5 साल बाद क्या होगा? दूसरे इस बिल को लाने का क्या उद्देश्य है। इन एकाधिकार प्राप्त गृहों ने पिछले चार सालों में अपनी सम्पत्ति 76 प्रतिशत बढ़ा ली है। ये दो बातें स्पष्ट की जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रवर समिति द्वारा इन पर सदैव विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय किस प्रकार कुछ कह सकते हैं ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : समिति इन सब बातों पर विचार करेगी।

**श्री सेझियान:** (कुम्बकोणम) : यह एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। प्रवर समिति में जाने से पहले समिति को विधेयक के सम्बन्ध में सभा की राय ज्ञात होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस इसलिए प्रस्तुत किया है कि इसे बिना चर्चा के प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय किया गया था यदि आप इसका विरोध करते हैं तो आपका स्वागत है। और इस पर चर्चा हो सकती है।

प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30, अर्थात् :—

(1) श्री सैयद अहमद आगा
(2) श्री केदारनाथ बरुआ
(3) श्री एच० के० एल० भगत
(4) श्री सोमनाथ चटर्जी
(5) श्री त्रिदिब चौधरी
(6) श्री खेमचन्दभाई चावड़ा
(7) श्री सी० चित्तिबाबू
(8) श्री एस० आर० दामानी
(9) श्री सी० सी० देसाई
(10) श्री गंगा चरण दीक्षित
(11) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(12) श्री पोपटलाल एम० जोशी
(13) श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
(14) श्री बाबूराव जंगलूजी काले
(15) श्री जगन्नाथ मिश्र
(16) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(17) श्री प्रियरंजन दास मुंशी
(18) श्री डी० के० पंडा
(19) श्री नरसिंह नारायण पांडेय
(20) श्री मधु दंडवते
(21) श्री एच० एम० पटेल
(22) श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामराव
(23) श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै

अध्यक्ष महोदय :

(24) श्री जगन्नाथ राव
(25) श्री विश्वनाथ राय
(26) श्री पी० एम० सईद
(27) श्री नवल किशोर शर्मा
(28) श्री राम रतन शर्मा
(29) श्री पी० रंगनाथ शिनाय
(30) श्री आर० के० सिंह

और राज्य सभा से 15 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा की अगले सत्र के प्रथम तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों ओर रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was Adopted**

---

## पुरावशेष तथा बहुमुल्य कलाकृती विधेयक
## ANTIQUITIES AND ART TREASURES BILL

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति का निर्यात-व्यापार विनियमित करने, पुरावशेषों की तस्करी के कारबार तथा उनमें कपटपूर्ण संव्यवहार के निवारण, सार्वजनिक स्थानों में पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृति के रखे जाने के लिए उन के अनिवार्य अर्जन और उनसे सम्बन्ध अथवा तत्संसक्त या तदानुषंगिक कतिपय अन्य विषयों के बारे में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासिन हुए]**
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

हमारा देश एक महान और प्राचीन देश है तथा इसके बहुमूल्य खजानों की हमें रक्षा करनी है, उन्हें नष्ट होने और देश से बाहर जाने से बचाना है।

वर्ष 1947 से ही कानून द्वारा पुरावशेषों के निर्यात को नियंत्रित किया गया है। पर इन अधिनियमों की कुछ कमियों को दूर करना इस कारण आवश्यक हो गया है कि इस बीच पुरावशेषों की अनेकों चोरियां हुई हैं ।

आश्चर्य की बात तो यह है कि इस प्रकार संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों से चुराई गई मूर्तियों आदि का विदेशों में सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। इस मामले का, भारतीय

प्रतिनिधि मण्डलने यूनेस्कों अभिसमाय में उठाया था पर इसके बावजूद बहुत से विकसित देश इसे पीछे हट रहे हैं। अत: इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधान बनाना आवश्यक समझा गया है प्रस्तुत विधेयक सभा में तथा बाहर लिए गये अनेकों निर्णयों के आधार पर लाया गया है। समय-समय पर अनेक सदस्यों और 1965 में सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किए गये। पर दूसरी सभा में भी 1967 में एक विधयक प्रस्तुत किया गया, पर उस पर विचार नहीं हो सका।

वर्तमान विधेयक का प्रारुप तैय्यार करते समय सभी सम्बन्धित मंत्रालयों, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से परामर्श किया गया था। इसके परिणाम स्वरुप पहली बार इस विधेयक में "बहुमूल्य कलाकृतियों" को तथा इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक पुरानी पाण्डु-लिपियों, अभिलेखों जिनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व है को भी शामिल किया गया है।

इस विधेयक के द्वारा पुरावशेषों के निर्यात व्यापार, और आन्तरिक व्यापार को विनियंत्रित किया गया है। यह सरकार को आन्तरिक व्यापार को अपने हाथ में लेने का अधिकार भी देता है। इसमें व्यक्तिओं और संस्थानों के अधिकार में विशेष प्रकार के पुरावशेषों को रजिस्ट्रर कराने की भी व्यवस्था है तथा यह सरकार को उन्हें अधिगृहित करने का अधिकार भी देता है तथा अन्त में इसमें इस विधेयक की धाराओं का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को दण्ड देने की भी व्यवस्था की गई है।

पर्याप्त चर्चा के बाद यह बिल लाया गया है। इसमें सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है। अत: आशा है विधेयक के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहो उठेगा। इसमें कुछ कमिया हो सकती हैं, जसी कि अक्सर रह जाती हैं, पर मैं अनुरोध करुंगा कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पास कर दिया जाये। यदि कोई सुझाव अथवा संशोधन सुझाए जायेंगे तो उन पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री डागा का एक संशोधन है।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : इतने लम्बे समय के बाद इस विधयक के प्रस्तुत किए जाने पर मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। परंतु विधेयक को देखने पर पता चलता है कि इसमें पुरावशेषों और कलाकृतियों के विकास का कोई उपबन्ध नही है उसमें केवल उनके तस्कर व्यापार को विनियंत्रित करने की व्यवस्था है।

रोजाना हम अखबार में प्राचीन कलाकृतियों की चोरी के समाचार पढ़ते हैं। नटराज की मूर्ति यहां से जा कर न्यूयार्क में लाखों डालर में बिकती है।

भारत के महान सपूत राजा राम मोहन राय के पैतृक मकान में अभी भी पुलिस की बैठक हैं। पिछले 25 साल में भी सरकार उसका विकास नही कर सकी है।

पश्चिम बंगाल की राजकीय पुरातत्व गैलरी में पुरावशेष ऐसी जगह पर रखे गये है जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो यह स्थिति है हमारी प्राचीन निधियों की।

कोहिनूर जो कि हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, आजकल लन्दन टावर पर चमकता है। हम चाहते हैं कि वह वापिस लाया जाये। इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

यद्यपि यह विधेयक पूर्ण नहीं है पर फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूँ।

**Shri Sudhakar Pandey** (Chandauli): I welcome this Bill. In fact this Bill should have been brought forward enacted and implemented on the very day we achieved independence. Democracy cannot remain for long in a country where due respect is

[Shri Sudhakar Pandey]

not given to its art and culture. Steeling and pilfering away of medienal antiquities and valuable idols of Art and culture of our country after independence has caused great harm to the country. It happened in the absence of such a legislation. So far, Government could not take any action against the offenders.

Since the Bill has been presented in the House we should pass it without any delay. If there are any loopholes or shortcomings in the Bill they can be removed at a later stage.

When Government was not looking after these idols and antiquities some institutions were doing the work of preservation of these antiquities of art and culture. Anatic Society and Nagari Pracharini Sabha are most famous among them. Nagari Pracharini Sabha has thousands of rare manuscripts. Government should take the responsibility of looking after this treasure of our ancient culture, religion literature and history. These institutions are not business concerns. They are doing the work of preserving these rare manu scripts after collecting them from remote villages. If any restrictions on the working of these institutions are imposed through this legislation the very object of this legislation would be defleated.

In my opinion, the big hotels in the country are the dens of smuggling of the objects of art. Therefore restriction should be imposed on such big hotels.

Many manuscripts are in the custody of Ex-rulers. They were their property, but since their privileges have been taken away, these manuscripts should also be declared as State property and no compensation should be paid to them. There should be musuems in every district of the country.

**श्रीमती गायत्रीदेवी** (जयपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। किंतु इसमें कुछ संशोधन किए जाने चाहिए क्यों कि यह विधेयक अपने इस रूप में व्यवहार्य नहीं है।

स्वयं मंत्री महोदय ने बताया है कि नटराज की भव्य प्रतिमा, और खजुराहो के मंदिरों से मूर्तियों की चोरी हुई है। देश से बहुमूल्य कलाकृतियों की चोरियां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात होनी आरंभ हुई है। जिनके पास ये कलाकृतियां थीं उन्हें इन कृतियों से प्रेम था और वहां इनकी देखभाल किया करते थे और यही कारण है कि इस समय तक एक भी प्रतिमा की चोरी नहीं हुई थी।

यह सही है कि भारत के भूतपूर्व नरेशों के पास ऐसी दुर्लभ वस्तुओं और कलाकृतियों का बहुत बडा संग्रह था। भारत की इस सांस्कृतिक परंपरा के लिए हमें इन नरेशों का कृतज्ञ होना चाहिए। भारत के अनेक सुन्दर नगरों का उनकी अद्वितीय स्वदेशी वास्तुकला के साथ संरक्षण होता था। जयपुर नगर को ही ले लीजिए। कांग्रेस सरकार के शासन से पहले यह नगर बहुत सुन्दर था। किंतु अब इस शहर में बहुत गन्दगी है, पुरातत्व विभाग के निदेशक के पास इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। महारानियों के भवन चर्त्रस के सामने दुकानों की कतार बनती जा रही है। पुरातत्वीय विभाग द्वारा आपत्ति करने पर भी स्थानीय सरकारने इन दुकानों को बन रहने दिया है। ये ऐसे कुछ बात है, जिनका इस विधयक के साथ सम्बध है और मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करें।

इस सभा से अनुरोध है कि भारत के सभी पुरावशेषों के उचित संरक्षण के लिए एक विधेयक पारित किया जाए क्योंकि इस समय इनका समुचित रूप से संरक्षण नहीं किया जा रहा है।

मेरे विचार से यह विधेयक अपने आप में परिपक्व नहीं है क्योंकि इस को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रीय

संग्रहालयों को देख भाल करने के लिए भी पर्याप्त कला–विशेषज्ञ नहीं है । कलाकृतियों के पंजीकरण की बात तो की जाती है किंतु जब हमारे देश में विशेषज्ञ ही नहीं है तो पंजीकरण करेगा कौन ?

प्रत्येक कलाकृति के फोटो खींचकर उनकी 6 प्रतियां बनाने की बात की गई है। क्या उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि केवल एक फोटो पर कितना धन खर्च होगा, 6 प्रतियों की तो बात ही अलग है और इतना खर्च कौन उठायेगा? अतः मेरा सुझाव है कि इन कलाकृतियों के फोटो खींचने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए।

विधेयक के खंड 14 और 17 संग्रहालयों, कार्यालयों और अभिलेखों जो सरकार के नियंत्रण में है, पर लागू होते है, अतः इन की भी एक सूची तैयार की जानी चाहिए. । फोटों खीचे जाने चाहिए और जनता के लिए उपलब्ध होने चाहिए, क्यों कियें किन्ही संस्थाओं के अधिकार में नहीं है यदि इन के लिए कोई विशेष छूट है तो इसके कारण बताये जाने चाहिए।

जब सरकार, व्यापारियों, अथवा संग्रहकर्ताओं की कलाकृतियों के पंजीकरण की बात करती है, तो सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी के कब्जे में कलाकृतियों की भी सूची होनी चाहिए और वह सूची सरकार को दी जानी चाहिए ।

विधेयक के खंड 13 से पता लगता है कि सरकार पुरावशेषों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है किंत् इससे कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी इन पुरावशेषों की देश से तस्करी बंद होनी चाहिए। क्योंकि यह तस्करी संग्रहालयों जैसे सुरक्षित स्थानों से ही की जाती हैं। अतः भारत सरकार के सभी अधिकारियों को अपने कलाकृतियों के संग्रहों का अनिवार्यता पंजीकरण कराना चाहिए।

कलाकृतियों के अनिवार्य अभिग्रहण का मामला स्पष्ट नहीं है क्योंकि इससे कोई लाभ नही होगा और जिनके पास कलाकृतियां है वे इससे डरे हुए है कि कलाकृतियां सरकार के हाथों में चली जायगी और इसके बाद यह कृतियां गायब कर दी जायगी । व तस्कर व्यापार द्वारा विदेशों में भेज दी जायेंगी। इन कलाकृतियों के मुआवेंजे की बात की गई है कि संग्रहकर्ता मुआवजा मांग सकता है। किंतु ये कलाकृतियां तो अमूल्य वस्तुएं है, और इनका मूल्य कौन निर्धारित कर सकता है? अतः सरकार को इन कलाकृतियों की नीलामी के लिए कोई दुकान खोलनी चाहिए जिससे इन दुर्लभ कलाकृतियों के व्यापारियों को इन कलाकृतियों की नीलामी से विदेशों से पूरी राशि मिल सके। सरकार का इन पुरावशेषों से कुछ तो संबंध है। नीलामी की दुकानों से सरकार को पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिए।

राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक पद पर सरकार अभी तक किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर पाई है, देश में बहुमूल्य चित्रों, कालीनों और अन्य वस्तुओं के अनुरक्षण के लिए प्रयोगशालाएं नहीं हैं। यूनेस्को ने कई बार अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं किन्तु भारत सरकार ने उन का लाभ नहीं उठाया है, मंत्री महोदय को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिए। इन दुर्लभ कलाकृतियों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए देश में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं।

अतः इस विधेयक को पारित किया ही जाना चाहिए। इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। जिन लोगों के पास कलाकृतियां है उन्हें उनके पास रहने दिया जाए, किन्तु निर्यात व्यापार को नियमित करना चाहिए। कलाकृतियों की तस्करी सरकार की अपनी गलतियों के कारण ही रही है। सरकार को इस दिशा में ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

**Shri Rudra Pratap Singh** (Bara Banki) : Sir, I rise to support this legislation. Our country is one of the most richest countries in the world so far as cultural heritage is concerned. The antiquites, objects of art and other treasures of our cultural heritage have been a great attraction to the world.

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें । अब हम पिछडे क्षेत्रों के विकास संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे ।

## पिछडे क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक केंद्रीय विकास योजनाओं के बारे में प्रस्ताव

## MOTION RE : SEPARATE CENTRAL SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS

**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा--पूर्व) : क्षेत्रीय असंतुलन बहुत बडे पैमाने पर विद्यमान है। इन पिछड़े क्षेत्रों की शिकायतें जायज है जिन पर उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस देश के योजना निर्माताओं को हमारे देश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को ध्यान में रखते हुए उचित योजनाएं तैयार करनी चाहिए थी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोराम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैण्ड और आसाम जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत, पिछडे हुए है । त्रिपुरा और मेघालय की तो बात ही क्या, आसाम में भी कोई उद्योग नहीं है।

बड़ा आश्चर्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी त्रिपुरा में कोई रेलवे लाइन नहीं है। यदि सरकार इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, तो कुछ बुनियादी ढांचा, और सब से महत्वपूर्ण सड़क और रेल संचार की व्यवस्था करनी पडेगी।

पिछडे क्षेत्रों का विकास करने की और कोई रुचि नहीं है। हमारे योजना निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना है, सामान्य व्यक्ति को सुविधा देना नहीं।

त्रिपुरा में रेलवे लाइन के लिए 1952 से मांग की जा रही है, किन्तु अभी बताया गया है कि सर्वेक्षण करने से पता लगा है कि इससे वहां कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। यह सरकार की पूंजीवादी विचारधारा है। पूंजीवादी यही देखता है कि तुरन्त लाभ कैसे प्राप्त किया जाए और सरकार का भी यही दृष्टिकोण है। यही कारण है कि लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं करते। इसीलिए हमने योजना निर्माता तथा अन्य लोग संचार और अन्य सुविधाओं से सम्पन्न बड बडे शहरों के चारों और उद्योग और कारखाने स्थापित करते है। यदि सरकार, इसी प्रकार कार्यवाही करेगी तो मध्य प्रदेश या छोटा नागपुर अथवा नागालैन्ड या अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी उद्योग की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। यह गलत योजना है।

इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी सरकार ने डोम्बरा परियोजना के नाम से एक पनबिजली परियोजना बहुत पहले आरंभ की थी किन्तु यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। त्रिपुरा में विकास कार्य इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां केवल एक ही रेलवे लाइन है जो संचार और परिवहन का एक मात्र साधन है । यह रेलवे लाईन सुरंग में से हो कर जाती है और मालडिब्बों में अधिक उंची मशीनें नहीं रखी जा सकतीं।

स्वतंत्रता के इन 25 वर्षों में सरकार एक भी परिवहन प्रणाली का विकास नहीं कर सकी है। अतः मेरा अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ही उद्योग नियोजित किए जाने चाहिए । त्रिपुरा में कागज उद्योग स्थापित किया जा सकता है क्यों कि वहां बांस काफी मात्रा में उत्पन्न होता है। इन 25 वर्षों में कम से

कम एक या दो कागज़ उद्योग स्थापित किए जा सकते थे। इस क्षेत्र में पटसन का उत्पादन होता है और यहां पटसन मिले आरंभ की जा सकती है। यहां लकडी भी बहुत होती है और कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित लघु और मध्यम श्रणी के उद्योग स्थापित किए जा सकते है ।

ऐसे उद्योग आरंभ करने से बेरोजगारी की समस्या हल होगी। अविकसित क्षेत्रों का विकास करने के नाम पर कुछ बड एकाधिकारी और पूंजीपति किसी विशेष क्षेत्र का विकास करने हेतु लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं। अतः इन क्षेत्रों का विकास ऐसे लोगों की दया पर ही निर्भर है। किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को आगे बढ़कर एक समुचित योजना तैयार करनी चाहिए और इन क्षत्रों का विकास करने में पहल करनी चाहिए और यह काम एजेंटों को नहीं सौपना चाहिए। योजना का उद्देश मुनाफा कमाना नहीं वरन् सामान्य व्यक्ति को सुविधा देना होना चाहिए। सरकार की एक अलग योजना तैयार करनी चाहिए और इसका विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ एकीकरण किया जाना चाहिए। सरकार को निर्माण सामग्री पृथक कोटा और पृथक उपकरण रखने चाहिए और उसे अन्य बुनियादी ढांचे, जो विकास कार्य के लिए आवश्यक हो, तैयार रखने चाहिए, अन्यथा पिछड़े क्षत्रों का विकास नहीं किया जा सकता है ।

**श्री बी० वी० नायक** : (कनारा) : उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और छोटा नागपुर के क्षेत्रों में व्याप्त पिछड़ेपन के बारे में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे देश भर के पिछड़े भागों में लागू किया जाना चाहिए । मेरा अनुरोध है कि "पिछड़ेपन" शब्द के स्थान पर हमें किसी विकाससूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले अविकसित क्षेत्रों को ही पिछड़े हुए क्षेत्र कहते थे। अब जब हमने इस बात को समझा है कि अविकसित क्षत्रों में प्रगति करने की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है तो उसके नाम को बदल दिया गया है, अब इन क्षत्रों को 'विकसशील क्षेत्र' कहा जाता है। इसलिए हमें "पिछड़ा" शब्द को ही त्याग देना चाहिए: हमे अपने आप को "विकासशील देश" कहना चाहिए क्योंकि यह शब्द अपने आप में बहुत आशाजनक और विकाससूचक है। इसलिए हमें इस शब्द को यथा शीघ्र त्यागने का प्रयास करना चाहिए ।

जब हमने यह योजना चालू की थी तो ऐसा विचार किया गया था कि यह योजना नीचे से आरंभ की जायगी। किन्तु इस सर्वोच्च स्तर से आरंभ किया गया और हमने राष्ट्रीय विकास परिषद में इस योजना के प्रस्ताव पर अनुमति पाकर इसे आरंभ किया। इसके उपरांत देश में इसपर सर्वोच्च स्तर पर विचार किया गया और फिर राज्यों में भेजा गया और तदुपरांत जिलों में भजा गया। अब हम जिलों में नीचे के स्तर पर योजना पर चर्चा करने का विचार कर रहे हैं । विशेष रुप से पिछड़े जिलों में इस प्रकार के सम्मेलन में नीचे के स्तर पर चर्चा करने की पहल जनता के प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए। जिलाधीश की अध्यक्षता में ऐसी चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

श्री वांछू की अध्यक्षता में कार्य करने वाले दल ने 1969 में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि देश के औद्योगिक पिछड़पन के बारे में एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके अंतर्गत महानगरों में उद्योगों के लिए दिये जाने वाले लाइसेंसों की संख्या में और कमी की जाय क्यों कि इससे बहुत से लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग उत्पन्न हो गये है। लाइसेंसेस देने की इस प्रक्रिया में योजना आयोग और उद्योग मंत्रालय इस सिफारिश पर विशिष्ट ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि शहरी क्षेत्रो म नये उद्योगों की स्थापना न होने पाये? उद्योगों का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं किया गया है? इसका यही कारण है क्योंकि ये

[श्री. बी. वी. नायक]

सिफारिश सरकार द्वारा नियक्त किए गए कार्य दल की है। जहां हम देश के क्षेत्रों में यह पता नहीं लगा सकते कि कौन से क्षत्र पिछड़े हुए है वहां हम एक राज्य के भी र उन जिलों या क्षेत्रों का पता लगा सकते है जहां विकास के लिए पर्याप्त साधन क्षमता उपलब्ध है। यदि इस क्षमता का उपयोग किया जाए ता औद्योगिक प्रगति और विकास के लिए आवश्यक ांचा तैयार करना हमार लिए संभव हो जायेगा।

जहां तक बुनियादी ढांचे का संबंध है, जहां सडक अथवा रेल संचार के साध है वहां प्रगति है। यह बात स्पष्ट है कि चूंकि हमारा देश अथवा सरकार सडक अथवा रेल संचार अथवा बिजली उत्पादन के विकास के संबंध में बहुत अधिक कार्य नहीं कर पाई है इसलिए इन क्षेत्रों में पिछड़ापन अभीतक व्याप्त है। पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर हल निकालना चाहिए।

मैसूर राज्य में एक जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ चुना गया है, जहां लगभग 5 लाख एकड़ भूमि बिना स्थाई सिंचाई साधनों के है। इस लिए जिलों को चनने म ओर अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि यदि एक बार जिलों को चुन लिया गया तो उनक विकास और प्रगति के लिए सभी प्रोत्साहन दिए जाने चाहि ।

**श्री बोरेन संगती** (दीफू): समस्त पूर्वी क्षत्र, विशेषकर आसाम राज्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही पिछडा हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए समय-समय पर अनेक योजनाएं तैयार की थी किन्तु व्यावहारिक रूपसे किया कुछ भी नहीं गया। यहां तक कि अधिकांश भीतरी स्थानों में शिक्षा, पेयजल, लोक स्वास्थ्य जसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था तक नहीं की गई। यही कारण है कि आसाम के ये पिछड़े क्षेत्र अभी तक पिछड़े हुए हैं।

आसाम के पहाडी क्षेत्र देश में सबसे अधिक पिछड़े हुए थे जहां 90 प्रतिशत जन संख्या खेती बाडी पर निर्भर रहती है। किंतु बडे दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहां दिखारू, अमरेंग, देमांग और वारपानी जैसी कुछ नदियों पर बांध बनाये जा सकते है जिससे उस पहाडी क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य भूमि को पानी दिया जा सकता है।

क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना एक अनिवार्य कार्य है। आसाम में, विशेषकर पहाडी क्षेत्रों में पेड और बांस जसी कच्ची सामग्री बहुत उपलब्ध थी। अतः हाफलौंग में कम से कम एक कागज की मिल स्थापित की जा सकती थी।

आसाम के भीतरी पहाडी क्षेत्रों में परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं थे। केन्द्रीय सरकार से अनेक बार अनरोध किया गया है कि आसाम की मीटर गेज रेलवे लाईन की बडी लाईन में परिवर्तित कर दिया जाए। किन्तु आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार इस महत्त्वपूर्ण मामले पर मौन साधे हुए है। इस कार्य को तुरंत किया जाना चाहिए।

पिछडे क्षेत्रों का विकास करने के लिए वर्तमान योजना प्रणाली को पुनरीक्षित करना चाहिए और इसका विकेन्द्रीकरण भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार को पिछडे क्षेत्रों की परिस्थितियों का सर्वेक्षण था सुझाव देने के लिए एक अलग और स्थाई प्राधिकरण नियुक्त करना चाहिए।

**श्री मुरासोली मारन** (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में पिछडे क्षेत्रों की समस्या पर ध्यान आकर्षिक किया गया है और सुझाव दिया गया है कि इन क्षेत्रों

के लिए अलग विकास योजनाएं होनी चाहिएं, किंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। केन्द्रीय योजनाओं पर करोडो रुपये खर्च करने पर भी और केन्द्रीय योजनाएं बनाने पर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। अनेक मामलों में योजना निर्माताओं की इच्छा पूर्वनिर्धारित होती है। उदाहरणार्थ सिंचाई तथा पन बिजली परियोजना सदा-नदी-घाटी परियोजना से संबद्ध होती है। इस्पात कारखाने को सच्चे माल के स्त्रोत से दूर नहीं बनाया जा सकता। अतः क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाना चाहिए किंतु सरकार के कार्यों का परिणाम यह निकला कि दुर्लभ संसाधनों का उपव्यय किया गया है।

हमें पता लगा है कि सरकार का विचार हिंदुस्तान मशीन टूल्स के घडी बनाने के कारखाने का एक शाखा कश्मीर में खोलने का है। किंतु कश्मीर में विशेषज्ञों की कमी है, जिन्हें अन्य राज्यों से लाया जाता है। किंतु वे कश्मीर में मौसम के कारण वहां जाने से घबराते है। सरकार ऐसे मामलों में राजनीतिक दृष्टी से निर्णय लेती है, जिससे हम लागत तथा लाभ प्राक्कलन और अधिकतम आर्थिक लाभ के सिद्धांतो की भी उपेक्षा करते है। इस लिए केवल केन्द्रीय योजना ही जादू नहीं है जिससे कि आर्थिक चमत्कार हो जाए। प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए उसका अपना अलग योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। उदाहरणार्थ मेरे राज्य में धर्मापुरी जिला है जो पिछडा हुआ है। इस जिले की और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहा रेशम तथा ऐसी अन्य वस्तुओं का विकास करने की आवश्यकता है।

जहां तक कोंकण क्षेत्र का संबंध है, मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि केवल केन्द्रीय योजना तैयार करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं होगा। वहां काजू उद्योग और मछलीपालन का विकास करने और आर्थिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में किसी उपक्रम के स्थापित करने अथवा किसी केन्द्रीय योजना से ही सब बुराइयां दूर हो जायेंगी। प्रबंधकों दिल्ली से किए जाने वाले नियंत्रण से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अन्ततोगत्वा जिलों में आकर ही जिलों की योजना एकक के रूप में माना जाना चाहिए अथवा यदि आंकड़े प्राप्त हों तो तालुक या तहसीलों की योजना एकक बनाया जाना चाहिए। हम बार-बार कहते आ रहे है कि योजना में लोगों को न केवल योजना की क्रियान्विति के दौरान ही अपितु योजना बनाने के दौरान भी भागीदार बनाया जाना चाहिए। किंतु इस दिशा में कुछ भी नही किया गया है।

आज ही समाचार आया है कि भूतपूर्व योजना मंत्री ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए "पैकेज कार्यक्रम" की घोषणा की है। किंतु इस कार्यक्रम को तैयार कौन करेगा? मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि योजना आयोग इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगा। यह तो गहन केन्द्रीयकरण की समस्या फिर खड़ी हो गई है। जब तक ये योजनाएं राज्य सरकारों को नहीं सौंपी जायेंगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। अतः ऐसी योजनाएं सम्बद्ध राज्य सरकारों को सौंप देनी चाहिए क्योंकि वे ही गहन प्रयास कर सकती है। उत्तर प्रदेश बहुत बडा राज्य है और वहां के पूर्वी क्षेत्र की अभी भी अत्यंत दयनीय स्थिति है। हरियाणा छोटा क्षेत्र है। वहां आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। यदि उत्तर प्रदेश को एक से अधिक एककों में विभाजित किया जाए तो वहां की समस्याएं हल हो सकती है। यदि ऐसा व्यवहार्य नहीं है तो तेलंगाना की तरह क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिएं और इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए पर्याप्त योजना निधि नियत की जानी चाहिए।

संविधान की सातवी अनुसूचि के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक योजना को समवर्ती विषय के रूप में माना गया है। किंतु होता यह है कि हम आर्थिक योजना तो बनाते है पर सामाजिक योजना कभी तैयार नहीं करते।

[श्री मुरसोली मारन]

हमारे राज्य में एक यूथ बोर्ड गठित किया गया है और उसमें सैकड़ों युवकों को शामिल किया गया है, जो गांवों में जाकर लोगों को आधुनिक विचारों का बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार में जबतक विकसित क्षेत्रों की प्रगति पर रोक नहीं लगाई जाती, तबतक पिछड़े क्षेत्रों को उनके स्तर पर लाना सम्भव नहीं होगा। वास्तव में हमें संतुलित प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि विकसित क्षेत्रों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु उनकी समस्याएं पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं से बिलकुल भिन्न है। पांडे समिति ने किसी क्षेत्र का पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए छः बातें बताई थीं परन्तु मेरे विचार में उन तरीकों को वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सम्बन्ध में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी उपक्रम स्थापित करने से ही उनकी समस्याएं हल नहीं हो जायेंगी। यदि आयोजन के लिए जिले को एक इकाई माना जाय, तभी उन पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का हल किया जा सकता है।

**Shri Narendra Singh Bisht** (Almora)": I hail from the most backward area and I therefore hope that you will allow me some extra time. The Government has neglected the eight hill districts of Uttar Pradesh. Not a single metre guage line has been converted into broad guage line there. Unless means of transport are not developed there, these districts cannot make any progress. I had given a suggestion for a railway line between Tanakpur and Bageshwar but no progress has been made so far in this respect.

The Planning Commission has done nothing to improve the condition of the hilly people because these people do not believe in violence. May I know why fifty percent grant is being given to these backward districts when 90 percent grant is being given to Himachal Pradesh, Assam and Meghalaya? Even the transport subsidy scheme have not been introduced in these districts. Not even a single penny has been spent in the Mansari, Dharchula blocks which are tribal areas. Even the electricity schemes have not been introduced in these districts except Nainital. It was stated in the House some years back that a separate Cell will be constituted in the Planning Commission for the development of the hilly areas of the Country. I am sorry to say that nothing has been done in this regard so far. Now in reply to my letter, it has been said that a Committee for undertaking surveys and investigations in the hilly areas of Uttar Pradesh has been set up. In my opinion it is not going to serve the purpose. Special attention should be paid for the development of these areas. I would request the hon. Minister to take the district as a unit for the purpose of planning, if he is interested in the development of the hilly areas.

The population of these areas has also increased and I would therefore request you to give land to the people of these areas in the Serai region. To increase the per capita income of these areas, it is necessary to make the education in these areas job-oriented. Maximum importance should be given to the construction of roads. Cottage industries should also be established in these areas. Industries based on forest products can also be set up in these areas. Tourism should also be encouraged.

The people of these areas have became tired of this Government and now they are demanding a separate State for themselves. I hope the Government with socialistic ideas will look with the problems of these hilly districts and will try to remove them.

**Shri Panna Lal Barupal** (Ganganagar) : I support the demand that separate scheme may be formulated for the development of hilly areas. It is unfortunate that Government work under pressure. Government have neglected the Ganganagar, Jaisalmer and Bikaner districts. Tractors, fertilizers and gun factories should be established in these areas because sufficient raw material is available there and because these are agriculture-oriented areas.

We have been demanding that the Rajasthan canal should be be given preference and that this canal should be taken out by the Central Government. This has not been

acceeded to. The farmers have installed tube wells but they are not getting power connections. Thousands of acres of land was acquired for setting up fertilizer factory in Ganganagar district but now it has been learnt that this factory is going to be established in Kota. The acquired land is lying unused. No development work has been undertaken in this area for the last twenty years. During the war we donated five maunds and thirty seer gold and 36 lakh rupees to the Defence Fund. I, therefore, sincerely hope that Government will do something for the development of this area.

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस वाद-विवाद को आज 5-30 तक निश्चय ही समाप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे पांच मिनिट से अधिक समय न लें।

**Shri Krishna Chandra Pandey** (Khalilabad) : I rise on a Point of Order. This is a very important matter and the time should be extended.

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

**Shri K. M. Madhukar** (Kesaria) : About 22 crores people in the country are living below the minimum living standard and about 4 crore people are unemployed. The Government has not paid attention on the balanced development of all the areas. Something should be done to tackle the situation. Maximum licences have been given in the areas where there are already enough industries. Although Bihar is rich in mineral resources, yet it is the most backward state in the country. Per Capita income in Bihar is perhaps the lowest. If Government fail to develop the backward areas, a serious situation will arise.

The literacy in Bihar is only 18.4 per cent. The literacy among the women is only 7 per cent. Similalry, Bihar is also backward in the matter of irrgation and power. Some MPs. from Bihar met the Prime Minister and she gave assurance that something will be done in this regard. I am sorry to say that inspite of that, nothing has been done. Even in this matter of road construction, Bihar is lagging behind. The Government should introduce land reforms. Special schemes should be formulated for the uplift of the agricultural labour. The Government should also pay more attention towards the construction of roads and the establishment of small scale industries.

**Shri Paripoornanand Painndi** (Tehri-Garhwal) : After 25 years of independence, we are now thinking of removing the regional inbalances. In this connection, I would like to suggest that Planning Commission should deviate from its traditional policy and should follow more suitable regional policies. It should formulate schemes keeping in view the problem of the area where the scheme is likely to be implemented. The planning in the backward areas may be left over to the States but the Centre should excercise the financial. control Top priority should be given in Fifth Plan towards removing the regional inbalances.

[श्री के० एन० तिवारी पिठासिन हुए।]

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*.]

Tehri-Garhwal in U. P. is the most backward area in the whole country and its per capita income is the lowest. Even ten per cent of the local people are not being provided employment in the Antibiotics factory and in Bharat Electricals. I would suggest that local people should be given due representation in such factories. Not even a single penny has been allocated in the last Plans for the development of hill districts of Uttar Pradesh, whereas crores of rupees have been spent on developmental work in Himachal Pradesh, Nagaland and Jammu and Kashmir. A statutory body on the lines of one for Telengana should be constituted for the backward districts of Uttar Pradesh. We are neither getting assistance from the Centre nor from the State. I request the Planning Commission to fix a date so that the people of these backward areas can keep their problems before it.

**Dr. Laxminarayan Pandeya** (Mandasaur) : We have failed to make balanced development in the country due to the wrong policies of the Planning Commission. We have failed to develop the rural and backward areas of the country. There are a number of copper mines in Bastar, Jalna and Nainad district of Madhya Pradesh. Mica and maganese mines are slso found there and still this state is the most backward state and these areas are the most backward areas. In Udaypur and Chittor, Rajasthan, zink and Rock phosphate mines are available and still these areas are called backward areas because Government has not paid attention on the development of these areas. These areas can be speedily developed if the Ministry of Industry and Planning work in coordination. No factory has been set up in these areas. Transport facilities should be provided in the backward areas. Rural electrification programmes should be persued vigorously.

**Shri Kushok Bakula** (Ladakh) : While supporing the motion, I may say that I hail from the most backward areas which is called ladakh. It is true that Government has allotted some money but the pace of development is too slow. The Government should pay special attention on the electrification of this area. Two generators have been installed in Leh but they always remain out of order. I would request the Planning Minister to visit Ladakh and see for himself the situation prevailing there. Ladakh is also backward in the field of education. Sufficient education facilities should be provided there. I would request the Government to declare Ladakh as backward area so that it could receive the facilities available to such other areas of the country.

**Shri Jagadish Narain Mandal** (Godda) : There are backward areas in whole of the country. Bihar is also such an area but Chota Nagpur and Santhal Parganas regions are the worst affected in this regard. Although some factories have been established in these regions but local people are not being given employment in those factories.

Government set up a Development Board for the area. But no funds have so far been provided to this Board. Government is deriving 68 per cent income from Chota Nagpur area but only 28 per cent is being spent on this area.

Santhal Pargan area is rich in minerals but no Industry has so far been set up in this region. Due to this reason it has remained backward so far. People are very poor and they lived below subsistence level. Government should take adequate measures for immediate development of the region.

**Shri Nathu Ram Mirdha** (Nagaur) : Government is fully aware of the backwardness of certain regions of the country. Of late the Government has taken steps to remove backwardness but still a lot remains to be done. Government should, therefore, accord priority treatment to such areas in the next Plan.

Labour intensive special plan should be prepared and implemented in these backward areas. These special plans would not only provide employment to the poor people but this would also cause speedy development of these areas.

If we could provide employment facilities to the people of backward regions in their own areas, it would check their migration to urban areas and check new and complicated problems thus being created.

To-day an atmosphere has also been created wherein every where a cry in being raised about the backwardness of the area. No doubt, it would be difficult to find an area in which there may not be a backward pocket. But if such atmosphere is allowed to prevail it would be difficult to pay special attention to really backward areas. In the remaining two years of the Fourth Plan and in the Fifth Plan, we should pay special emphasis in this direction.

**Shri Darbara Singh** (Hoshiarpur) : Areas of Hoshairpur and Rupar are very backward. Even drinking water facilities are not available in these areas. People of these areas have to face lot of difficulties due to lack of this facility. Effective steps should be taken to provide this facility.

Development Boards should be set up for each backward area. Government should see that funds allocated to such Boards are spent properly and they are not diverted for other purposes.

**Shri T. D. Kamble** (Latur) : Those areas which have got facilities such as drinking water, water for irrigation, electricity, rail connections, have progressed and those areas which lack these facilities have remained backward. Lack of these facilities results in unemployment and it stimulates migration to urban areas. This migration of population to urban areas create new problems, such as begging and pavement dwelling. Government should therefore, take effective steps to provide employment to the rural population in their own areas so that they are not faced to migrate to urban areas.

Certain areas of Marathwada region of Maharashtra, which previously formed part of Nizam State, are very backward. There are divisions in these regions, where people have not seen railway even after 25 years of independence. These areas remained neglected but now Government should see to it that these regions come at par with developed regions of the State.

Industrial licences should be granted to those who set up industries in backward areas. High powered statutory Board should be set up for the development of backward areas. The Government should pay special attention to the development of these areas as it would go a long way in bringing integration of the country.

**Shri Shambu Nath** (Saidpur) : It is a strange thing that while there has been a marked development in most of the regions of the country, conditions have become bad to worst in Eastern Regions of Uttar Pradesh. Annual per capita income was Rs. 257 for U. P. as a whole in the year 1951 whereas it came down to Rs. 237 in the year 1969 in Eastern regions of U. P. Central Government lays responsibility on the respective State Government and State Governments take plea of lack of funds.

Majority of population of this region is agriculturist. This comprises of Marginal farmers and landless labourers. Today we are hearing about ceiling on land and this talk has raised hopes in the minds of these people but their hopes are not going to be fulfilled as there may not be much surplus land available for distribution. Landless labourers of the region are Harijans and they are dying of starvation. This area does not need big industries but small scale and cottage Industries be set up there to improve the lot of people. There should be a separate agency to look after the development of backward areas. If proper attention is not paid to the development of those regions, forces of division would start raising their head. Voices are being heard about the division of U. P. and these may gain ground with the passage of time.

**श्री के० मालन्ना** (मधुगिरि) : *मैं इस प्रस्ताव तथा संशोधन का समर्थन करता हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यों के लिए धन को जो व्यवस्था की जाती है, उसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कारण पिछड़े क्षेत्रों में विशेष प्रगति नहीं हो रही है।

मेरा यह भी विचार है कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद से हमने इन क्षेत्रों को सुधारने का कोई कार्य नहीं किया है। न ही पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सका है। इस उद्देश्य से हमें ताल्लूक अथवा जिले को आधार बनाना चाहिये तथा प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी के आंकड़, उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं आदि को विचार में रख कर निर्णय करना चाहिये।

पिछड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योगों के साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों और छोटे उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि उचित दिशा में यदि संयुक्त कार्यवाही की

*कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised Translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

[श्री के० मालन्ना]

जाए, तो थोडे ही समय में स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सकता है। साथ ही कृषि उत्पादन को बढाने के लिए भी कृषकों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाएं जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार हो सके।

**Shri Rajdeo Singh** (Jaunpur) : Recently a survey carried out by the Government brought out that one third population of our country is in a state of object poverty. Backward areas are spread up in the whole of country. But even then Uttar Pradesh had the major share of backward regions. 15 districts of Eastern U. P., 4 districts of Bundelkhand and 6 districts of hill areas are backward areas of U. P. It is a biggest State of the Indian Union and even then it has remained neglected. Central assistance being provided is very negligible. Till recently it was being given on lumpsum basis whereas it should be given on the basis of population as is now being given for the last two years.

Percentage of marginal farmers is 25 for U. P. Government should consider whether it is due to higher rate of population or due to absence of other means of livelihood. Traditional industries of Villages such as Carpentary, Black Smithy, weaving etc. etc. are getting destroyed and it has created a situation of unemployment.

Instead of leaving the work to State Governments, Central Government itself should sponser schemes for this purpose. If the Government is serious about removing backwardness of such areas, it should set up a net work of small scale industries. It would lessen economic disparity and check immigration of rural population to urban areas.

**Shri Chiranjib Zha** (Saharsa) : North Bihar is a very backward area in the whole Country. Government should set up a separate development board for the development of that area.

After independence already developed areas made further progress and backward areas remained backward. Industrialists are not setting up industries in backward areas though Government has announced special facilities for them. The reason behind this attitude is that these areas lack facilities such as rail road and electricity. The Government should take steps for providing electricity, rail lines and roads in such areas under a Crash programme, and then encourage indstrialists for setting up industries in such areas.

District Saharsa is a very backward area. Though Kori Dam has been constructed, even then it floods most of the area of this district. The Government should take special steps for the development of this area.

**श्री के० एम० कृष्णा रेड्डी** (नलगोंडा) : आन्ध्र प्रदेश का तेलंगाना प्रदेश भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछले तीन वर्षों से इस प्रदेश में लगातार दुर्भिक्ष तथा सूखा की स्थिति चल रही है। इस कारण इस प्रदेश की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। प्रादेशिक असमानता को दूर किया जाए। पिछडे जिलों के सुधार के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिएं और वे केन्द्र के नियंत्रण में होनी चाहिये। यदि यह योजनाएं राज्यों के नियंत्रण में रही तो प्रादेशिक असमानता को कम नहीं किया जा सकेगा। बिजली तथा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। रेल लाइनों तथा संचार सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये। नागार्जुन सागर के क्षेत्रों को छोड कर समस्त नलगोंडा जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिये।

इन क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये। यह क्षेत्र इन उद्योगों के बिना विकसित नहीं हो सकते। पांचवी योजना पर विचार करते समय तथा सूत्र बद्ध करते समय पिछडे क्षेत्रों के निर्धारण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए जो परियोजनाएं प्रारंभ की जाएं, वह केन्द्र के नियंत्रण में होनी चाहियें।

**Shri Narain Chand Parashar** (Hamirpur) : Sir, I would like to say only this that hilly areas have been ignored while making plan in respect of industrial development. It is for the first time that we have a Minister from a Hill State. Hilly areas throughout the country have suffered for one main reason and that is lack of infrastructure for development. It is on this basis that an industrialist refused to set up a Cement factory in my district in Panjab in 1961. So I reguest government and the Minister of Planning in particular that a Planning Board should be set up by the Centre for the development of hilly areas and all hill States should be given representation in the constitutions of the Board and M. Ps. from such areas should also be the members of such Board. A separate Board should also be set up for each backward district. A memorandum was submitted to the Prime Minister by 21 M.Ps. asking for setting up a separate cell in the Planning Commission for the development of hilly areas. Now, I request the Minister of Planning to set up an effective cell and pay more attention to the development of backward and hilly areas.

**श्री वसन्त साठे** (अकोला) : मैं विदर्भ क्षेत्र का हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे उसके बारे में विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे।

**Mr. Chairman** : Shri Ambesh.

**Shri Ambesh** (Firozabad) : Sir, in the ravines all over India, there is a problem of dacoits. State governments have to spend a lot of money on the police and P.A.C. in such areas. That money can be utilised on levelling the land in these areas. I am sure, the backwardness of these areas will be removed in this way. Steps should also be taken to save flood prone areas from the devastation caused by flood every year. It will also help in the development of these areas.

**श्री वसंत साठे** : श्रीमान्, यह बड़े दुख की बात है कि आज स्वतंत्रता-प्राप्ति के 25 वर्ष पश्चात भी हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा है कि निर्धन क्षेत्र और अधिक निर्धन और धनी क्षेत्र और अधिक धनी क्यों होते जा रहे हैं। यह हमारी आयोजना का दोष है। अतः हमें अपनी सम्पूर्ण आयोजना पर सब दृष्टियों से विचार करना होगा। आयोजना बनाने वाले योजना आयोग के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि उसमें एक ऐसा विभाग भी खोला जाना चाहिए, जो आयोजना की क्रियान्विति का निरीक्षण करे।

इस सम्बन्ध में मैं एक अन्य सुझाव देना चाहता हूं। आयोजना की क्रियान्विति को नौकरशाही की दया पर न छोड़ा जाये। आयोजना की क्रियान्विति के लिए संसदीय निर्वाचन क्षत्रों को सबसे छोटा एकक बनाया जाये। इसके लिए एक संस्था गठित की जाय जिसका प्रधान उस क्षत्र के संसद सदस्य को बनाया जाये। नौकरशाही को भी इस संस्था से सम्बद्ध रखा जाये।

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिए। माननीय मंत्री।

**योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर)** : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार ध्यान पूर्वक सुने और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने उनसे आयोजना के विभिन्न पहलूओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि सम्पूर्ण देश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और वह भी संतुलित। मैं यह स्वीकार करता हूं कि विकास और प्रगति के मामले में असंतुलन रहा है। कुछ राज्यों और राज्य में कुछ क्षेत्रों का विकास अन्य की तुलना में अधिक हुआ है। इस असंतुलन का एक प्रमुख कारण है—क्षेत्रों की ऐतिहासिक तथा भौगोलिक स्थिति। अर्थात् कुछ क्षेत्रों में विकास के लिए अपेक्षित सुविधाएं विद्यमान हैं, जिनसे वहां विकास की गति तीव्र हो जाती है। फिर भी यह कहना अनुचित है कि विकास में असंतुलन की खाई और गहरी हुई है। असंतुलन कम ही हुआ है और हम इसे और भी कम करने का प्रयास करेंगे। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ क्षेत्र और समाज में कुछ वर्ग पिछड़े हुए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर काफी ध्यान दिया गया है। पांचवी

[श्री डी० पी० धर]

पंचवर्षीय योजना को इस तथ्य को ही मूलाधार बनाया जायेगा। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अध्ययन के आधार पर जिन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ पाया गया था जो दैवी प्रकोप के शिकार रहते हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, मैं कुछ उपायों का विवरण देना चाहूंगा। हमने केन्द्रीय सहायता के बारे में एक सूत्र बनाया है जिसके अनुसार आसाम, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर को केन्द्रीय सहायता देने के पश्चात शेष राशि का दस प्रतिशत पिछड़े राज्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि 3100 करोड़ रुपये का दस प्रतिशत है। किन्तु हमारे देश के विस्तार और पिछड़ेपन की समस्या की जटिलता और व्यापकता के अनुपात में यह राशि नगण्य ही है। इसलिए इसके परिणाम प्रत्यक्ष रुप से नहीं दिखाई देते।

बाढ़ तथा सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकारों को जो खर्च करना पड़ता है केन्द्रीय सरकार उसका भुगतान उन्हें कर देती है। इसके लिए 307 करोड़ रूपये की राशि नियत की हुई है। पहाड़ी और सीमान्त क्षत्रों के विकास पर जो खर्च होता है, केन्द्रीय सरकार उस खर्च को वहन करती है। राज्यों को केवल 10 प्रतिशत ऋण देना पड़ता है। मेघालय, आसाम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर को ऐसे खर्च का 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और सीमान्त जिलों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले, तमिलनाडु के नीलगिरी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। जहां तक छोटे नागपुर का सम्बन्ध है, उसके लिए एक विकास बोर्ड गठित कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य मंत्री है। मैं आशा करता हूं कि यह बोर्ड ठीक काम करेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसू ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस मद के लिए दी जाने वाली सहायता का उल्लेख किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी-निवेश निगम को ये अनुदेश दे दिये गये हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास या वहां पर उद्योग लगाने के लिए ये वित्तीय संस्थायें कम सूद पर धन दें। इसके अतिरिक्त 9 राज्यों में से प्रत्यक के दो पिछड़े जिलों के लिए 50 लाख रुपये तक के लिए राजसहायता की व्यवस्था कर रखी है। गांवों में बिजली लगाने के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण निगम वित्तपोषण करता है। ग्रामीण विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये है। जैसे 'विशिष्ट कृषक विकास एजेन्सियां 46', 'सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक परियोजना 41', 'असिंचित कृषि 24' और 'सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 54'।

मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहता हूं कि निधि के नियतन मात्र से यह समस्या पूर्णतः हल होने वाली नहीं है। योजना के क्रियान्वयन में निष्ठा का सहयोग बहुत अधिक होता है। हमारे देश में योजनाओं की असफलता का एक कारण यह भी है कि यहां के लोग और राजनितिक दल और नेता योजना की क्रियान्विति के प्रति सजग नहीं हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता तथा नेता को यह अनुभव करना चाहिए कि वह योजना से सम्बध्द है। जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनेगा तब तक योजना की पूर्ण सफलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही योजना की प्रक्रिया नीचे के स्तर से शुरु की जानी चाहिए। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि विकास के लिए सबसे छोटी यूनिट जिले को माना जाये। मैं इससे भी आग जाने को तैयार हूं। मैं गांव, ब्लाक अथवा अन्य किसी छोटी से छोटी ग्रामीण यूनिट को विकासार्थ यूनिट मानने को तैयार हूं। इस यूनिट को आधार बनाकर ही हमें अपनी योजना के भव्य भवन का निर्माण करना चाहिए। योजना को एक राष्ट्रीय ध्येय समझा जाना चाहिए क्योंकि यहां आकर राजनीतिक भिन्नता आदि समाप्त हो जाती है। यदि विकास का अर्थ भारत के लोगों का उत्थान है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा।

योजना आयोग पर भरोसा रखियेगा और हम यथासम्भव आपको सहायता करेंगे। जहां इस बात का सम्बन्ध है कि योजना आयोग के पुनर्गठन की आवश्यकता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आवश्यकता हमें अपने दिमाग बदलने की है। योजना के प्रति अपना नाजोरिया बदलने की है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो ठोस सुझाव हमारे पास आये हैं या आगे आयेंगे हम उन्हें कार्यरुप देंगे। अब हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा तैयार कर रहे है। अतः सब माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में योजना आयोग को सहायता करें।

**Shri Nathuram Ahirwar** (Tikamgarh): Mr. Chairman, Sir, I extend my thanks to all the Members who participated in the discussion initated by me. I am also thankful to the Minister of Planning who replied to tne debate and informed us about the steps taken or likely to be taken by the Planning Commission for development of backward areas. But the Minister has not made any specific mention about the development of Madhya Pradesh particularly Bundelkhand region, perhaps the most backward region in the country. There are four districts—Jhansi, Banda, Jalone, Hamirpur and five districts in Madhya Pradesh where no development work has taken place during the last 25 years. I came to know that there was proposal to constitute a Development Board for development of Bundelkhand. I request that there should be representation of local people on this Board so that the problems of the region and their solutions may be put forward by them to facilitate the development of this region.

**सभापती महोदय** : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी है।

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने संशोधन पर मतदान के लिए जोर न दें।

**सभापति द्वारा संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 मतदान के लिए रखें गये और अस्वीकृत हो गये।**

**The amendments Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 11 were put and negatived.**

**Shri Nathu Ram Ahirwar** : Sir I withdraw the motion.

**सभापति महोदय** : क्या उन्हें सभा अनुमति देती है?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां,।

**प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**The Motion was by leave, withdrawn**

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपूर) : प्रक्रिया नियमों के अनुसार यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह केवल चर्चा के लिए था।

**श्री मोहन धारिया** : श्री एस० एम० बनर्जी का कहना ठीक है। इसको वापिस नहीं लिया जाना चाहिये बल्कि चर्चा करके ही समाप्त समझा जाना चाहिए।

**सभापति महोदय** : सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है।

---

## आधे घंटे की चर्चा के बारे में
## RE. HALF-AN-HOUR DISCUSSION

**सभापति महोदय** : अब श्री लकप्पा के नाम आधे घंटे की चर्चा है। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। अब सभा कल 11—00 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार 25 अगस्त, 1972/3 भाद्र, 1894 (शक) के 11—00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 25, 1972/Bhadra 3, 1894 (Saka)



मा० स० मु० ना०—वि० 6—15 एल० एस० एस०/72—1-12-72—490